



भारत सरकार  
Government of India

वित्त मंत्रालय  
Ministry of Finance

वित्त मंत्रालय के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा)  
की दूसरी रिपोर्ट (2014-15) में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन  
की स्थिति के संबंध में माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली  
द्वारा लोक सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

**STATEMENT BY SHRI ARUN JAITLEY, HON'BLE MINISTER OF FINANCE, IN THE  
LOK SABHA REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS  
CONTAINED IN THE 2<sup>ND</sup> REPORT (2014-15) OF THE STANDING COMMITTEE  
ON FINANCE (16<sup>TH</sup> LOK SABHA) RELATING TO THE MINISTRY OF FINANCE**

अगस्त, 2015  
AUGUST, 2015

अनुक्रमणिका		INDEX		
क्रम संख्या	विषय-सूची	पृष्ठ संख्या	Sl No. Contents	Page No.
1.	माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली का वक्तव्य	i-ii	1. Statement by Shri Arun Jaitley, Minister of Finance	i-ii
2.	अनुबंध - 16 दिसम्बर, 2014 में लोक सभा में प्रस्तुत/राज्य सभा में सभा पटल पर रखी गई, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग) की अनुदान मांगों 2014-15 के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति की दूसरी रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।	1-45	2. Annexure- Action Taken Report on the Recommendations/Observations contained in the <b>2<sup>nd</sup> Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants 2014-15</b> of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs, Financial Services, Expenditure and Disinvestment) present to the Lok Sabha/laid in the Rajya Sabha on 16 <sup>th</sup> December, 2014.	47-96

आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभागों  
संबंधी अनुदान मांगों (2014-15), (16वीं लोक सभा)  
के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति की दूसरी रिपोर्ट  
में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध  
में माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली  
द्वारा लोक सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

**STATEMENT BY SHRI ARUN JAITLEY, MINISTER OF  
FINANCE, IN THE LOK SABHA REGARDING THE STATUS OF  
IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS CONTAINED IN  
THE 2ND REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON  
FINANCE (16th LOK SABHA) ON DEMANDS FOR GRANTS  
(2014-15) RELATING TO THE DEPARTMENTS OF ECONOMIC  
AFFAIRS, FINANCIAL SERVICES, EXPENDITURE &  
DISINVESTMENT**

मैं, लोक सभा बुलेटिन, भाग-II दिनांक 01 सितम्बर, 2004 के जरिए माननीय  
अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश 73-ए के अनुसरण में आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय  
और विनिवेश विभाग विषयक वित्त संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) की दूसरी  
रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देना अपना  
सौभाग्य मानता हूँ।

I deem it my privilege to make a statement on the status of  
implementation of recommendations contained in the 2nd Report of the  
Department of Economic Affairs, Financial Services, Expenditure and  
Disinvestment of the Standing Committee on Finance (16th Lok Sabha) in  
pursuance of Direction 73-A of the Hon'ble Speaker, Lok Sabha *vide* Lok  
Sabha Bulletin, Part II dated 1st September 2004.

वित्त संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) की **दूसरी रिपोर्ट 16 दिसंबर,  
2014** को लोक सभा में प्रस्तुत की गई थी। दूसरी रिपोर्ट अनुदान मांगों (2014-15)  
की जांच से संबंधित है। इस रिपोर्ट में, समिति ने कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और  
तीस (30) सिफारिशें की हैं जिनके संबंध में सरकार की ओर से कार्रवाई की  
आवश्यकता है। ये सिफारिशें मुख्यतः 67वीं रिपोर्ट में की गई समिति की सिफारिशों के  
कार्यान्वयन, अवास्तविक बजट खर्च और बजट के पूरे उपयोग, आयोजना अनुमानों का

The **2nd Report** of the Standing Committee on Finance (16th Lok  
Sabha) was **laid** in the Rajya Sabha on **16th December, 2014**. The 2nd Report  
relates to examination of Demands for Grants (2014-15). In the Report, the  
Committee deliberated on various issues and made Thirty (30)  
recommendations, where action is called for on the part of the Government.  
These recommendations mainly pertain to issues relating to implementation

नियोजन और अनुमोदन, परिशोधित बजट और नकद प्रबंधन, कतिपय निधियों के लिए आयोजना प्रावधान, राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ), वायदा बाजार आयोग, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पूंजी लगाने, ब्याज भुगतान, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण, ऋण की अदायगी और विनिवेश से संबंधित है।

इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई के विवरण दिनांक 13 मार्च, 2015 को वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दिए गए थे। समिति द्वारा दूसरी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति अनुबंध में दी गई है।

मैं अनुबंध की विषयवस्तु पढ़कर सुनाने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

of committee's recommendations made in Sixty Seventh Report, unrealistic budget expenditure and full utilization of budget, planning and approval of plan estimates, modified budget and cash management, plan provision for certain funds, National Small Savings Fund (NSSF), Forward Market Commission, capital infusion in public sector banks, interest payment, transfers to state and union territories, repayment of debt and disinvestments etc.

Action Taken Statements on the recommendations/observations contained in the Report had been sent to the Standing Committee on Finance on 13th March, 2015. Present status of implementation of the recommendations made by the Committee in the 2nd Report is indicated in **Annexure**.

I would not like to take the valuable time of the House to read out the contents of the Annexure. I would request that this may be taken as read.

**वित्त मंत्रालय की अनुदान मांगों (2014-15) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति की दूसरी रिपोर्ट में विहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई का विवरण।**

क्र. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
1.	1	<p>"समिति यह नोट करती है कि समिति की 67वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में की गई कार्रवाई टिप्पणियों को सरकार द्वारा तीन माह की निर्धारित अवधि में दर्शाया गया था। निर्देश 73ए के अंतर्गत मंत्री महोदय का बयान भी 6 माह की निर्धारित अवधि के भीतर था। समिति की 75वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) में निहित सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के विश्लेषण से यह पता चलता है कि 14 सिफारिशों में से 71% सिफारिशें कार्यान्वित हो गई हैं। "उनमें से कुछ के संदर्भ में की गई कार्रवाई पर समिति द्वारा टिप्पणी की गई है; 7% सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की गई है। और 22% सिफारिशें कार्यान्वयन के भिन्न स्तरों पर है। समिति आशा करती है कि सरकार समिति द्वारा टिप्पणी की गई सभी सिफारिशों के संदर्भ में निर्णायक कार्रवाई करेगी और शीघ्र की गई कार्रवाई टिप्पणियां समिति को प्रस्तुत करेगी।</p> <p><b>75वीं रिपोर्ट की सिफारिश सं. 23</b></p> <p>"दिये गये उत्तर से यह पता चलता है कि यद्यपि सरकार ने बाजार से पूंजी एकत्र करने हेतु सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिये अतिरिक्त संभावना सृजित की है, परन्तु इस उत्तर में समिति द्वारा की गई</p>	<p>समिति की सिफारिशों को नोट कर लिया गया है। स्थायी समिति की 75वीं रिपोर्ट की सिफारिश सं. 23 की स्थिति: -</p> <p>सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की औसत पूंजी आवश्यकता बेसल-III में निर्धारित 9% की तुलना में 11.19% बनी रही। वर्तमान स्थिति के अनुसार, पीएसबी पर्याप्त रूप से पूंजीकृत है और निकट भविष्य में पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि, सरकार ने इन बैंकों</p>	स्वीकृत	1. होल्डिंग कंपनी के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाने

क्र.सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
		<p>सिफारिश के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उनके पुनर्पूजीकरण हेतु आंतरिक निधियां सृजित करने के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया है। अतः समिति पिछले 3 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा लगाई गई पूंजी की तुलना में प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के बैंक द्वारा अर्जित पूंजी का ब्यौरा जानना चाहती है। समिति सरकार से सरकारी क्षेत्र के बैंकों की दीर्घावधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होल्डिंग कंपनी स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध करती है।"</p>	<p>में अपनी धारिता को उनके भविष्य की पूंजी आवश्यकता एवं समग्र कार्यनिष्पादन के आधार पर चरणबद्ध तरीके से 52S तक कम करने का निर्णय लिया है। अपने क्षमता पैरामीटर को बढ़ाने हेतु बैंकों को प्रोत्साहित किया जाएगा जो अधिक पूंजी निर्माण एवं बचत की ओर प्रेरित करेंगे जिससे बेहतर पूंजी पर्याप्तता प्राप्त होगी। क्षमता पैरामीटरों के आधार पर धारिता में कमी यह सुनिश्चित करती हैं कि बैंकों की पूंजी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है।</p> <p>वर्ष 2014-15 के दौरान 9 पीएसबी में उनके हित में इक्विटी के अधिमानी आवंटन के माध्यम से 6990 करोड़ रुपए की राशि का निवेश करने का निर्णय लिया गया है। इन बैंकों में निवेश की जाने वाली राशि का पता करने की कार्यप्रणाली क्षमता पैरामीटरों पर आधारित है। सबसे पहले, गत तीन वर्षों के दौरान सभी पीएसबी के आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) का भारित औसत प्राप्त हुआ और उन सब पर, जो औसत से ऊपर है, विचार किया गया। अतिरिक्त पूंजी का यह निवेश इन पीएसबी द्वारा अर्जित निवल लाभ से उनके द्वारा आंतरिक रूप से बनायी गयी पूंजी के अतिरिक्त है। वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान पीएसबी द्वारा अर्जित निवल लाभ का विवरण अनुबंध में दिया गया है। यह निवल लाभ आंतरिक रूप से सृजित निधि है और विनियामकीय निर्धारणों के अनुसार लाभांश, लाभांश पर कर एवं विभिन्न आरक्षित निधियों में विनियोजन/अंतरण के पक्ष में भुगतान के पश्चात् पुनः पूंजी में निवेश किया जाता है।</p>		<p>संबंधी समिति का सुझाव विचाराधीन है।</p> <p>2. होल्डिंग कंपनी गठित करने सहित विभिन्न विकल्पों की जांच इष्टतम समाधान के लिए की जा रही है, जिससे बैंकों को अधिक कार्यकुशल बनाते हुए उनकी पुनर्पूजीकरण आवश्यकता पूरी होगी।</p>

## बैंकों की वित्तीय स्थिति

बैंक का नाम	करोड़ रुपए में					
	निवल लाभ			भारत सरकार द्वारा पूंजी निवेश		
	मार्च-12	मार्च-13	मार्च-14	मार्च-13	मार्च-14	मार्च-15
इलाहाबाद बैंक	1,819	1,157	1,110	0	400	320
आंध्रा बैंक	1,345	1,289	436	0	200	120
बैंक ऑफ बड़ौदा	3,838	3,536	3,387	850	550	1260
बैंक ऑफ इंडिया	2,049	2,368	2,061	809	1000	0
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	431	760	386	406	800	0
भारतीय महिला बैंक लि.	-	-	12	0	0	0
केनरा बैंक	3,178	2,737	2,311	0	500	570
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	533	1,015	(1,263)	2406	1800	0
कॉरपोरेशन बैंक	1,506	1,435	562	204	450	0
देना बैंक	803	810	552	0	700	140
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	1,960	1,690	594	555	1800	0
इंडियन बैंक	1,682	1,485	1,117	0	0	280
इंडियन ओवरसीज बैंक	806	442	446	1000	1200	0
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	1,142	1,328	1,139	0	150	0
पंजाब एंड सिंध बैंक	451	339	301	140	100	0
पंजाब नेशनल बैंक	4,698	4,545	3,080	1248	500	870
सिंडिकेट बैंक	1,243	1,919	1,668	0	200	460
यूको बैंक	1,073	569	1,417	681	200	0
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,688	2,070	1,599	1114	500	0
युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	633	392	(1,213)	100	700	0
विजया बैंक	581	586	416	0	250	0
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	652	730	732	0	0	0
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1,298	1,250	1,020	0	0	0
भारतीय स्टेट बैंक	9,631	11,699	8,605	3004	2000	2970
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	369	416	274	0	0	0
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	796	667	448	0	0	0
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	510	615	316	0	0	0
<b>सरकारी क्षेत्र के बैंक</b>	<b>44,713</b>	<b>45,850</b>	<b>31,511</b>	<b>12517</b>	<b>14000</b>	<b>6990</b>

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े हानि के हैं।

क्र.सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
2.	2	<p>समिति वित्त मंत्रालय से व्यावहारिक बजट अनुमान (ब.अ.) और संशोधित अनुमान (सं.अ.) तैयार करने और आबंटित निधियों का पूर्ण उपयोग करने के लिए कहती रही है। लेकिन, समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि आर्थिक मामले विभाग से संबंधित मांग संख्या 33 के अंतर्गत इस संबंध में स्तीभर भी अंतर नहीं आया है। वर्ष 2013-14 में ब.अ. को 75,274 करोड़ रु. से नाटकीय रूप से घटाकर 16977.45 करोड़ रु. कर दिया गया और वास्तविक व्यय 16,106.94 करोड़ रु. था। योजना शीर्ष के अंतर्गत 5142.45 करोड़ रु. के ब.अ. को बढ़ाकर 6,732.90 करोड़ रु. कर दिया गया और यह विभाग केवल 6504.90 करोड़ रु. खर्च कर सका था जबकि गैर-योजना शीर्ष के अंतर्गत ब.अ. को 70,131.56 करोड़ रु. से आश्चर्यजनक रूप से घटाकर 10,244.64 करोड़ रु. कर दिया गया जबकि खर्च 9,602.04 करोड़ रु. हुए। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आर्थिक मामला विभाग ने ब.अ., सं.अ. और वास्तविक व्यय के बीच असंतुलन को रोकने के लिए उचित सुधारात्मक कदम नहीं उठाए हैं। ऐसी आवृत्ति प्रवृत्ति ने बजट को मात्र एक परंपरा बनाकर रख दिया है। विभाग द्वारा बताए गए कारण नैमित्तिक ही हैं और इस प्रकार, विशेषतः अंतरों की आवृत्ति प्रवृत्ति को देखते हुए, ये कारण विश्वसनीय नहीं हैं। अतः समिति अपनी पूर्ववर्ती सिफारिश को दोहराती है कि आर्थिक मामले विभाग को व्यावहारिक अनुमान तैयार करने और</p>	<p>आईएमएफ में (प्रतिभूतियों और नकदी में) 56000.00 करोड़ रु. के अभिदान के अनपेक्षित होने और योजनाओं तथा परियोजनाओं जिनके लिए ब.अ. 2014-15 में 7000.00 करोड़ रु. का एकमुश्त प्रावधान किया गया था को अनंतिम रूप न मिलने के मुख्य कारण से ब.अ. 2013-14 को 75274.01 करोड़ रु. से घटाकर 16106.94 करोड़ रु. कर दिया गया।</p> <p><u>योजना खंड-</u> निर्भया कोष (1000.00 करोड़ रु.) और राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन तथा मौद्रिक पुरस्कार योजना (1000.00 करोड़ रु.) जिसके लिए 2013-14 में कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था, के प्रवर्तन के मुख्य कारण से ब.अ. 5142.45 करोड़ रु. को बढ़ाकर 6732.90 करोड़ रु. कर दिया गया। इसके लिए वित्त मंत्री ने बजट अभिभाषण में घोषणा की थी। पीपीपी के लिए अवसंरचना विकास सहायता व्यवहार्यता अंतराल निधियन (वीजीएफ) से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रायोजक प्राधिकरणों से कम दावे प्राप्त होने के कारण 6732.90 करोड़ रु. के सं.अ. के मुकाबले में वास्तविक व्यय 6504.90 करोड़ रु. का था।</p> <p>योजना भिन्न खंड- आईएमएफ में (प्रतिभूति और नकदी में) 56000.00 करोड़ रु. के अभिदान के अपेक्षित न होने और जिन योजनाओं तथा परियोजनाओं के लिए ब.अ. 2014-15 में 7000.00 करोड़ रु. का एकमुश्त प्रावधान किया गया था उनके अंतिम रूप न मिलने के मुख्य कारण से ब.अ. 2013-14 के लिए 70131.56 करोड़ रु. से घटाकर 10244.64 करोड़ रु. कर दिया गया। उधार लेने की व्यवस्थाओं (एनएबी) के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण प्रदान करने के लिए अल्प निधियों की अपेक्षा होने के कारण सं.अ. 10244.64 करोड़ रु.के मुकाबले वास्तविक व्यय 9602.04 करोड़ रु. था।</p>	स्वीकृत	



क्र.सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
3.	3	निधियों के पूर्ण उपयोग में अन्य समान मंत्रालयों/ विभागों के लिए एक आदर्श बनने के लिए प्रयास करना चाहिए।  अतः समिति सरकार को यह सिफारिश करती है कि योजना आयोग के स्थान पर वैकल्पिक तंत्र स्थापित किए जाने तक योजना अनुमानों के नियोजन और अनुमोदन का कार्य योजना मंत्रालय को सौंपा जाना चाहिए।	योजना आयोग को समाप्त करने के बाद 2015-16 के आयोजना व्यय के अनुमानों को अंतिम रूप देने का कार्य, वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया है।	अस्वीकृत	
4.	4	बजटीय नियोजन और व्यय की निगरानी के संदर्भ में, समिति ने ध्यानपूर्वक नोट किया है कि इसमें निरंतर कमियां बनी हुई हैं, जैसे अवास्तविक बजट अनुमान; गलत व्यय पैटर्न; निधियों का बेकार पड़े रहना और व्यय पैटर्न की निष्प्रभावी निगरानी। ऐसा देखने में आया है कि अप्रैल, 2006 से आशोधित बजट और नकद प्रबंधन (बी.एण्ड सी.एम) स्कीम के कार्यान्वयन और जुलाई, 2012 में सभी मंत्रालयों/विभागों को इसके दायरे में लाए जाने के बावजूद, आर्थिक कार्य, व्यय और वित्तीय सेवाएं विभाग की मांगों और अनुमानित तिमाही व्यय में समानता का अभाव है। इससे यह पता चलता है कि मासिक व्यय आयोजना (एम.ई.पी) और तिमाही व्यय आबंटन (क्यू.ई.ए) एक व्यर्थ की कार्रवाई है और इससे आशोधित बी.एण्ड.सी.एम स्कीम की दक्षता पर प्रश्न चिह्न लगता है। इससे भी अधिक विचलित करने वाली बात यह है कि वित्त मंत्रालय के विनियोग सं. 35 तथा 38, और मांग सं. 36, 37,39,40 व 45	अगले वित्तीय वर्ष में संबंधित अनुदान डीडीजी में एमईपी तैयार करने संबंधी स्थायी समिति की टिप्पणियों और इस उद्देश्य को हासिल करने हेतु बी.एण्ड.सी.एम स्कीम की समीक्षा को भविष्य में अनुपालनार्थ नोट कर लिया गया है।	स्वीकृत	

क्र.सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
5.	5	<p>संबंधी एम.ई.पी तैयार नहीं की गई है और मंत्रालय की विस्तृत मांगों 2014-15 के साथ संलग्न है। यह आश्चर्य की बात है कि मंत्रालय ने स्वयं इस अनिवार्य अनुमान को किस प्रकार नजरअंदाज किया है। वे इन अनुमानों का अन्य मंत्रालयों/विभाग द्वारा पालन करने की किस प्रकार उम्मीद कर सकते जब वे स्वयं इस विवादित विषय का पालन नहीं कर रहे हैं। समिति ने मंत्रालय की इस विफलता पर घोर हताशा व्यक्त करते हुए यह उम्मीद जताई है कि मंत्रालय के वायदा के अनुसार, उल्लिखित विनियोगों/मांगों के संबंध में एम.ई.पी तैयार कर अगले वित्तीय वर्ष में संबंधित अनुदान के साथ संलग्न की जाएगी। समिति ने वित्त मंत्रालय से बी.एण्ड.सीएम की समीक्षा करने और इसे सुदृढ़ करने का आग्रह भी किया ताकि प्रतिबद्ध उद्देश्यों को हासिल किया जा सके। इस संबंध में, समिति चाहेगी कि मंत्रालय दूसरे प्राशासनिक सुधार आयोग (ए.आर.सी) की सिफारिशों के दृष्टिगत "वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" संबंधी उच्च अधिकार प्राप्त समिति/कार्य समूह की रिपोर्ट यथाशीघ्र तैयार करे और समिति को समूह की सिफारिशों संबंधी की गई कार्रवाई से अवगत कराए।</p> <p>इसके अलावा, समिति मंत्रालय के इस उत्तर से सहमत नहीं है कि बजट तैयार करने की वृहत्तर प्रक्रिया, नई स्कीमों का लागू/तैयार किया जाना, उनका कार्यान्वयन, दिशानिर्देशों का जारी किया जाना आदि से संबंधित खामियां संबंधित मंत्रालयों/</p>	<p>सभी मंत्रालयों/विभागों में बजट आईएफडी में डील कर रहे अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए व्यय विभाग ने पहल की है। नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फाइनेंस मैनेजमेंट (एनआईएफएम) फरीदाबाद द्वारा प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है।</p>	स्वीकृत	

क्र.सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
6.	6	<p>विभागों द्वारा दूर की जानी हैं। यह ठीक है कि संबंधित मंत्रालय/विभाग ही इन उपायों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं लेकिन वित्त मंत्रालय इस जिम्मेदारी से स्वयं को पूर्णरूपेण मुक्त नहीं कर सकता। अतः समिति मंत्रालय से नियमों, दिशानिर्देशों और अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों का समग्र पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करने की उम्मीद करती है।</p> <p>समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि व्यय विभाग जो बजट तैयार करने के लिए नोडल विभाग है, जिससे संबंधित मंत्रालयों/विभागों के समक्ष एक आदर्श की भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है, ने सामान्य वित्तीय नियम और दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है। आबंटन के अनुरूप स्कीमें तैयार होने और उनकी मंजूरी के इंतजार में वर्षों तक निधियों को रोके रखना इस विभाग की आदत रही है। उदाहरणार्थ 'महिलाओं की सुरक्षा हेतु निर्भया निधि' की स्थापना 1000.00 करोड़ रुपए के आरंभिक आबंटन से सितम्बर, 2013 में की गई थी लेकिन लोक लेखा में खाता देर से, जनवरी, 2014 में खोला गया। तत्पश्चात् 2013-14 में 1000.00 करोड़ रुपए का और बजट अनुमान 2013-14 में अन्य 1000.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया लेकिन निधि की स्थापना के समय से ही कोई उपयोग नहीं किया गया है। निधि की स्थापना के दो वर्ष के पश्चात् नाममात्र के आबंटन के साथ दो स्कीमों, जिनमें</p>	<p>निधियां अपवाद की स्थिति में ही लोक खाते में सृजित की जाती हैं, जब आबंटन को वित्तीय वर्ष से परे स्कीमों/परियोजनाओं में उपयोग में लाने की प्रतिबद्धता जताई जाती है। ये निधियां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से सृजित की जाती हैं। सी एंड एजी के साथ परामर्श करके कोष बनाया गया है। महिला सुरक्षा एवं संरक्षा की दृष्टि से विभिन्न स्कीमों के लिए राशि उपयोग में लाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। देश भर में महिलाओं की संरक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक पर्याप्त उपायों के वित्त पोषण के लिए कोष गठित किया गया था इसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से लोक खाते में खोला गया था ताकि इस राशि का पूरे वित्त वर्ष के दौरान संस्करण स्कीम के निधियन के लिए उपयोग किया जा सके। 1000.00 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से 157 शहरों को कवर करते हुए मोबाइल बैंक और नियंत्रण कक्ष से मुसीबत में फंसे लोगों से संकेतों के बैकपड एकीकरण के संबंध में गृह मंत्रालय की स्कीम अनुमोदित की गई है और केन्द्रीय बजट 2014-15 में 150.00 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने सूचना दी है कि तब से परियोजना प्रबंधन परामर्श ने मौजूदा प्रतिक्रिया प्रणाली के मूल्यांकन के लिए कुछ शहरों में दौरो सहित कुछ प्रारंभिक अध्ययन पूरे कर लिए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 1700.00 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से</p>	स्वीकृत	

क्र.सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
7.	7	<p>एक में 50.00 करोड़ रुपए और एक अन्य (जिसके संबंध में समिति को आबंटित निधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई), को मंजूरी दी गई और इनका कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह भी देखने में आया है कि निधि का नाम ही गलत है क्योंकि इसमें “बालिका” शामिल नहीं है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सरकार अपने सर्वोत्तम आशयों के बावजूद, निर्भया निधि के अंतर्गत आबंटित निधियों का उपयोग करने में विफल रही है। अतः समिति सरकार से सभी हितधारकों से परामर्श से निर्भया निधि के कार्यक्षेत्र और उद्देश्यों की समीक्षा तथा पुनर्संरचना का आग्रह करती है ताकि इस अलग निधि को स्थापित करने का आशय बिना और विलंब के सार्थक हो सके।</p> <p>समिति यह नोट करके उद्विग्न है कि “असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु राष्ट्रीय समाज कल्याण निधि” के मामले में 2013-14 तक 1820.00 करोड़ रुपये की निधियां इक्की हो चुकी हैं। जबकि वास्तविक व्यय “शून्य” है। तथापि, 2014-15 में भी इस निधि हेतु 607.00 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है लेकिन 2014-15 की पहली तिमाही तक एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या चालू वित्त वर्ष में निधि के उपयोग के लिए कोई स्कीम तैयार/मंजूर की गई है/ कार्यान्वित की जा रही है। यह समझ के परे है कि ऐसे महत्वपूर्ण शीर्ष के अंतर्गत निधियां अव्ययित कैसे रही। चालू वित्त वर्ष के दौरान समूची जमा राशि का उपयोग करने पर बल देते</p>	<p>1 मिलियन से अधिक आबादी वाले 32 शहरों को कवर करते हुए 1 अन्य स्कीम अनुमोदित की गई है। मंत्रालय ने सूचना दी है कि उन्होंने अपनी ओर से स्कीम के ब्यौरे और स्कीम की समय पर ब्याख्या करने के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई के लिए चरणबद्ध तरीके से लाभार्थी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श शुरू किया है।</p> <p>समिति द्वारा की गई टिप्पणियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा है।</p>	स्वीकृत	श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सूचना दी है कि कोई प्रस्ताव/स्कीम न होने के कारण राष्ट्रीय समाज सुरक्षा कोष’ में रखी गई निधि का उपयोग नहीं

क्र.सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
8.	8	हुए, समिति इस शीर्ष के अंतर्गत निधियों के अब तक अव्ययित रहने के कारणों पर स्पष्टीकरण भी चाहती है।  एक अन्य निधि, “राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि” के मामले में भी, जबकि 2013-14 तक प्रदान की गई 3759.00 करोड़ रु. की निधियों में से केवल 50 प्रतिशत निधियां अर्थात् 1770.34 करोड़ रु. ही व्यय किए गए हैं, विशाल संख्या में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं/स्कीमों के मद्देनजर ब.अ. 2014-15 में 4700.00 करोड़ रु. की विशाल राशि का प्रावधान किया गया है। उन परियोजनाओं/स्कीमों के विशिष्ट ब्यौरे के अभाव में, इस बात पर भी संदेह है कि निर्धारित निधियों का पूर्ण उपयोग हो पाएगा समिति संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रारंभिक कार्य को अंतिम रूप दिए जाने/उपयोग क्षमता के विश्लेषण के बिना बार-बार विशाल निधियों के प्रावधान पर अत्यंत निराश है। समिति आर्थिक कार्य विभाग से कम से कम अब तो बिना किसी स्कीम लक्ष्यों और कार्यान्वयन तंत्र के, उपर्युक्त आबंटनों की समीक्षा की आशा करती है। समिति विभाग से अप्रयुक्त निधियों को भारत की समेकित निधि में स्थानांतरित करने की सिफारिश भी करती है ताकि इन निधियों का उपयोग प्राथमिकता वाली अन्य स्कीमों के लिए किया जा सके।	निधि को उपयोग में लाया जा रहा है। बजट 2014-15 और 2015-16 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को नेशनल क्लीन एनर्जी फण्ड (एनसीईएफ) से पर्याप्त परिव्यय उपलब्ध कराया गया था। इसके अलावा, सभी मौजूदा कार्यालय ज्ञापनों और वजटीय कवायदों को पुनः दोहराया जा रहा है।	जांच की जाएगी।	किया जा सका।
9.	9	समिति समझती है कि लघु बचतों को सामाजिक सुरक्षा का उपकरण माना जाता है और इसलिए,	सरकार ने राष्ट्रीय अल्प बचत निधि की व्यापक समीक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है।	स्वीकृत	

क्र.सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
		<p>इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इनके कुशलतापूर्ण प्रबंधन की आवश्यकता है। लघु बचतों के सभी सौदे 1 अप्रैल, 1999 को स्थापित 'राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ)' के अंतर्गत लेखांकित किए जाते हैं। समिति नोट करती है कि वित्त ने एनएसएसएफ की विस्तृत समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट (जून, 2011) में अन्य बातों के साथ-साथ प्रबंधन लागत तथा लघु बचतों की प्राप्ति तथा उनके निवेश के बीच लगने वाले समय में कमी; एनएसएसएफ की व्यवहार्यता में सुधार के लिए लंबित प्रचालनात्मक मुद्दों को हल करने के लिए एक निगरानी समूह गठित करने की सिफारिश की थी। तदनुसार, मंत्रालय ने निवेश अवधि घटा दी; पुनर्भुगतान पर लगी रोक हटा दी; सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बचत लेखपत्रों पर ब्याज निर्धारित कर दिया; लोक भविष्य निधि स्कीमों पर और वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीमों पर एजेंटों का कमीशन समाप्त कर दिया; लघु बचत स्कीमों पर एजेंटों का कमीशन कम कर दिया। लेकिन, समिति यह देखकर अत्यंत चिंतित है कि ये उपाय एनएसएसएफ के तुलन-पत्र में सुधार करने में विफल रहे हैं। एनएसएसएफ का घाटा लगातार बढ़ ही रहा है जो 2012-13 (वास्तविक) में 13,775.93 करोड़ रुपये था, 2013-14 में 22,172.20 करोड़ रुपये हो गया और ब.अ. 2014-15 में यह 21,753.26 करोड़ रुपये हो गया क्योंकि ब्याज भुगतान आय से अधिक है, और प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रबंधन लागत में वृद्धि</p>	<p>समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने निर्णय लिए हैं। एनएसएसएफ के घाटे को कम करने के मुख्य उपाय: (i) लोक भविष्य निधि स्कीम और वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम के तहत एजेंसी का कमीशन बंद कर दिया गया। कुछ अन्य स्कीमों में कमीशन घटा दिया गया। (ii) आय और व्यय में समानता लाने के लिए अल्प बचतों पर ब्याज दर को सरकारी क्षेत्र की दरों के साथ जोड़ा गया। (iii) केन्द्र और राज्यों द्वारा ब्याज का अर्धवार्षिक भुगतान शुरू किया गया। (iv) केन्द्र और राज्यों द्वारा एनएसएसएफ की अदायगी की अवधि बिना किसी स्थगन के घटाकर दस वर्ष कर दी गई। 2. छोटी बचत स्कीमों के प्रचालन के लिए डीओपी को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक से संबंधित मामलों के समाधान के लिए अपर मुख्य सलाहकार (लागत) की अध्यक्षता के तहत विशेषज्ञ समूह गठित किया गया। विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों की जांच करने के बाद लिए गए निर्णयों को डाक विभाग को सूचित कर दिया गया था और विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर प्रतिवर्ष पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है। 3. जहां तक छोटी बचतों और उनके निवेश में समय अंतराल को घटाने का संबंध है, यह सूचित किया जाता है कि डाक विभाग के तहत संग्रह सीधे सरकार के खाते में जमा किया जाता है। बैंकों के संबंध में समय अंतराल को घटाने के लिए सरकार ने मामले को बैंकों के साथ उठाया है ताकि रिपोर्टिंग अंतराल को घटाने के लिए एक तंत्र तैयार किया जा सके।</p>		

क्र.सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
		<p>होती है। उल्लेखनीय रूप से, प्रबंधन लागत के अंतर्गत, डाक विभाग पर एजेंसी प्रभार, जिसमें नई प्रौद्योगिकी और डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण होने के फलस्वरूप कमी की अपेक्षा की जाती है, 2012-13 के 5031.60 करोड़ रुपये से बढ़कर 2013-14 में 5470.52 करोड़ रुपये और ब.अ. 2014-15 में 5901.90 करोड़ रुपये हो गया। इस संबंध में, समिति नोट करती है कि उसे लघु बचत लेख पत्रों के प्रचालन के लिए डाक विभाग को देय एजेंसी प्रभार की दरों की समीक्षा के लिए 9 अप्रैल, 2010 को गठित विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट से अवगत नहीं कराया गया है। इसके अलावा, एजेंटों को कमीशन का भुगतान 2011-12 के 1714.41 करोड़ रुपये से घटकर 2012-13 में 1492.56 करोड़ रुपये रह गया था लेकिन सं.अ. चरण पर यह ब.अ. 1300.00 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 1479.40 करोड़ रुपये (2013-14) हो गया। परन्तु पुनः इसकी वृद्धि 1346.50 करोड़ रुपए तक अनुमानित थी। मुद्रण लागत में भी कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई है क्योंकि समीक्षा अवधि के दौरान यह 30.00 करोड़ रुपये के आस-पास रही है। समिति को ऊपर वर्णित सिफारिशों के अनुसार लंबित प्रचालनात्मक मुद्दों को हल करने के लिए एक निगरानी समूह का गठन करने और लघु बचतों की प्राप्ति और उनके निवेश के बीच समयावधि को कम करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों से भी समिति को सूचित नहीं किया गया। अतः, उपर्युक्त निष्कर्षों के फलस्वरूप, समिति को मंत्रालय के</p>			

क्र.सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
10.	10	<p>इस अनुमान पर संदेह है कि उसके द्वारा उठाए गए कदमों से परिणाम प्राप्त होंगे और एनएसएसएफ के घाटे में कमी आएगी। अतः समिति मंत्रालय से सभी मानदण्डों के निर्धारण सहित एनएसएसएफ के समग्र प्रबंध में सुधार के लिए समुचित उपाय करने पर बल देती है। समिति का यह प्रतिवेदन प्रस्तुत होने की तारीख से एक महीने के अंदर डाक विभाग को एजेंसी प्रभार की समीक्षा के लिए एनएसएसएफ विस्तृत समीक्षा समिति (जून, 2011) और विशेषज्ञ समूह (अप्रैल, 2010) की रिपोर्ट और उनके परिणामों से अवगत कराया जाए। समिति मंत्रालय से सजग रहने और यह सुनिश्चित करने की भी आशा करती है कि भविष्य में ऊपर उल्लिखित सभी पहलुओं से संबंधित संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।</p> <p>समिति यह नोट करके चिंतित है कि जबकि “कागज रहित” कार्य शैली को प्रोत्साहित किया जा रहा है, वित्त मंत्रालय ने लगभग 2000 पृष्ठों वाले 18 बजट दस्तावेज प्रस्तुत किए तथा उसकी एक लाख से अधिक प्रतियां छापीं जबकि मंत्रालय समिति द्वारा दिए गए इस सुझाव से सहमत है कि “छोड़े गए राजस्व का विवरण” शीर्षक वाले बजट दस्तावेज में पुनरावृत्ति को समाप्त करें, यह समिति द्वारा किए गए अन्य प्रमुख सुधारों के संबंध में मौन है जैसे कि कागजरहित बजट के प्रस्तुतीकरण में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, प्रतिवेदनों का विलयन जैसे कि मंत्रालयों/विभागों का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके परिणामी बजट</p>	<p>स्थायी समिति की टिप्पणियों के आलोक में बजट 2015-16 में मुद्रित बजट दस्तावेजों की संख्या पर्याप्त कम हो गई। इसके अलावा समिति द्वारा अनुशंसित विशेषज्ञ दल का भी गठन किया गया है और विचार-विमर्श शुरू कर दिया गया है। समिति हर संभव सीमा तक बजट दस्तावेजों के वितरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपयोग की संभावनाएं तलाश रही है।</p>	स्वीकृत	



क्र.सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
11.	11	<p>में बहुत कछ समान होता है; तथा बजट दस्तावेजों को अधिक पारदर्शी तथा उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना। समिति दृढ़तापूर्वक मंत्रालय के इस लगातार मौन की निन्दा करती है तथा उनसे यह अपेक्षा करती है कि संसदीय समिति को जानकारी प्रस्तुत करते समय सतर्क रहें तथा यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में बिना किसी गलती के समिति की सभी टिप्पणियों/सिफारिशों का बजट दस्तावेजों की समीक्षा करने के लिए तथा तार्किक बनाने के लिए और पूरे बजट के कार्य को न केवल लागत प्रभावी बनाने के लिए बल्कि पर्यावरण एवं जन अनुकूल बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन करें।</p> <p>वित्त संबंधी समिति (2012-13) ने अपने सड़सठवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि निधियों के प्रावधान में संकेतवाद तथा स्कीमों के अनुमोदन के बिना समय से पहले आबंटन से बचना चाहिए। आर्थिक कार्य विभाग ने समिति की सिफारिश का अनुपालन करते हुए सभी मंत्रालयों/विभागों को उचित निदेश जारी किए कि सक्षम प्राधिकरणों की स्वीकृति के बिना प्रस्तावित स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए उद्देश्यों, लक्ष्यों, आबंटनों तथा प्रणालियों के बारे में विशिष्ट विवरणों को अंतिम रूप दिए बिना सांकेतिक प्रावधान समेत नई सेवाएं/सेवाओं के नए उपकरण के लिए निधियां जारी नहीं की जाएंगी। तथापि, समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि बजट अनुमान 2014-15 में</p>	<p>समिति द्वारा बनाई गई सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है। सभी मंत्रालयों/विभागों को जरूरी निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं कि सक्षम प्राधिकारी का समय पर अनुमोदन प्राप्त करने और मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवधिक आधार पर चलाई जा रही स्कीमों की प्रगति की समीक्षा हेतु आवश्यक उपचारी उपाय किए जा सकें ताकि आबंटित निधियों को चरणबद्ध ढंग से पूरी तरह उपयोग में लाया जा सके। इससे संसद द्वारा मध्यावधिक समीक्षा में अनुमोदित बजट प्रावधान के अनुरक्षण में आसानी होगी। इसी प्रकार मंत्रालयों/विभागों से भी अनुरोध किया गया है कि नई स्कीमों की निधियों को, जिसमें टोकन प्रावधान शामिल है, के विशिष्ट ब्यौरे जैसे उद्देश्यों, लक्ष्यों, आबंटनों और कार्यान्वयन की प्रणाली को अंतिम रूप दिए बगैर तय न किया जाए। मंत्रालयों/विभागों द्वारा इन निर्देशों का पालन करना अपेक्षित है।</p>	स्वीकृत	

क्र.सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
		<p>सक्षम प्राधिकरण के अंतिम रूप/स्वीकृति के लंबित होने के बावजूद नई सेवाएं/सेवाओं के नए साधन के लिए सांकेतिक प्रावधान अर्थात् प्रस्तावित राष्ट्रीय आर्थिक नीति संस्थान के लिए 0.01 करोड़ रु., प्रस्तावित संस्थान “3पी इंडिया” के लिए 500 करोड़ रु., तथा कृषि क्षेत्र के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि का गठन करने के लिए 500 करोड़ रु. प्रदान कर दिए गए हैं। इन सांकेतिक प्रावधानों के लिए विभाग द्वारा बताया गया औचित्य यह है कि दिए गए निदेशों के अनुसार, संसद की सहमति के बिना किसी नई सेवा/नई स्कीम पर कोई व्यय नहीं किया जा सकता है, और तदनुसार, सांकेतिक प्रावधान सामान्यतः किसी नई स्कीम को आरंभ करने के लिए किया जाता है जिसकी सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त होने की संभावना होती है। तथापि, समिति यह पाती है कि विभाग ने “सांकेतिक मांग” से संबंधित सामान्य वित्तीय नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए जानबूझकर यह टोकन प्रावधान किए हैं तथा समिति द्वारा की गई सिफारिशें तथा स्वयं विभाग द्वारा जारी किए गए लिखित निर्देशों का पालन नहीं किया है। यह अधिक चिंताजनक है कि नई सेवाओं/नई स्कीमों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है तथा स्वीकृत नहीं किया गया है यद्यपि हम बारहवीं योजना के मध्य में हैं। समिति विभाग द्वारा दिए गए औचित्य को स्वीकार नहीं करती है तथा इस संबंध में उनका विशिष्ट उत्तर चाहती है। समिति अपने पूर्व प्रतिवेदन को दोहराते हुए इस बात पर बल देना चाहती है कि सक्षम</p>			

क्र.सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
12.	12	<p>प्राधिकरण के लंबित अंतिम रूप/स्वीकृति के होते हुए नई सेवाओं/नई स्कीमों के लिए सांकेतिक प्रावधानों के लिए संसद की सहमति को नित्य चर्चा का विषय नहीं मानना चाहिए जैसा कि इस मामले में किया गया है।</p> <p>समिति एक और मामले में यह नोट करती है कि आर्थिक कार्य विभाग ने बजट अनुमानों को तैयार करने में बजट परिचालन (2014-15) में अंतर्विष्ट अपने ही निर्देशों का पालन नहीं किया है। वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) का वास्तविक व्यय 2012-13 तथा बजट अनुमान/संशोधित अनुमान 2013-14, जैसा कि बजट परिचालन (2014-15) में दर्शाया गया है, को उपभोक्ता मामले विभाग से वायदा बाजार आयोग का आर्थिक कार्य विभाग में अंतरण को देखते हुए मांग संख्या 33 में बजट अनुमान 2014-15 में प्रमुख शीर्ष 3475 के अंतर्गत वायदा बाजार आयोग के लिए किए गए 60.23 करोड़ रु.के प्रावधान के सामने नहीं दर्शाया गया है। समिति विभाग को यह चेतावनी देती है कि भविष्य में बजट अनुमान तैयार करते समय सावधानी बरतें तथा यह सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार की लापरवाही, जैसा कि इस मामले में हुआ, से बचें।</p>	<p>वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) के 2012-13 के वास्तविक आंकड़े और 2013-14 के ब.अ./सं.अ., वर्ष 2014-15 के अनुदान की ब्यौरे वार मांगों (मांग सं.-33 आर्थिक कार्य विभाग) में इस तथ्य के कारण नहीं दिखाए गए हैं कि-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आर्थिक कार्य विभाग में ब.अ. 2014-15 के लिए पहली बार प्रावधान, एमएच-3475-एफएमसी के अंतर्गत किया गया।</li> <li>2. वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) के 2012-13 के वास्तविक आंकड़ों और 2013-14 के ब.अ./सं.अ. का उल्लेख करने से आंकड़ों में घालमेल हो जाएगा क्योंकि एफएमसी 2012-13 और 2013-14 में आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रण में नहीं था।</li> </ol>	स्वीकृत	
13.	13	<p>इसके अलावा, समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि वायदा बाजार आयोग, वायदा बाजार का विनियामक आरंभ से ही बिना किसी वित्तीय स्वायत्ता के कार्य कर रहा है, जबकि अन्य</p>	<p>सितम्बर, 2013 तक वायदा बाजार आयोग के लिए प्रशासनिक विभाग, उपभोक्ता कार्य विभाग था। वायदा बाजार आयोग को दिनांक 5.9.2013 की केंद्रीय मंत्रिमंडल की अधिसूचना के जरिए आर्थिक कार्य विभाग के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है। संबंधित मामले के</p>	स्वीकृत	

क्र.सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
14.	14	<p>विनियामक नामतः बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के साथ ऐसा नहीं है तथा यह अपनी स्थापना तथा अन्य व्यय के लिए अनुदान के लिए केन्द्र सरकार पर पूर्णतया निर्भर है। समिति यह भी नोट करती है कि आयोग को अपने वित्तीय संसाधन उत्पन्न करने के लिए सक्षम बनाए, ताकि वह अपने व्यय पूरे कर सके, इसके लिए वित्त मंत्रालय वायदा संविदा (विनियम) अधिनियम, 1952 के एक संशोधन विधेयक पर विचार कर रहा है। वायदा बाजार आयोग को एक आत्मनिर्भर इकाई बनाने की अत्यंत आवश्यकता को देखते हुए, समिति मंत्रालय को यह सिफारिश करती है कि संशोधन विधेयक को अधिनियमित करने के लिए तत्काल कदम उठाए, हो सके तो संसद के चालू शीत सत्र में।</p> <p><b>सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पूंजी निवेश:</b> समिति यह मानती है कि देश के लोगों की बढ़ती ऋण आवश्यकताओं और बेसल-III अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए नई पूंजी लगाने की आवश्यकता है। सरकार विगत वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पूंजीकरण में भारी राशि निवेश करती रही है। इस संबंध में समिति अपनी चिंताओं को बार-बार दोहराती रही है कि बजट से इस प्रकार का निवेश निरंतर न चलता रहे क्योंकि इससे सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अक्षमता और अकार्यकुशलता को बढ़ावा मिलता है। तदनुसार,</p>	<p>हस्तांतरण के बाद इस विभाग में वायदा बाजार आयोग को सुदृढ़ करने के उपाय शुरू किए हैं। वायदा बाजार आयोग को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है।</p> <p>2. जहां तक एफसीआरए, 1952 के संशोधन विधेयक का संबंध है, यह बताया जाता है कि शीत कालीन सत्र 2013 और बजट सत्र 2014 के दौरान दो बार नोटिस दिए गये थे। जिनमें महा सचिव, लोक सभा से निम्नलिखित के लिए प्रस्ताव किया गया था (i) विधेयक 'वायदा अनुबंध (विनियम) संशोधन विधेयक, 2010' और (ii) विधेयक पारित करना। हालांकि विधेयक पर विचार नहीं किया गया और 15वीं लोक सभा के भंग होने के साथ इसका समय बीत गया।</p> <p>3. उत्पाद व्युत्पन्न बाजार के विनियमन को और अधिक मजबूत करने के लिए अब इस बाजार के विनियम को बाजार प्रतिभूति के साथ मिलाने और भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) के नियमन अधिकार क्षेत्र में देने का प्रस्ताव है। वित्त विधेयक 2015 में अन्य बातों के साथ-साथ एफएमसी को सेबी के साथ आमेलित करने के प्रावधान है।</p> <p>सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पूंजी का निवेश दो उद्देश्यों - अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र की ऋण आवश्यकता को पर्याप्त रूप से पूरा करने तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में विनियामकीय पूंजी पर्याप्तता मानदंड को बनाए रखने के लिए किया जाता है। मुख्य शेरधारक के रूप में भारत सरकार सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों में पर्याप्त पूंजी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकार का पूंजी निवेश उनके आंतरिक पूंजी अर्जन और रूपांतरण के अतिरिक्त टीयर-। जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) को पर्याप्त स्तर पर बनाए रखने में बैंक को सक्षम बनाने के लिए किया जाता है।</p> <p>दिनांक 10.12.2014 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उनकी पूंजी आवश्यकता, उनके स्टॉक के कार्यनिष्पादन,</p>	स्वीकृत	

क्र.सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
		<p>समिति ने वित्तीय समेकन तथा बेसल-III मानदंड को पूरा करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पूंजी पर्याप्तता को बनाए रखने की अपेक्षा पर विचार करके यह सिफारिश की थी कि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को केवल बजटीय सहायता पर निर्भर न रहकर अपने पुनर्पूँजीकरण के लिए आंतरिक निधियों का भी सृजन करना चाहिए। पूर्व में समिति ने वित्त मंत्रालय से भी अनुरोध किया था कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धारक कम्पनी स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाए। तथापि, समिति यह देखकर निराश है कि सरकार ने बजट अनुमान 2014-15 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पूंजीकरण के लिए पुनः 11,200.00 करोड़ रुपये की भारी राशि का प्रावधान किया है। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में सरकार की अस्पष्ट रूपरेखा/कार्यनीति न होने के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक बेसल-III मानदंड को पूरा करने के लिए तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट (दिसम्बर 2013 और जून 2014) में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निम्नतम जोखिम भारित आस्तियों की तुलना पूंजी अनुपात (सीआर एआर) के संबंध में व्यक्त की गई गंभीर चिंता के समाधान के लिए 4.95 ट्रिलियन रुपये की अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, धारक कम्पनी के गठन के संबंध में मंत्रालय द्वारा कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। अतः समिति अपनी पूर्व की सिफारिशों को दोहराते हुए मंत्रालय से</p>	<p>नकदी, बाजार की आवश्यकता तथा प्रत्येक बैंक के लिए वित्त मंत्री के विशेष अनुमोदन से मामला-दर-मामला आधार पर पूंजी तथा संसाधनों के कुशल प्रयोग के लिए निर्धारित की जाने वाली ऐसी अन्य शर्तों के अधीन भारत सरकार की श्रेयधारिता को चरणबद्ध रूप में 52% तक कम करके एफपीओ या क्यूआईपी के जरिए सार्वजनिक बाजार से पूंजी एकत्र करने की अनुमति दी गई है। धारक कंपनी का गठन विचाराधीन है।</p>		

क्र.सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
15.	15	<p>पुनः अनुरोध करती है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बेसल-III मानदंड को पूरा करने के लिए तथा बिना कोई समय गंवाए बैंकों के संतुलित तुलन-पत्र को सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा/कार्यनीति तैयार करें।</p> <p>समिति ऋण पर अस्थिर ब्याज के भुगतान से अत्यधिक चिंतित है जो सरकार के विकास तथा कल्याणकारी क्रियाकलाप के व्यय को बुरी तरह प्रभावित करेगा। वर्ष 2012-13 में 3,30,182.68 करोड़ रु. के वास्तविक से वर्ष 2013-14 में ऋण पर ब्याज का भुगतान बढ़कर संशोधित अनुमान में 4,00,500.66 करोड़ रु. हो गया, तथा बजट अनुमान 2014-15 में बढ़कर 4,49,882.66 करोड़ रु. हो गया। यह मुख्य रूप से आंतरिक ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए है जो वर्ष 2012-13 के वास्तविक 2,81,890.56 करोड़ रु. (2013-14) हो गया तथा यह और बढ़कर 3,97,776.11 करोड़ रु. (बजट अनुमान 2014-15) हो गया। तथापि, बाह्य ऋण पर ब्याज का भुगतान पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 4,000.00 करोड़ रु. पर बना रहा। समिति यह भी नोट करती है कि निवल कर राजस्व की प्रतिशतता के तौर पर ब्याज का भुगतान वर्ष 2009-10 से 40 प्रतिशत के स्तर पर बना हुआ है। समिति की राय में यदि सामाजिक क्षेत्र तथा आधारभूत ढांचों के विकास के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाने हैं तो राजस्व बढ़ाना होगा तथा ऋण पर ब्याज के भुगतान को काफी कम करना</p>	<p>ब्याज का भुगतान सरकार की प्रतिबद्ध देयता होते हुए, भारत के संविधान के 112(3)(ग) की शर्तों के तहत यह भारत व्यय है। बजट अनुमानों को साल के शुरूआती समय में प्रस्तावित होने से, विभिन्न आकलन अधिकारियों और व्यय के रुझानों से प्राप्त आवश्यकताओं के आधार पर तैयार किया जाता है। ये सभी भुगतान बहुत से निम्न कारकों पर आश्रित हैं जैसे बाजार उधार, ब्याज दरों में परिवर्तन, विदेशी विनिमय दर आदि। विनिमय दर ब्याज दर में परिवर्तन की सटीकता से पूर्व मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ब्याज भुगतान के संबंध में देयता, कार्यवाही वर्ष के दौरान मूल्यांकित और संशोधित होती है और पुनः आबंटन, अनुपूरक विनियोग इत्यादि, संशोधित अनुमान स्तर पर प्रभावित होता है ताकि विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अधिशेष व्यय को पूरा किया जा सके।</p> <p>2. तथापि, सरकार सब तरह के सुधारपरक उपायों को अपना रही है ताकि, संसद द्वारा अधिकृत विनियोग के तहत ब्याज व्यय को सीमित रख सके। हालांकि यह संसद द्वारा अनुमोदित उधारी के स्तर पर निर्भर करेगा। सरकार के द्वारा राजस्व सुधार और उन्नयन के उपाय भी किये जा रहे हैं।</p>	स्वीकृत	

क्र.सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
16.	16	<p>होगा। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि ब्याज के भुगतान को कम करने के लिए तथा राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार को अक्षरशः शीघ्रातिशीघ्र ठोस उपाय आरंभ करने चाहिए।</p> <p>समिति नोट करती है कि योजना आयोग/संबंधित मंत्रालयों की सिफारिशों के आधार पर योजना अनुदान और वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर गैर-योजना अनुदान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को व्यय विभाग द्वारा संचालित मांग के माध्यम से जारी किए जाते हैं। वित्त समिति (2012-13) ने अपनी 51वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश भी की थी कि केन्द्रीय सहायता योजना स्कीमों के लिए धनराशि, व्यय विभाग की मांग से जुटाने के बजाय संबंधित नोडल मंत्रालयों/विभागों की मांगों से जुटाई जाए। समिति यह जानकर प्रसन्न है कि उनकी सिफारिशों के अनुसरण में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम नामक पांच योजना स्कीमों के लिए अनुदान जो पहले व्यय विभाग की मांग से जारी किए जाते थे, अब ब. प्रा. 2014-15 से संबंधित मंत्रालयों की मांगों में स्थानांतरित हो गए हैं। तथापि, समिति को प्रदान की गई सूचना से यह पता चला है कि राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता; अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त</p>	<p>चूंकि इन स्कीमों के तहत परियोजनाएं बहु-विषयक स्वरूप की होती हैं और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में फैली हुई हैं और कि योजना आयोग की अपनी स्वयं की कोई मांग नहीं है, इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की मांग सं.36 में समायोजित किया गया था और इसलिए उपर्युक्त योजना स्कीमों के लिए बजट प्रावधान वित्त मंत्रालय की अनुदान मांग में उपयुक्त रूप से किया गया था।</p> <p>तथापि, सरकार ने अब केन्द्रीय करों के विभाज्य कोष में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% किए जाने के संबंध में 14वें वित्त आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली है। इस सिफारिश से राज्यों को संसाधनों के असंबद्ध हस्तांतरण के प्रवाह में वृद्धि होगी। इन स्कीमों को अंतरण की बढ़ी हुई दर में शामिल किया गया है। अतः बजट प्राक्कलन 2015-16 में समिति द्वारा उल्लिखित स्कीमों के लिए कोई आबंटन नहीं है।</p>	स्वीकृत	

क्र.सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
17.	17	<p>केन्द्रीय सहायता; (i) पर्वतीय क्षेत्रों/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम; विशेष योजना सहायता; और (ii) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता नामक कुछेक योजना स्कीमों के लिए धनराशि जो संबंधित नोडल मंत्रालयों/विभागों की मांग से प्राप्त की जानी चाहिए, व्यय विभाग द्वारा संचालित मांग सं. 36 में मांगी गई है। इसलिए, समिति ने सिफारिश की है कि उपर्युक्त शेष योजना स्कीमों के लिए बजट प्रावधान की मांग भी संबंधित नोडल मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों में की जाए।</p> <p>समिति इस बात पर जोर देती रही है कि इस समय चालू केन्द्र द्वारा प्रायोजित अधिकांश स्कीमों और कार्यक्रमों को यथा-संभव अनुपात में सुचारु और युक्तिसंगत बनाया जाए। तदनुसार सरकार ने हाल ही में केन्द्र द्वारा प्रायोजित 126 स्कीमों/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीमों की 66 स्कीमों में पुनर्संरचना की है जिनमें 17 फ्लैगशिप कार्यक्रम शामिल हैं। तथापि, समिति यह जानकार क्षुब्ध है कि राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के तहत आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अथवा एक बारीय स्वरूप की सहायता के लिए मांग सं. 36 में 2013-14 में शुरू की गई "अन्य अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता" नामक एक नई योजना स्कीम "अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता" की विद्यमान बजट लाइन में शामिल</p>	<p>सामान्य श्रेणी के राज्यों को अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के तहत 30 प्रतिशत (केन्द्र):70 प्रतिशत (राज्य) के अनुपात में सहायता प्रदान की जाती है जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों को 90 प्रतिशत (केन्द्र):10 प्रतिशत (राज्य) के अनुपात में सहायता प्रदान की जाती है। "अन्य अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता" एक बारीय स्वरूप की परियोजनाओं जो "अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता" की विद्यमान बजट लाइन में सम्मिलित नहीं हैं, की सहायता हेतु राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के तहत आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए 2013-14 में वित्त मंत्रालय की मांग सं. 36 में शुरू की गई नई बजट लाइन है और इस पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाता है। यह बजट लाइन राष्ट्रीय खेलों और कुम्भ मेला जैसे विशाल कार्यक्रमों जो विद्यमान सीएसएस/सीएस अथवा किसी अन्य बजट लाइन में शामिल नहीं हैं, के आयोजन के लिए राज्यों में सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक विभिन्नताओं के कारण व्यापक रूप से भिन्न विकास सरोकारों के समाधान के लिए विशेष रूप से 30</p>	स्वीकृत	



क्र.सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
18.	18	<p>नहीं है। समिति, वित्त मंत्रालय की केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीमों की पुनर्निर्धारित सीमा के उल्लंघन की कड़ी निंदा करती है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि वित्त मंत्रालय को लोक व्यय की दक्षता में सुधार लाने के लिए "अन्य अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता" और "अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता" नामक स्कीमों की समीक्षा और पुनर्संरचना करनी चाहिए।</p> <p>समिति को व्यय विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से यह भी ज्ञात होता है कि "अन्य एसीए" स्कीमों के तहत बजट प्राक्कलन 2014-15 में 1180.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें संसाधनों की कमी को पूरा करने तथा राज्य की नई राजधानी के लिए आवश्यक सुविधाओं के सृजन हेतु आंध्र प्रदेश राज्य के लिए धनराशि शामिल है। तथापि, उपर्युक्त प्रत्येक प्रयोजन के लिए आबंटन की मात्रा का अलग-अलग उप-शीर्ष में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। समिति द्वारा इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिए गए सुझाव पर सहमति के अनुसार उपर्युक्त प्रावधान को भी भविष्य में अलग उप-शीर्ष में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए।</p>	<p>प्रतिशत से अधिक अनुदान देने के लिए है। इसे ध्यान में रखते हुए, किसी अभिनिर्धारित प्रयोजन को पूरा करने के लिए और सामान्य श्रेणी के राज्यों की सहायता की अप्रत्याशित जरूरत को पूरा करने के लिए दो बजट शीर्षों (अर्थात् अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता और अन्य अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) का प्रावधान किया गया है।</p> <p>तथापि, अब केन्द्रीय करों के विभाज्य कोष में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% किए जाने के संबंध में 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर लिए जाने के साथ ही इन स्कीमों को अंतरण की बढ़ी हुई दर में शामिल किया गया है। इसलिए बजट प्राक्कलन 2015-16 में "अन्य अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता" और "अन्य परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता" स्कीमों के लिए कोई आबंटन नहीं है।</p> <p>आमतौर पर, किसी राज्य विशेष के लिए कोई पृथक उप-शीर्ष प्रविष्टि किसी स्कीम में स्पष्ट रूप से नहीं दर्शायी जाती क्योंकि राज्य वार अनुदानों के आबंटन को, संसद में केन्द्रीय बजट पेश कर दिए जाने और अंतः/अंतर-राज्यीय प्रासंगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों की वार्षिक योजना को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद ही अंतिम रूप दिया जाता है।</p> <p>तथापि, अब केन्द्रीय करों के विभाज्य कोष में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% किए जाने के संबंध में 14वें वित्त आयोग की सिफारिश स्वीकार कर लिए जाने के साथ ही इन स्कीमों को अंतरण की बढ़ी हुई दर में शामिल किया गया है। इसलिए बजट प्राक्कलन 2015-16 में "अन्य अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता" स्कीम के लिए कोई आबंटन नहीं है।</p>	स्वीकृत	

क. सं.	पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
19.	19	<p>समिति यह समझती है कि यद्यपि ब्लॉक अनुदान निर्धारित आवर्तन के अनुसार जारी किए जाते हैं, तथापि, परियोजना-संबद्ध अनुदानों का जारी किया जाना और उनका उपयोग, विभिन्न क्षेत्रों/परियोजनाओं के तहत धनराशि अवशोषित करने की राज्यों की तत्परता सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त, वित्त आयोग द्वारा यथा-संस्तुत अनुदान (प्रभारित), राज्य सरकारों द्वारा नियत शर्तों को पूरा किए जाने के आधार पर जारी किए जाते हैं। नोडल केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग संबंधित अनुदान की भौतिक प्रगति पर और वित्त आयोग द्वारा नियत शर्तों को पूरा किए जाने पर निगरानी रखते हैं। पिछले वित्त वर्ष 2013-14 में, गैर-योजना स्कीमों के लिए अनुदान जो बजट प्राक्कलन स्तर पर 62,134.40 करोड़ रुपए था, में संशोधित प्राक्कलन स्तर पर भारी कमी करके 55,289.72 करोड़ रुपए कर दिया गया था और 53,904.55 करोड़ रुपए मात्र ही जारी किए गए जिसके परिणामस्वरूप 8229.85 करोड़ रुपए की बचत हुई। समिति यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य है कि नियत शर्तों को पूरा करने में प्रापक राज्यों की प्रशासनिक विफलता के अलावा, व्यय विभाग जो अनुदान जारी करने के लिए नोडल विभाग है, आबंटित अनुदानों के उपयोग की संभावना का अनुमान लगा पाने और राज्यों द्वारा अनिवार्य शर्तों को पूरा करने की व्यावहारिकता और उनकी अवशोषण क्षमता की जांच कर पाने की स्थिति में नहीं है। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इन तथ्यों से यह स्पष्ट</p>	<p>वर्ष के प्रारंभ में, प्रभारित व्यय के लिए बजट प्राक्कलन, संबंधित वित्त आयोग द्वारा यथा-संस्तुत इन आबंटनों के लिए बनाए जाते हैं। चूंकि राज्यों की सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक स्थितियां तथा निर्णय लेने की प्रक्रियाएं भिन्न-भिन्न हैं, इसलिए राज्यों की सही-सही अवशोषण क्षमताओं का अनुमान लगा पाना कठिन हो जाता है। इसलिए, वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान-वार प्रावधान वित्त वर्ष के अंत तक रखना होता है। तथापि, प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकताओं का अनुमान संशोधित प्राक्कलन स्तर पर लगाया जाता है ताकि वास्तविक व्यय संशोधित प्राक्कलन के करीब हो। लाइन मंत्रालय/राज्य सरकारें पूरे देश में फैली होती हैं और उन्हें इन अनुदानों से वित्तपोषित कार्यों/परियोजनाओं की गुणता का मूल्यांकन करना होता है। व्यय विभाग प्रत्येक मंत्रालय में वित्त सलाहकारों के माध्यम से राज्यों द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्रों के माध्यम से राजकोषीय संघवाद की सीमाओं के अंदर व्यय पर निगरानी रखता है कि धनराशि का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया गया है, आगे धनराशि जारी किए जाने पर विचार करने से पहले उपयोग प्रमाणपत्र पर बल दिया जाता है। आगे धनराशि जारी किए जाने से पहले उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से यह सुनिश्चित होता है कि जारी धनराशि राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी के पास एकत्र न हो और कि धनराशि का उपयोग अपेक्षित प्रयोजन के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त, लाइन मंत्रालय/विभाग के स्तर पर समय-समय पर किए गए स्वतंत्र मूल्यांकन महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत होते हैं जब सचिव (व्यय) की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त व्यय वित्त समिति द्वारा स्कीम को जारी रखने/समीक्षा के लिए जांच की जाती है। राज्यों को अनुदानों का पूर्णतः उपयोग करने में समर्थ बनाने के लिए शर्तों/दिशानिर्देशों की समीक्षा किए जाने की और उन्हें अधिक लचीला बनाने की सिफारिश के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि एफएफसी ने अनुदानों से संबद्ध शर्तों के कारण अनुदान के कम उपयोग पर ध्यान दिया है और अपनी रिपोर्ट के पैरा 2.36 में कहा है कि उन्होंने ऐसे अनुदानों की सिफारिश करना बंद कर दिया है।</p>	स्वीकृत	-

क. सं.	पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
		<p>होता है कि “विभाग प्रत्येक वर्ष अनुदानों के आबंटन में अविवेकपूर्ण नेमी बजट पद्धतियां अपनाता रहा है जिससे न केवल दुर्लभ संसाधन ब्लॉक हो जाते हैं अपितु राज्यों को वित्तीय समझदारी एवं अनुशासन का सख्ती से पालन करवाने के लिए प्रोत्साहित करने में भी विफल रहता है।” मंत्रालय की असावधानी स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में संबंधित मंत्रालय/विभाग और व्यय विभाग को हतोत्साहित भी करती है। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि व्यय विभाग को इन शर्तों/दिशानिर्देशों की समीक्षा करनी चाहिए और उन्हें अधिकाधिक लचीला बनाना चाहिए ताकि राज्य अनुदानों का पूरा उपयोग कर सकें। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग प्रापक राज्यों, संबंधित लाइन मंत्रालयों/विभागों और व्यय विभाग के बीच समझौता ज्ञापन किए जाने की संभावना तलाशे ताकि कमियों को दूर करने और अनुदानों के बेहतर उपयोग के लिए समन्वित रूप से काम किया जा सके। जहां तक स्कीमों पर निगरानी रखने का प्रश्न है, समिति 51वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) में की गई अपनी पिछली सिफारिश दोहराना चाहेगी कि लाइन मंत्रालयों/विभागों के अलावा व्यय विभाग को भी लोक व्यय प्रबंधन पर निगरानी रखने के अपने प्रमुख कार्य को पूरा करने के भाग के तौर पर विकास व्यय की गुणता पर भी निगरानी रखनी चाहिए।</p>			

क. सं.	पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
20.	20	समिति बाजार की जरूरतों के मुताबिक ऋण के परिमाण सहित एचबीए स्कीम को समुचित रूप से पुनः निर्मित करने की सिफारिश करेगी ताकि उनके महत्वाकांक्षी मिशन अर्थात् “2022 तक सभी को घर” को हासिल करने के हिस्से के रूप में उनके कर्मचारियों की मांग में इजाफा हो।	एचबीए प्रदान करने के लिए वर्तमान में मौजूदा अधिकतम सीमा को बनाए रखा जा रहा है क्योंकि एचबीए सहित ब्याज आधारित अग्रिम परिशोधित स्कीम सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के विचाराधीन है।	विचाराधीन	सातवां वेतन आयोग पहले ही गठित कर दिया गया है।
21.	21	समिति ने सूचित किया है कि विनियोग सं.38 ऋण की अदायगी के तहत अनुमान, जिनमें अर्थोपाय अग्रिम, भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट सहित नकद प्रबंधन बिल हेतु प्रावधान शामिल हैं, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके क्योंकि संघ सरकार के पास राज्य के नकद शेष और 14 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों के उन्मोचन पर इसके परिणामी प्रभाव का सटीक अनुमान लगाने की व्यवस्था नहीं है। कुशल नकद प्रबंधन और इसे नकद प्रबंधन से एकाकार करने के लिए, समिति ने इच्छा व्यक्त की कि वित्त मंत्रालय विनियोग सं.38 के तहत निधियों की जरूरत का वैज्ञानिक अनुमान तैयार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित कर एक तंत्र विकसित करें।	सरकार द्वारा नकद शेष संग्रह/आहरण, संचयी उधार जरूरतों और वास्तविक उधार के बीच अंतर से उत्पन्न होता है। अन्य बातें समान रहने पर भी संचयी उधार जरूरतें प्राप्तियों और व्यय (ऋण-भिन्न) के बीच अंतर से उत्पन्न होती हैं। वर्ष के दौरान प्राप्तियों और व्यय (ऋण-भिन्न) के बीच संचयी अंतर ही राजकोषीय घाटा है, जिसे सिद्धांततः बाण्ड जारी करके पूरा किया जा सकता है। दूसरी ओर, अस्थायी नकदी अंतर, प्राप्तियों और व्यय के समय के बीच अंतर: राजकोषीय अंतर से उत्पन्न होता है और राजकोषीय वर्ष के दौरान इस अंतर को पाट दिया जाता है। ऐसे अस्थायी अन्तर को नकद शेष के आहरण, अर्थोपाय अग्रिम का आश्रय लेकर अथवा राजकोषीय हुंडियों जैसी नकद प्रबंधन लिखतों के द्वारा पूरा किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट, नकद प्रबंधन बिलों, राजकोषीय हुंडियों आदि सहित अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एम ए) ऋण की चुकौती के अनुमान, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार के ऋण प्रबंधक द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर लगाये जा रहे हैं। इसका सटीक आकलन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ऐसे कई कारकों पर निर्भर करता है जो केंद्र सरकार के दैनन्दिन के नकद शेष को प्रभावित करता है अतः इन लिखतों के संबंध में वर्ष विशेष में वास्तविक चुकौती के अनुमान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित अनुमान से भिन्न हो सकते हैं और यह ऐसी सुविधा की उपयोगिता/उपलब्धता पर निर्भर करता है। आगामी वर्ष के लिए प्रावधानों का अनुमान लगाते समय, पिछले वर्षों के दौरान चुकौतियों के आधार पर वित्तीय वर्ष के अनुमानित नकद प्रवाह के साथ-साथ पूर्व वर्ष की चुकौतियों पर भी	स्वीकृत	

क. सं.	पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
22.	22	<p>समिति पाती है कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के लिए केंद्रीय रिकार्ड रखने वाली एजेंसी के प्रभारों के लिए नेशनल सिक्युरिटीस डिपाजिटीरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को भुगतान के प्रावधान को अलग नहीं दर्शाया गया बल्कि इन्हें मुख्य शीर्ष "अन्य प्रशासनिक व्यय" के अंतर्गत इकट्ठा किया हुआ है। समिति की सिफारिशों के अनुपालन में सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस मांग के अंतर्गत कुछ व्यय शीर्षों को पहले ही अलग दर्शाया है। समिति को विश्वास है कि उपर्युक्त प्रावधान को भी 2015-16 के बजट में अलग से, अलग उप-शीर्ष में दर्शाया जाएगा। आगे, समिति को उन कारणों से अवगत कराया जाए कि पीएफआरडी स्वयं प्रभारों का पूरा क्यों नहीं कर पाया। इस संबंध में समिति इस पर बल देना चाहेगी कि व्यय विभाग को सरकार की सभी मांगो/विनियोग की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाए कि व्यय की श्रेणियों की ऐसी त्रुटियों से भविष्य से बचा जाए तथा बजट में पारदर्शिता बनाए रखी जाए। समिति को, इस प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत करने के तीन माह के भीतर समीक्षा के निष्कर्षों को प्रस्तुत किया जाए।</p>	<p>काफी विचार किया जाता है। सही रूझान न मिलने से ब.अ चरण पर अर्थोपाय अग्रिम का अनुमान लगाना मुश्किल होता है। तथापि, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक बेहतर बजटीय अनुमान और चुकौती की निगरानी सुनिश्चित करने के उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि इस अंतर को कम से कम रखा जा सके।</p> <p>800- अन्य व्यय के अंतर्गत मदों को मिलाने संबंधी प्रतिबंध के बारे में सीएण्डएजी की टिप्पणी के आलोक में सभी मंत्रालय/विभाग नियमित रूप से समीक्षा करते हैं और व्यय के वर्गीकरण में अत्यधिक पारदर्शिता बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं।</p>	स्वीकृत	

क. सं.	पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
23.	23	समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम), एक स्वायत्त संस्था जो पिछले दो दशकों से अस्तित्व में है, को अपने संस्थागत खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार के अनुदानों पर निर्भर रहना पड़ता है। समिति का दृढ़ मत है कि ऐसी सहायता जारी रखना, बिना समायावधि निर्धारित किए ही, कि कब तक केन्द्रीय अनुदानों से खर्चों को पूरा किया जाएगा, से केवल संस्था को स्वायत्त बनने के प्रयासों को हतोत्साहित करेगा। समिति अनिश्चित काल तक जारी रखने के ऐसे प्रावधान को पुरजोर रूप से अस्वीकार करती है तथा बजटीय समर्थन पर निर्भर रहने के बजाय तथा अनुदान के लिए समापक प्रावधान इंगित करते हुए व्यय विभाग से आग्रह करती है कि वह संस्था में पर्याप्त आंतरिक निधियां सृजित करने के लिए उस पर जोर दें।	राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम), को सहायता अनुदान रोक देने के परिणामस्वरूप भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसकी लेखा परीक्षा नहीं कर सकेंगे। ऐसा लगता है कि सी एंड एजी को इसकी लेखापरीक्षा करते रहना चाहिए। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम), अपने संसाधन बढ़ा रहा है ताकि यह अपने प्रतिष्ठान की किसी इकाई के व्यय के लिए सरकारी अनुदान पर आश्रित न रहे। एनआईएफएम इस लक्ष्य को अगले 5 वर्ष में प्राप्त कर लेगा।	स्वीकृत	
24.	24	समिति चिंता के साथ यह नोट करती है कि मुख्य शीर्ष “2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण” के तहत गैर-योजना व्यय के लिए प्रदान किए गए आबंटन के प्रतिशत में, संगत अवधि अर्थात् 18.8, 16.64 और 8.48 के दौरान मुख्य शीर्ष: “2071 – पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ” के तहत किए गए आबंटन के बढ़े हुए प्रतिशत की तुलना में 2013-14 में 6.48 और 2012-13 में 20.37 से 2014-15 में 0.8% की मामूली वृद्धि देखी गई है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि मुख्य शीर्ष: “2235- सामाजिक सुरक्षा	पेंशन अनुदान एक मिश्रित अनुदान है और इस अनुदान के संबंध में बजट विभिन्न लेखांकन क्षेत्रों से प्राप्त सूचनाओं, पिछले वर्षों और चालू वर्ष के व्यय के रूझान के आधार पर तैयार किया जाता है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि मुख्य शीर्ष 2235 में दो प्रमुख घटक हैं अर्थात् जमा सम्बद्ध बीमा स्कीम सरकारी भविष्य निधियां और सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम। वर्ष 2014-15 के दौरान उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत प्रावधान 54.45 करोड़ रुपए एवं 1.50 करोड़ रुपए था जबकि प्रमुख शीर्ष 2235 के अंतर्गत कुल प्रावधान 56.45 करोड़ रुपए था। दोनों शीर्ष सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के कारण बीमा भुगतानों से संबंधित हैं इसलिए इन शीर्षों के तहत व्यय का अग्रिम रूप से उचित आकलन नहीं किया जा सकता।	स्वीकृत	

क. सं.	पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
25.	25	<p>एवं कल्याण” के तहत बार-बार कम उपयोग किया जा रहा है। वर्ष 2012-13 में 52.59 करोड़ रुपए के आबंटन के मुकाबले में वास्तविक 42.69 करोड़ रुपए हैं; और 2013-14 में 56.00 करोड़ रुपए के प्रावधान के मुकाबले में उपयोग 41.15 करोड़ रुपए हैं। यह प्रवृत्ति बजट प्राक्कलनों के प्रतिपादन और बजट कोष के उपयोग में गम्भीर खामी दर्शाती है। इसलिए, समिति व्यय विभाग से मुख्य शीर्ष: “2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण” के तहत धनराशि का पर्याप्त आबंटन प्रदान करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने और उसका पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है ताकि कर्मचारियों का कल्याण हो सके।</p> <p>समिति ने नोट किया कि राष्ट्रीय लेखा तथा लेखापरीक्षा अकादमी, शिमला भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग (आईएएण्डएडी) के अंतर्गत एक विभागीय इकाई के रूप में छः दशकों से अधिक समय से कार्य कर रही है और अकादमी के सभी खर्च आईएएण्डएडी की माँग से पूरे किये जाते हैं। समिति यह जानना चाहती है कि विश्व में सर्वोच्च पेशेवर निपुण, सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान की ख्याति प्राप्त अकादमी और अपने संसाधन सृजित करने की निर्बाध क्षमता के बावजूद, विभाग ने अकादमी को केंद्रीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा अधिकारियों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण केंद्र के रूप में चुना। अकादमी को छः दशकों से अधिक समय से केंद्रीय कोष से निर्बाध रूप से पूरी बजटीय सहायता दी गई है। उनका मानना है कि जब अन्य सरकारी राष्ट्रीय अकादमी, वित्तीय</p>	<p>मुख्य शीर्ष 2071 के तहत नियत दर्ज व्यय सभी केन्द्रीय सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन भुगतान, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान, पेंशन का संराशीकृत मूल्य, छुट्टी नकदीकरण और नियत अंशदान पेंशन स्कीम के लिए सरकार के अंशदान के कारण होने वाला व्यय दर्शाता है। इन शीर्षों के तहत भुगतान में महंगाई भत्ता शामिल है जिसमें समय-समय पर वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष नए पेंशन भोगी और सरकारी सेवा में नए सदस्य भी जुड़ जाते हैं जिसके कारण इस शीर्ष के तहत व्यय में वृद्धि हो रही है और तदनुसार बजट भी बढ़ाया जाता है। अतः मुख्य शीर्ष 2071 और 2235 के तहत बजट प्रावधान/व्यय की तुलना नहीं की जा सकती। तथापि, स्थायी समिति की टिप्पणियों को भविष्य में मार्गदर्शन हेतु नोट कर लिया गया है।</p> <p>1. उक्त मामले पर उपयुक्त स्पष्टीकरण देने के क्रम में निम्नलिखित तथ्य स्थायी समिति के ध्यानाकर्षण हेतु दिये गए हैं:</p> <p>क. हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण हैं; तथा संसद की कार्यपालिका के दायित्वों को लागू करने का एक आवश्यक तंत्र है।</p> <p>ख. सीएजी को उसका कार्य करने में भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग द्वारा सहायता दी जाती है, जिसमें 1 नवम्बर, 2014 तक लगभग 47,000 कार्मिक तैनात हैं।</p> <p>ग. भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग, ज्ञान और कौशल आधारित विभाग है और व्यावसायिक विशेषता बनाए रखने तथा बहुआयामी वातावरण में हमेशा अधिकाधिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए यह अनिवार्य है कि हमारे कार्मिक निरंतर अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतित करते रहें।</p> <p>घ. सार्वजनिक लेखापरीक्षा के माध्यम से सुशासन और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता के साथ आईएएण्डएडी ने</p>	अस्वीकृत	

क. सं.	पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
		<p>प्रबंधन (एनआईएफएम) जैसे प्रशिक्षण संस्थान चलाने वाले काफी हद तक केंद्रीय अनुदान पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं और पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने का भी प्रयास कर रहे हैं तो विभाग द्वारा दिया गया तर्क समिति को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अकादमी राज्य सरकार के अधिकारियों, अन्य देशों के कार्मिकों और यहाँ तक कि अन्य सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी अच्छी तरह से स्वनिर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकती है और भुगतान आधार पर अनुसंधान कार्य कर सकती है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली एवं लेखापरीक्षा केंद्र, (आईसीसा) और निकाय औरों के लिए मिसाल बन सकते हैं। इस प्रकार, गहन विचार करने के पश्चात समिति का यह मानना है कि अकादमी सरकारी कोष पर बहुत अधिक हद तक निर्भरता कम कर सकती है और कुछ समय में किसी भी वित्तीय सहायता से पूरी तरह मुक्त हो सकती है।</p>	<p>एक मजबूत प्रशिक्षण क्षमता स्थापित की है जो समूह “क”, “ख” एवं “ग” कार्मिकों के कार्मिकों को प्रशिक्षण श्रेणी के कार्मिकों को प्रशिक्षण देती हैं। जवाबदेही और व्यावसायिक विशेषता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण, भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग का एक अभिन्न एवं अनिवार्य हिस्सा है।</p> <p>ड. इसके लिए आईएएण्डएडी में सुव्यवस्थित प्रशिक्षण सुविधाओं का एक नेटवर्क है, जिसमें शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● राष्ट्रीय लेखा एवं लेखापरीक्षा अकादमी (एनएएए),</li> <li>● अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली एवं लेखापरीक्षा केन्द्र (आईसीसा), नोएडा,</li> <li>● अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा तथा स्थायी विकास केन्द्र (आईसीईडी), जयपुर,</li> <li>● नौ क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, तथा सम्पूर्ण देश में तीन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र।</li> </ul> <p>च. इन संस्थानों में से प्रत्येक की बेहतर वर्णित भूमिका तथा उद्देश्य है। हमारी प्रशिक्षण अवसंरचना एक साथ विभाग की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करती है। किसी भी संस्थान की अलग से समीक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान अन्य की पूरक है।</p> <p>छ. राष्ट्रीय लेखा एवं लेखापरीक्षा अकादमी (एनएएए) आईएएण्डएडी का सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान है। आईएएएस अधिकारी अकादमी में व्यापक तथा समग्र रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उन्हें अत्यधिक कुशल तथा सक्षम अधिकारियों में परिवर्तित करने के उद्देश्य से यह अपने उत्तरदायित्व को कर्मठतापूर्वक करने में सक्षम है। एनएएए आईएएण्डएएस, अन्य सेवाओं, पीएसयूज तथा अन्य सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों के लिए निरन्तर व्यावसायिक शिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।</p>		



क. सं.	पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
			<p>ज. अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली एवं लेखापरीक्षा केन्द्र (आईसीसा) लेखापरीक्षा तथा अन्य राष्ट्रीय विभागों के अधिकारियों और विभिन्न सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों से संबंधित विदेशी भागीदारों के लिए सूचना प्रणाली तथा सूचना प्रणाली की लेखापरीक्षा में उत्कृष्टता का एक केन्द्र है।</p> <p>झ. अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा तथा स्थायी विकास केन्द्र (आईसीईडी) आईएएंडएडी अधिकारियों के साथ-साथ अन्य सरकारी विभागों तथा विभिन्न सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों से संबंधित विदेशी भागीदारों के लिए भी इस क्षेत्र में अनुभव साझा करने के लिए प्रशिक्षण तथा एक मंच प्रदान करता है। आईसीईडी इंटोसाइ (अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान संगठन) के लिए विश्वव्यापी प्रशिक्षण सुविधा भी है।</p> <p>ञ. क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आरटीआईज) तथा केन्द्र (आरटीसीज) क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षमता निर्माण की मांग को पूरा करते हैं।</p> <p>1. विशेष रूप से, राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी नए भर्ती भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा सेवा (आईएएंडएएस) अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए भारत के सीएजी का प्रशिक्षण संस्थान है। अकादमी में आवासीय प्रवेश प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष मध्य-दिसम्बर से आरम्भ होकर 94 सप्ताह तक चलता है। आन्तरिक मूल्यांकन की एक कठोर प्रणाली तथा दो बाहरी विभागीय जांच का अनुसरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आईएएंडएएस अधिकारियों के काम करने के लिए लघु अवधि कोर्सों का आयोजन किया जाता है। एनएएए के कार्य का लगभग 90% आईएएंडएएस अधिकारियों के प्रशिक्षण से संबंधित है। एनएएए पर आईएएंडएएस प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ-साथ भूटान के दो प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षित किया जाता है।</p>		

क. सं.	पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
			<p>3. एनएएए की आधारभूत सुविधाएँ बहुत सीमित हैं। प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए प्रदान करने के पश्चात् 6 सप्ताह के प्रवेश प्रशिक्षण के चरण-II में भाग लेने वाली सेवारत तथा पिछले बेच के प्रशिक्षु अधिकारियों सहित अन्य भागीदारों के लिए 25 कमरे उपलब्ध हैं। 2014-15 के दौरान, इंटोसाइ भागीदारों के लिए कार्यशाला सहित सेवारत भागीदारों के लिए 7 कोर्स तथा बाहरी भागीदारों (अन्य सेवाओं) के लिए 5 कोर्स निर्धारित थे। एनआईएफएम भागीदार भी एनएएए पर एक 5 दिवसीय मोड्यूल में भाग लेते हैं। यहाँ सेवारत तथा पणधारकों दोनों के लिए तथा अन्य सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के सदस्यों हेतु संगोष्ठी तथा निर्वाचिका सभाएं आयोजित की जाती हैं। उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि अकादमी का पूर्ण क्षमता उपयोग होता है। बाहरी भागीदारों को समायोजित करने के लिए गतिविधियों में कोई अन्य वृद्धि प्रदत्त किए गए प्रशिक्षण की गुणवत्ता को प्रभावित करेगी। हमारे प्रशिक्षु अधिकारी के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण में भिन्नता तथा कमी पूर्व में दिए गए सीएजी के संवैधानिक उत्तरदायित्वों को निभाने पर प्रभाव डाल सकती है।</p> <p>4. बाह्य भागीदारों को दिया गया प्रशिक्षण या तो निःशुल्क या न्यूनतम प्रभार पर होता है क्योंकि हमारा उद्देश्य राजस्व सृजन नहीं है। उदाहरण के लिए, भूटान से एक प्रशिक्षु अधिकारी के लिए प्रवेश प्रशिक्षण के लिए राजस्व केवल '5 लाख है। आईएस अधिकारियों के लिए पांच दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए डीओपीएण्डटी से प्रति वर्ष लगभग '2.5 लाख प्राप्त होता है। एनआईएफएम से भी भुगतान प्राप्त होता है जब उनके भागीदार एनएएए के मोड्यूल में भाग लेते हैं। अन्य सेवाएं जो प्रशिक्षण हेतु एनएएए की सेवाएं लेते हैं, उनके ओटीज़ को प्रभारित</p>		

क. सं.	पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
			<p>नहीं किया जाता है क्योंकि यह प्रबंधन सामान्यतया पारस्परिक आधार पर होते हैं। भूटान से प्राप्त भुगतान को छोड़कर, अन्य प्रशिक्षण लागतें संघ सरकार के राजकोष से एक या अन्य मांग के लिए अनुदान द्वारा वहन की जाती हैं। एनआईएफएम से प्राप्त भुगतान भी राजकोष से वहन किया जाता है क्योंकि इन भागीदारों को उनके विभाग द्वारा वित्तपोषित किया जाता है और इस प्रकार यह विधानमंडल द्वारा दत्तमत विभिन्न अनुदान की मांगों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।</p> <p>5. हम अपने संस्थानों पर प्रशिक्षण के माध्यम से या तो शिक्षकों की नियुक्ति द्वारा या मध्यम से दीर्घावधि आधार पर स्टाफ की नियुक्ति द्वारा अन्य साई की उनके क्षमता संवर्धन प्रयासों में सहायता करते हैं। हमने ईरान, ओमान, ट्रिनिडाड एवं टोबागो, मालदीव, मारीशियस, सेशेल्स और बोटस्वाना के साई की सहायता की है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग से संबंधित प्रशिक्षण आईसीसा द्वारा आयोजित किए जाते हैं। दिसम्बर 2014 तक, आईसीसा द्वारा 122 अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आईसीडी, जिसका मई 2013 में उद्घाटन किया गया था, ने 3 अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।</p> <p>6. हमारे आरटीआई/आरटीसी राज्य सरकारों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र सत्त्वों के अनुरोध पर प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। उदाहरण के लिए पिछले कुछ वर्षों में मणिपुर, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर, गुजरात और महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों को आरटीआई शिलांग, जम्मू और मुम्बई में प्रशिक्षण दिया गया है। ऐसे मामलों में लागत आधार पर नाममात्र प्रभार लगाया जाता है।</p>		

क. सं.	पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
26.	26	संसद तथा इसकी संस्थाओं को प्रस्तुत सभी सूचनाएँ सभी दस्तावेजों के अनुरूप हैं।	7. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि आईएएण्डएडी की प्रशिक्षण संरचना अपने कार्मिकों की क्षमता संवर्धन को समर्पित है ताकि वह अपने उत्तरदायित्वों को व्यावसायिक क्षमता और अखंडता से निभा सके। उसी समय में, वैश्विक सार्वजनिक लेखापरीक्षण क्षेत्र में हमारी महत्ता को पहचानते हुए हम अन्य साई और सरकारी विभागों को उनकी क्षमता संवर्धनमें सहायता करते हैं। प्रशिक्षण सुविधाओं का हमारा नेटवर्क व्यक्तिगत एकक के बजाय एक पूर्ण व्यापक एकक के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक शिक्षक संकाय संसाधनों के लिए जब आवश्यक हो, एक दूसरे को तैयार करते हैं। राजस्व सृजन प्रेरणा नहीं है, क्योंकि हमारे घरेलू क्लायंट सार्वजनिक क्षेत्र से आते हैं और इस प्रकार, उनका वित्तपोषण सरकार के अनुदान की एक या दूसरी मांग से किया जाता है।	स्वीकृत	
27.	27	समिति ने देखा कि भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में 01 मार्च 2014 को 20,513 रिक्त पदों सहित मानव संसाधन की भारी कमी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान औसतन केवल 3000 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है, समिति का विश्वास है कि रिक्त पदों को लक्ष्य वर्ष 2020 तक भरा नहीं जा सकता है। अतः समिति ने भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग को निर्धारित समय सीमा के अन्दर सभी रिक्त पदों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान संचालित करने का आग्रह करती है तथा विकल्प के रूप में, कामचलाऊ व्यवस्था के रूप में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लगाया जाए ताकि विभाग प्रभावी ढंग से काम कर सके।	यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में प्रस्तुत सभी सूचनाएँ सभी दस्तावेजों के अनुरूप हैं।  वर्ष 2010 से 31 मार्च 2015 तक के दौरान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, लेखापरीक्षक, लेखाकार, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक तथा आशुलिपिक हेतु कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामित उम्मीदवारों के कुल 17311 डोजियर भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजे जा चुके हैं। लेखापरीक्षक, लेखाकार, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पदों को भरे जाने के लिए 5000 से अधिक उम्मीदवारों की मांग को सीजीएलई 2013 (2000 डोजियर), सीजीएलई 2014 (2000 डोजियर) तथा सीजीएलई 2014 (1000 डोजियर) द्वारा से कर्मचारी चयन आयोग से लंबित है। कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त डोजियरों वर्ष एवं पदवार दर्शाता विवरण(संलग्नक 'ए' संलग्न किया) तथा वर्ष 2010 से 31 मार्च 2015 तक क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रेषित किया गया विवरण संलग्न है।	आंशिक रूप से स्वीकृत	जहाँ तक कि 2020 तक विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से सभी रिक्तियों को भरने के लिए समिति की सिफारिश है, यह बताया गया कि हालांकि 2020 तक

क. सं.	पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
			<p>जहाँ तक कि सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के पदों की सीधी भर्ती का संबंध है, मामला यूपीएससी से चल रहा है। वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षक संवर्ग के संदर्भ में, क्षेत्रीय कार्यालय संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लगाकर 10 प्रतिशत रिक्तियों को भर सकते हैं। वर्ष 2020 में इन रिक्तियों को चरणबद्ध तरीके से भरने के लिए संयुक्त प्रयास किये जा रहे हैं।</p>		<p>रिक्तियों को भरने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, तथापि कम समय के अन्दर अधिक मात्रा में भर्ती से अधिकारियों की पदोन्नति में स्थिरता आएगी और उनकी सेवानिवृत्ति के समय पर भारी मात्रा में रिक्तियों का सृजन होगा। इसलिए, विशेष अभियान के माध्यम से रिक्तियों को भरने की बजाय इसे चरणबद्ध तरीके से वार्षिक आधार पर भरा जा रहा है।</p>



क. सं.	पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
		<p>करोड़ रूपए कर दिया गया और वास्तविक 24.98 करोड़ रूपए है। वर्तमान वित्त वर्ष 2014-15 के लिए, ब.अ. में 51.92 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जिसका 21.00 करोड़ रूपए वस्तु शीर्ष “विज्ञापन और प्रचार” के अंतर्गत और 19.44 करोड़ रूपए वस्तु शीर्ष “व्यावसायिक और विशेष सेवाएं (पीपीएस)” के अंतर्गत है। विभाग द्वारा भिन्नता के लिए बताए गए कारण मुख्यतः शीर्ष ‘व्यावसायिक और विशेष सेवाएं (पीपीएस)’ के अंतर्गत है जो बाजार स्थितियां और विनिवेश के लिए कम्पनियों की तैयारी सलाहकार और मध्यस्थों को दिए जाने वाले व्यावसायिक शुल्क का आकलन करने की सीमाएं जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स, विधायी सलाहकार, मीडिया एजेंसियां, पंजीयक, कलेक्शन बैंकर्स और लेखाकार तथा बिक्री की दलाली जो प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया पर आधारित है। ब.अ. के निष्पादन में ऐसी गंभीर कमियों को कड़ाई से निरनुमोदित करते हुए समिति की यह राय है कि लगातार होने वाली ऐसी भिन्नताओं को रोका जा सकता था यदि विभाग ने विनिवेश की रूपरेखा में पहचाने गए जोखिम के कारक पर विचार किया होता। अतः समिति विनिवेश विभाग से सिफारिश करती है कि निधियों की आवश्यकताओं के अवैज्ञानिक आकलन को कम किया जा सके और ब.अ. के तथ्यपरक और वास्तविक प्रतिपादन को सुनिश्चित किया जा सके।</p>	<p>वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में पीएसएस शीर्ष के अधीन प्रावधान में “विज्ञापन एवं प्रचार” का प्रावधान भी शामिल था क्योंकि विज्ञापन तथा प्रचार के लिए कोई अलग शीर्ष नहीं था। “विज्ञापन एवं प्रचार” से संबंधित सभी व्यय “व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं” शीर्ष के अधीन दर्ज किया गया था। उसके बाद, लेखा परीक्षा की सलाह पर एक नया वस्तु शीर्ष 26 “विज्ञापन तथा प्रचार” जनवरी, 2014 में सृजित किया गया था और पीएसएस शीर्ष के अधीन निधियों को संशोधित अनुमान 2013-14 में अलग कर दिया गया था, जिसमें “विज्ञापन तथा प्रचार” के लिए 6 करोड़ रुपये का निर्धारण तथा “व्यावसायिक तथा विशेष सेवाएं” के लिए 15.51 करोड़ रुपये का निर्धारण किया गया था। बजट अनुमान 2014-15 में पीएसएस के लिए 19.44 करोड़ रूपए रखे गए हैं क्योंकि “विज्ञापन एवं प्रचार” के लिए अलग से 21 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।</p> <p>पीएसएस के अधीन निधियों का उपयोग विनिवेश सौदों से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है जैसेकि मध्यस्थों (अर्थात बही संचालक अग्रणी प्रबंधक, विधिक सलाहकार, पंजीयक और लेखापरीक्षक) को शुल्क का भुगतान; स्टॉकहोल्डिंग कारपोरेशन को सौदा प्रभार तथा बिक्री दलाली। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों का पूंजी बाजार में सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से विनिवेश अनेक कारकों पर निर्भर करता है जैसेकि प्रशासनिक मंत्रालय की सहमति, सीपीएसई की पूंजी बाजार में प्रवेश करने की तैयारी के साथ-साथ विनियामक प्राधिकरणों जैसेकि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, कंपनी रजिस्टार का अनुपालन और अनुमोदन। संबंधित सीपीएसई के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति एक महत्वपूर्ण घटक है जिसके बिना आरंभिक सार्वजनिक पेशकश/अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश हेतु सेबी का अनुमोदन प्राप्त करना असंभव होता है। शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव एक अन्य घटक है जो सार्वजनिक पेशकश के समय और उसकी सफलता को प्रभावित करता है। इनमें से अधिकतर घटक विनिवेश विभाग के नियंत्रण में नहीं हैं।</p>		

क. सं.	पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
			<p>पीएसएस के अधीन व्यय सीधे तौर पर किसी वर्ष संपन्न किए गए सौदों की संख्या से संबंधित होता है। प्रोस्पेक्टस आधारित किसी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश/अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश में सम्मिलित व्यय प्रवर्तकों द्वारा स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से शेयरों की बिक्री की पेशकश की तुलना में कहीं अधिक होता है। परिणामस्वरूप, यदि सुनियोजित विनिवेश संपन्न न हो पायें या खराब बाजार परिस्थितियों के कारण आखिरी समय पर स्थगित कर दिए जाएं तो निधियां बच जाती हैं। जब बाजार में मंदी हो तो शेयरों का अधिकतम मूल्य जुटाना मुश्किल हो जाता है और इस प्रकार सीपीएसईस कम प्राप्ति और कम बाजार पूंजीकरण के डर के कारण पूंजी बाजार में उतरना नहीं चाहते। इसके अलावा, मर्चेन्ट बैंकर, उस विशेष स्टॉक के मूल्य की अपनी अवधारणा के आधार पर मूल्य बोली देते हैं। इसलिए, विभिन्न सौदों में बोली राशि भिन्न होती है। अनेक सौदों में मर्चेन्ट बैंकरों द्वारा उद्धृत फीस केवल 1 रुपया होती है। ऐसा मुख्यतः सरकारी निर्गमों के साथ जुड़ी प्रतिष्ठा के कारण होता है और इससे उनकी प्रोफाइल और रेटिंग में भी वृद्धि होती है। एक रूपए का मामला विगत में चर्चा का विषय रहा है और इसे मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाले विनिवेश संबंधी सचिवों के प्रमुख दल के समक्ष उठाया गया और सलाह के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग को भी संदर्भित किया गया। तथापि, यह निर्णय लिया गया था कि मौजूदा चयन प्रक्रिया जारी रखी जाए क्योंकि विभाग ने मर्चेन्ट बैंकरों से उनकी सेवाओं के लिए फीस उद्धृत करने के लिए कह दिया है।</p> <p>इस प्रकार, बजट में विभिन्नताओं का, विभाग द्वारा सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, ऐसे अदृश्य घटकों के कारण पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।</p> <p>बजट अनुमान वर्ष के दौरान विनिवेश के बजटीय लक्ष्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियोजित गतिविधियों को ध्यान में रखकर तय किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान विनिवेश हेतु बजटीय लक्ष्य और पीएसएस</p>		



क. सं.	पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां															
29.	29	समिति नोट करती है कि विनिवेश विभाग का गठन इस अधिदेश के साथ किया गया था कि यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट इक्विटी फ्रॉम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (सीपीएसई) के विनिवेश से संबंधित मामलों का कार्य देखेगा। समिति यह नोट करके हैरान है कि विनिवेश का कार्य अवर सचिव के स्तर पर देखा जाता है और विनिवेश लेन-देन से संबंधित मुख्य कार्य को बाहर से करवाया जाता है जिसके लिए विभाग लगातार काफी गैर-योजना व्यय करता रहा है। वर्ष 2011-12 में 55.14 करोड़ रुपए, 2012-13 में 55.09 करोड़ रुपए; 2013-14 में 54.97 करोड़ रुपए	<p>के लिए बजटीय अनुमान नीचे दिए गए हैं:-</p> <p style="text-align: right;">(करोड़ रुपए)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>बजटीय लक्ष्य</th> <th>व्यावसायिक तथा विशेष सेवाएं</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011-12</td> <td>40,000</td> <td>55.14</td> </tr> <tr> <td>2012-13</td> <td>30,000</td> <td>55.09</td> </tr> <tr> <td>2013-14</td> <td>40,000</td> <td>54.97 (विज्ञापन एवं प्रचार हेतु 6 करोड़ रुपए सहित)</td> </tr> <tr> <td>2014-15</td> <td>51,925</td> <td>19.45</td> </tr> </tbody> </table> <p>पिछली प्रवृत्ति को देखते हुए वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान पीएसएस शीर्ष के अधीन प्रावधान उसी स्तर पर यानि लगभग 55 करोड़ रुपए रखा गया था। वर्ष 2014-15 में इसे कम करके 19.45 करोड़ रुपए कर दिया गया है क्योंकि “विज्ञापन एवं प्रचार” के लिए 21 करोड़ रुपए का अलग प्रावधान किया गया है।</p> <p>बजट अनुमानों के सभी उपर्युक्त घटकों को ध्यान में रखते हुए संशोधित अनुमान चरण पर यथार्थ तौर पर समीक्षा की जाती है। तथापि, भविष्य में और वस्तुपरक बजट अनुमान सूत्रबद्ध करने के प्रयास किए जाते रहेंगे।</p> <p>विनिवेश विभाग, जिसके प्रमुख सचिव (विनिवेश) हैं, में संयुक्त सचिव स्तर के तीन कार्यात्मक अधिकारी हैं तथा उनका सहयोग करने के लिए निदेशक/उप सचिव स्तर के अधिकारी हैं। प्रत्येक प्रभाग, जिसका प्रमुख एक संयुक्त सचिव होता है, मोटे तौर पर उन प्रशासनिक मंत्रालयों पर आधारित विनिवेश कार्य करता है जो उस प्रभाग को सौंपे गए हैं।</p> <p>विनिवेश विभाग को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में केंद्र सरकार की इक्विटी का विनिवेश करने और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पूर्ववर्ती उद्यमों में बिक्री की पेशकश या निजी व्यवस्था के माध्यम से केन्द्र सरकार की इक्विटी की बिक्री करने के लिए अधिदेशित किया गया है। विनिवेश प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं:</p> <p>(i) संबंधित सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक सहमति;</p>	वर्ष	बजटीय लक्ष्य	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाएं	2011-12	40,000	55.14	2012-13	30,000	55.09	2013-14	40,000	54.97 (विज्ञापन एवं प्रचार हेतु 6 करोड़ रुपए सहित)	2014-15	51,925	19.45	अस्वीकृत	
वर्ष	बजटीय लक्ष्य	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाएं																		
2011-12	40,000	55.14																		
2012-13	30,000	55.09																		
2013-14	40,000	54.97 (विज्ञापन एवं प्रचार हेतु 6 करोड़ रुपए सहित)																		
2014-15	51,925	19.45																		

क. सं.	पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
		<p>और 2014-15 में 51.92 करोड़ रूपए का वस्तु शीर्ष “व्यावसायिक और विशेष सेवाएं (पीएसएस)” के अंतर्गत बजट में प्रावधान किया गया है। समिति यह समझने में असमर्थ है कि बहुत अधिक संवेदी और गोपनीय विनिवेश प्रक्रिया के लिए बाहरी एजेंसियों पर निर्भर रहने की बजाय विभाग स्वयं को सुसज्जित क्यों नहीं करता। उदाहरण के लिए आंतरिक/सरकारी तंत्र के मामले के संबंध में समिति काफी हैरान है कि अक्सर मध्यस्थों द्वारा प्रस्तुत शुल्क एक रूपए जितने अप्रदेय और अतार्किक रूप से कम होते हैं और कभी-कभी बहुत अधिक, जो संभावित भ्रष्टकारी तथ्यों की तरफ पक्का संकेत करता है। समिति की यह राय है कि यदि विभाग की अपनी इन-हाउस व्यावसायिक जनशक्ति होती जो विनिवेश के लेन-देन को देख सकती और एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य कर सकती तो ‘गैर योजनागत खर्चों पर लगाई जा रही बहुमूल्य निधि का व्यय काफी हद तक बचाया जा सकता था। अतः समिति सिफारिश करती है कि कौशल विकास एजेंसी की तर्ज पर व्यावसायिक एजेंसी विनिवेश विभाग के अंतर्गत गठन किया जाना चाहिए ताकि विभाग अपना अधिदेश प्रभावी तरीके से निष्पादित कर सके।</p>	<p>(ii) विनिवेश के प्रस्ताव का आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदन;</p> <p>(iii) विनिवेश प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने और उसकी निगरानी करने के लिए वित्त मंत्री के अनुमोदन से एक अंतर-मंत्रालय दल (आईएमजी) का गठन;</p> <p>(iv) आईएमजी, मर्चेट बैंकरो/बही संचालक अग्रणी प्रबंधकों (बीआरएलएम)/विधिक सलाहकारों सहित सौदे के लिए सलाहकारों की नियुक्ति करता है;</p> <p>(v) मूल्यांकन के संबंध में बीआरएलएम द्वारा अधिकारियों की उच्चस्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण;</p> <p>(vi) उच्चस्तरीय समिति, बही संचालक अग्रणी प्रबंधकों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए ‘वैकल्पिक तंत्र’ (पूर्ववर्ती ईजीओएम) को मूल्य दायरे/न्यूनतम मूल्य की सिफारिश करती है;</p> <p>(vii) अनुशंसित मूल्य दायरे/न्यूनतम मूल्य, विनिवेश की पद्धति, खुदरा निवेशकों और कर्मचारियों के लिए मूल्य में छूट आदि का ‘वैकल्पिक तंत्र’ द्वारा अनुमोदन।</p> <p>विभाग ने अन्तर-मंत्रालय दल (आईएमजी), उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) और वैकल्पिक तंत्र, जिसमें वित्त मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्री और उस संबंधित सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय के मंत्री शामिल हैं जिसका विनिवेश किया जा रहा है, के विचार हेतु अपेक्षित, विनिवेश सौदों के महत्वपूर्ण और प्रक्रियात्मक पहलुओं से निपटने के लिए आंतरिक विशेषज्ञता विकसित कर ली है। सेबी (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 के अनुसार, विनिवेश सौदों के लिए विभाग द्वारा मर्चेट बैंकरो और अन्य मध्यस्थों की नियुक्ति अनिवार्य होती है और इसे विभाग द्वारा काम की आऊटसोर्सिंग नहीं कहा जा सकता। निजी क्षेत्र भी अपने पूंजी निर्गमों के लिए सलाहकारों के तौर पर मर्चेट बैंकरो की उस विशेषज्ञता के लिए नियुक्ति करता है जो वे प्रस्तुत करते हैं। बिक्री सौदे के लिए मर्चेट बैंकरो और अन्य मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा पारदर्शी प्रस्ताव</p>		

क. सं.	पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
			<p>हेतु अनुरोध प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें एक खुली बोली प्रणाली होती है और मर्चेट बैंकरों को उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए एक संयुक्त फीस उद्धृत करनी होती है। यह द्वि-चरणीय प्रक्रिया होती है, जिसमें तकनीकी बोली और वित्तीय बोली शामिल होती है। केवल तकनीकी अर्हताप्राप्त मर्चेट बैंकरों का ही निम्नतम उद्धृत फीस के आधार पर चयन किया जाता है। यह एक तथ्य है कि सरकारी सौदों के लिए मर्चेट बैंकरों द्वारा उद्धृत फीस निजी क्षेत्र की तुलना में बहुत कम होती है। ऐसा मुख्यतः सरकारी निर्गमों के साथ जुड़ी प्रतिष्ठा के कारण होता है और इससे उनकी प्रोफाइल और रेटिंग में भी वृद्धि होती है। मर्चेट बैंकर, किसी विशेष स्टॉक के मूल्य की अपनी अवधारणा के आधार पर मूल्य बोली देते हैं। इसलिए, विभिन्न सौदों में बोली राशि भिन्न होती है। एक रूपए का मामला विगत में चर्चा का विषय रहा है और इसे मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाले विनिवेश संबंधी सचिवों के प्रमुख दल के समक्ष उठाया गया था और सलाह के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग को भी संदर्भित किया गया है। तथापि, यह निर्णय लिया गया था कि मौजूदा चयन प्रक्रिया जारी रखी जाए क्योंकि विभाग ने मर्चेट बैंकरों से उनकी सेवाओं के लिए फीस उद्धृत करने के लिए कह दिया है। इस प्रकार, विनिवेश प्रक्रिया में ऐसे मध्यस्थों की नियुक्ति अनिवार्य है जो मर्चेट बैंकर हों और जो प्रस्तावित विनिवेश सौदे के सभी पहलुओं पर सलाह दे सकें। मर्चेट बैंकरों के पास न केवल वैश्विक तथा घरेलू दोनो पूंजी बाजारों की समग्र कार्यप्रणाली का अनुभव होता है बल्कि क्षेत्र अनुभव के साथ-साथ उन क्रियाविधियों का ज्ञान भी होता है जिनका विनिवेश सौदे हेतु अनुपालन किया जाना होता है। मर्चेट बैंकर विनिवेश प्रक्रिया के लिए घरेलू तथा विदेशी संस्थागत, दोनों प्रकार के निवेशकों को आकर्षित करने में सहायता करते हैं। एफआईआई फण्ड सरकार को मिले, इसका मुख्य कारण था मर्चेट बैंकरों के प्रयास। वे निवेशकों से प्रतिक्रियात्मक जानकारी भी एकत्र करते हैं और प्रस्तावित सौदे के लिए सरकार को सर्वोत्तम न्यूनतम मूल्य/मूल्य दायरे के संबंध में सलाह देते हैं। तथापि, इस बात पर गौर करना प्रासंगिक है कि मर्चेट बैंकर केवल सलाहकार होते हैं और निर्णय लेने में उनकी कोई भूमिका नहीं</p>		

क. सं.	पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
30.	30	<p><b>विनिवेश आयोग</b></p> <p>समिति चिंता के साथ नोट करती है कि विनिवेश आयोग, जिसका विनिवेश की कार्यविधियों की समीक्षा और पुनर्संरचना करने के लिए काफी पहले वर्ष 2001 में गठन किया गया था, का अभी तक गठन नहीं किया गया है। इसी प्रकार वर्तमान विनिवेश नीति जिसको वर्ष 2009 में अनुमोदित किया गया था उसकी व्यापक विनिवेश नीति प्रतिपादित करने के लिए अभी तक समीक्षा नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप विनिवेश नीति के आधार पर अंतिम रूप दिए गए वार्षिक विनिवेश कार्यक्रम को कई वर्षों से नहीं किया जा सकता। विनिवेश प्राप्तियों के लिए 1.5 लाख करोड़ रूपए के कुल लक्ष्य की तुलना में गत चार वर्षों के दौरान केवल 75,813.71 करोड़ रू. ही वसूल किए जा सके। इसके अलावा, विनिवेश विभाग के गठन के 15 वर्षों के बाद और विनिवेश नीति के प्रतिपादन के 5 वर्षों के बाद वित्त समिति (2012-13) द्वारा अपने 67 वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों के अनुपालन में ही अगस्त, 2014 में अनिवार्य किए गए न्यूनतम 10 प्रतिशत के ऑफर साइज का प्रस्ताव किया ताकि विभाग का विजन अर्थात् केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सार्वजनिक स्वामित्व का संवर्द्धन प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा सरकार</p>	<p>होती, जिसका अधिकार केवल सरकारी तंत्र के पास है जिसमें आईएमजी, एचएलसी और वैकल्पिक तंत्र शामिल हैं। यह प्रणाली गोपनीयता तथा विनिवेश निर्गम में निर्णय लेने में शीघ्रता सुनिश्चित करती है।</p> <p><b>मौजूदा विनिवेश नीति</b></p> <p>मौजूदा विनिवेश नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं : केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पहले से ही सूचीबद्ध लाभ कमाने वाले उद्यमों (जो अनिवार्य 25% सार्वजनिक शेयरधारिता की शर्त को पूरा नहीं करते) को सरकार द्वारा 'बिक्री की पेशकश' या सीपीएसई द्वारा शेयरों के नए निर्गम या दोनों के संयोजन से इस शर्त का अनुपालक बनाया जायेगा; केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के वे सभी असूचीबद्ध उद्यम, जिनका कोई संचित घाटा नहीं है तथा जिन्होंने पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभ अर्जित किया है, उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा; मामला-दर-मामला आधार पर, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सूचीबद्ध उद्यमों की पूंजीगत निवेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकशें किया जाना और सरकार इनके साथ-साथ या स्वतंत्र रूप से अपनी शेयरधारिता के एक हिस्से की पेशकश कर सकती है; विनिवेश के सभी मामलों पर मामला-दर-मामला आधार पर निर्णय लिया जाएगा; विनिवेश विभाग संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के परामर्श से सीपीएसईस की पहचान करेगा और जिन मामलों में सरकारी इक्विटी की बिक्री की पेशकश की जानी अपेक्षित होगी, उनके प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत करेगा; सामरिक बिक्री: विनिवेश में घाटे में चलने वाली इकाइयों में विनिवेश तथा कुछ सामरिक विनिवेश शामिल होता है। सामरिक विनिवेश में गैर-सरकारी वाणिज्यिक कंपनियों जैसे कि एसयूयूटीआई, बालको, एचजेडएल आदि में सरकारी धारिता की बिक्री शामिल है; घाटे में चलने वाले सीपीएसई से संबंधित नीति: लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) को, घाटे में चलने वाली/रूग्ण सीपीएसईस के कायापलट के लिए पुनरूद्धार/पुनर्गठन हेतु जांच करने और आरंभ से ही घाटे में चलने वाले/रूग्ण सीपीएसईस, जिनका पुनरूद्धार नहीं किया जा सकता, के संबंध में</p>	अस्वीकृत	

क. सं.	पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
		<p>एक सुसंगत विनिवेश नीति बनाने तथा एक नया विनिवेश आयोग गठित करने के लिए समिति द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने में लगातार असफल रही है। समिति विनिवेश आयोग गठित न करने के लिए सरकार द्वारा बताई गई 'अन्यत्रता' से पूरी तरह असहमत है। इस प्रकार समिति इसी निर्णय पर पहुंचती है कि उपर्युक्त निष्कर्षों से इस तथ्य को बल मिलता है कि अपनी कार्यविधियों सहित विनिवेश नीति की समीक्षा करे बिना विनिवेश कार्यक्रम को जारी रखने से असफलता ही प्राप्त होगी जैसा कि विगत में अनुभव हुआ है। अतः समिति सरकार से आग्रह करती है कि वह विनिवेश नीति की समीक्षा के लिए एक नए विनिवेश आयोग का गठन करे और अविलम्ब वर्तमान आर्थिक परिदृश्य के मद्देनजर विनिवेश की कार्यविधियों का पुनर्गठन करे।</p>	<p>सरकार को पूर्ण या आंशिक विनिवेश/बंदीकरण/बिक्री की सलाह देने के लिए अधिकृत किया गया है। यदि पुनरूद्धार के प्रयास विफल हो जाए और सरकार विनिवेश का निर्णय करे तो वह ऐसे मामलों में सामरिक बिक्री करेगी। विनिवेश विभाग यह महसूस करता है कि उपर्युक्त नीति सीपीएसईस के विनिवेश के लिए पर्याप्त दायरा उपलब्ध कराती है। मौजूदा विनिवेश नीति में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) संबंधित सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक सहमति;</li> <li>(ii) विनिवेश के प्रस्ताव का आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदन;</li> <li>(iii) विनिवेश प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने और उसकी निगरानी करने के लिए वित्त मंत्री के अनुमोदन से एक अंतर-मंत्रालय दल (आईएमजी) का गठन;</li> <li>(iv) आईएमजी, मर्चेन्ट बैंकरों/बही संचालक अग्रणी प्रबंधकों(बीआरएलएम)/विधिक सलाहकारों सहित सौदे के लिए सलाहकारों की नियुक्ति करता है;</li> <li>(v) मूल्यांकन के संबंध में बीआरएलएम द्वारा उच्चस्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण;</li> <li>(vi) उच्चस्तरीय समिति, बही संचालक अग्रणी प्रबंधकों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 'वैकल्पिक तंत्र' को मूल्य दायरे/न्यूनतम मूल्य की सिफारिश करती है।</li> <li>(vii) अनुशंसित मूल्य दायरे/न्यूनतम मूल्य, विनिवेश की पद्धति, खुदरा निवेशकों और कर्मचारियों के लिए मूल्य में छूट आदि का 'वैकल्पिक तंत्र' द्वारा अनुमोदन।</li> </ul> <p>इस प्रकार अलग-अलग सीपीएसईस के विनिवेश की प्रक्रिया अंतर मंत्रालय परामर्शों के माध्यम से निर्णय लेने पर आधारित होती है और सौदों की तकनीकी तथा जटिल प्रकृति और पारदर्शिता तथा निष्पक्ष आचरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसमें पेशेवर तथा विशेषज्ञ शामिल होते हैं।</p>		

क. सं.	पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां																																																												
			<p>वित्त वर्ष 2000-01 से 2003-04 तक अर्थात् विनिवेश आयोग की अवधि के दौरान लक्ष्यों की औसत उपलब्धि 50.25% थी, जबकि वित्त वर्ष 2011-12 से 2014-15 के दौरान औसत प्रतिशतता 54.97% है। इस प्रकार, आंकड़ों से विनिवेश प्राप्तियों की तुलना में विनिवेश आयोग की कोई भूमिका या प्रभाव स्थापित नहीं होता।</p> <p>निम्नलिखित पर विभाग की टिप्पणियां:</p> <p><b>लक्ष्य और उपलब्धियां</b></p> <p>जहां तक वर्षों के दौरान कम विनिवेश प्राप्तियों का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि प्राप्तियां/लक्ष्यों की उपलब्धियां बाजार ताकतों द्वारा प्रभावित होती हैं। वर्ष 2000 के बाद विनिवेश लक्ष्य और उपलब्धियों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:</p> <p style="text-align: right;">(करोड़ रुपए)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>बजटीय प्राप्ति/लक्ष्य</th> <th>कुल प्राप्तियां</th> <th>लक्ष्य का %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2000-01</td> <td>10,000.00</td> <td>1,871.26</td> <td>18.71</td> </tr> <tr> <td>2001-02</td> <td>12,000.00</td> <td>5,657.69</td> <td>47.15</td> </tr> <tr> <td>2002-03</td> <td>12,000.00</td> <td>3,347.98</td> <td>27.90</td> </tr> <tr> <td>2003-04</td> <td>14,500.00</td> <td>15,547.41</td> <td>107.22</td> </tr> <tr> <td>2004-05</td> <td>4,000.00</td> <td>2,764.87</td> <td>69.12</td> </tr> <tr> <td>2005-06</td> <td>कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं</td> <td>1,569.68</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2006-07</td> <td>कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2007-08</td> <td>कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं</td> <td>4,181.39</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2008-09</td> <td>कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2009-10</td> <td>कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं</td> <td>23552.93</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2010-11</td> <td>40,000.00</td> <td>22,144.21</td> <td>55.36</td> </tr> <tr> <td>2011-12</td> <td>40,000.00</td> <td>13,894.05</td> <td>34.74</td> </tr> <tr> <td>2012-13</td> <td>30,000.00</td> <td>23,956.81</td> <td>79.86</td> </tr> <tr> <td>2013-14</td> <td>40,000.00</td> <td>15,819.46</td> <td>39.55</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि पिछले 14 वर्षों के दौरान विभाग द्वारा 100% बजटीय लक्ष्य केवल एक ही बार (2003-04 में) प्राप्त किया गया है।</p>	वर्ष	बजटीय प्राप्ति/लक्ष्य	कुल प्राप्तियां	लक्ष्य का %	2000-01	10,000.00	1,871.26	18.71	2001-02	12,000.00	5,657.69	47.15	2002-03	12,000.00	3,347.98	27.90	2003-04	14,500.00	15,547.41	107.22	2004-05	4,000.00	2,764.87	69.12	2005-06	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं	1,569.68	-	2006-07	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं	-	-	2007-08	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं	4,181.39	-	2008-09	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं	-	-	2009-10	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं	23552.93	-	2010-11	40,000.00	22,144.21	55.36	2011-12	40,000.00	13,894.05	34.74	2012-13	30,000.00	23,956.81	79.86	2013-14	40,000.00	15,819.46	39.55		
वर्ष	बजटीय प्राप्ति/लक्ष्य	कुल प्राप्तियां	लक्ष्य का %																																																														
2000-01	10,000.00	1,871.26	18.71																																																														
2001-02	12,000.00	5,657.69	47.15																																																														
2002-03	12,000.00	3,347.98	27.90																																																														
2003-04	14,500.00	15,547.41	107.22																																																														
2004-05	4,000.00	2,764.87	69.12																																																														
2005-06	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं	1,569.68	-																																																														
2006-07	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं	-	-																																																														
2007-08	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं	4,181.39	-																																																														
2008-09	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं	-	-																																																														
2009-10	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं	23552.93	-																																																														
2010-11	40,000.00	22,144.21	55.36																																																														
2011-12	40,000.00	13,894.05	34.74																																																														
2012-13	30,000.00	23,956.81	79.86																																																														
2013-14	40,000.00	15,819.46	39.55																																																														

क. सं.	पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
			<p>विनिवेश कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय और संबंधित सीपीएसईस की सहमति तथा उन अनुकूल बाजार परिस्थितियों सहित एक जटिल कार्य होता है जिनमें बिक्री, दक्षतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न करनी पड़ती है। कई बार बिक्री को संबंधित मंत्रालय के विरोध के कारण या प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों और संबंधित सीपीएसईस के शेयरों के प्रतिकूल मूल्यांकन के कारण स्थगित करना पड़ा था।</p> <p>वार्षिक विनिवेश कार्यक्रम को वित्त मंत्री के अनुमोदन से अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इसकी प्राप्ति की निगरानी भी वित्त मंत्रालय द्वारा की जा रही है। इसके अलावा, विनिवेश की पद्धति का निर्णय, विभाग द्वारा पूंजी बाजार विनियामक, सेबी द्वारा निर्धारित दिशा-निदेशों के अनुसार किया जाता है।</p> <p>विनिवेश आयोग की भूमिका और उसकी रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई के संबंध में विनिवेश विभाग की टिप्पणियां :</p> <p>विनिवेश आयोग का गठन दो बार किया गया था – पहली बार अगस्त, 1996 से नवम्बर, 1999 तक श्री जी.वी. रामाकृष्णा की अध्यक्षता में और दूसरी बार डॉ. आर.एच. पाटिल की अध्यक्षता में जुलाई, 2001 से अक्टूबर, 2004 तक की अवधि के लिए। आयोग के (पुनर्गठित आयोग के भी) विचारार्थ विषयों के अनुसार उसका मुख्य कार्य सीपीएसईस के विनिवेश के बारे में सरकार को सिफारिश करना था और अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना था। इस बात पर गौर किया जाए कि सीपीएसईस में अल्पांश बिक्री के अलावा आयोग ने विनिवेश के मामलों में सामरिक बिक्री के लिए भी सिफारिश की थी। पुनर्गठित आयोग के विचारार्थ विषयों में कामगारों, कर्मचारियों और अन्य हिस्सेदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें करना शामिल था। स्पष्ट रूप से यह उन सीपीएसईस के कर्मचारियों का हित सुनिश्चित करने के लिए था, जिन सीपीएसईस में मंद बिक्री का रास्ता अपनाया जाना था।</p> <p>आयोग एक परामर्शदायी निकाय था, जबकि विनिवेश नीति सरकार द्वारा मुख्य रूप से वार्षिक बजटों के माध्यम से निर्धारित की गई थी। आयोग ने सीपीएसईस की जांच सरकार द्वारा निर्धारित स्थूल नीतिगत पैरामीटरों के अंतर्गत मामला-दर-मामला आधार पर की थी।</p>		

क. सं.	पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
			<p>विनिवेश आयोग ने कुल मिलाकर 25 रिपोर्टें प्रस्तुत की थी, जिनमें 95 सीपीएसईस सम्मिलित थे। इन मामलों में की गई कार्रवाई का अलग-अलग ब्यौरा नीचे दिया गया है:-</p> <p>(क) 06 मामलों में आयोग ने अल्पांश शेयरों की बिक्री की पेशकश की सिफारिश की थी। इनमें से एमटीएनएल की बिक्री की पेशकश दिसम्बर 1997 में सम्पन्न की गई थी जबकि नालको के मामले में विनिवेश प्रस्ताव पर जुलाई 2003 के बाद कार्रवाई नहीं की गई।</p> <p>(ख) 11 मामलों में आयोग ने आंशिक निजीकरण की सिफारिश की थी। इन सभी मामलों में सरकार द्वारा निजीकरण कर दिया गया था, जैसा कि सिफारिश की गई थी।</p> <p>(ग) 12 मामलों में सरकार ने सामरिक बिक्री/विनिवेश की कार्रवाई नहीं करने का निर्णय लिया था।</p> <p>(घ) 20 मामलों में स्वयं आयोग ने सामरिक बिक्री का सिफारिश नहीं की।</p> <p>(ड.) शेष 46 सीपीएसईस के मामले, जो या तो घाटे में चलने वाले थे या रुग्ण पीएसईस थे, उनके पुनरुद्धार/पुनर्गठन हेतु विचारार्थ, लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) को संदर्भित किए जाने के लिए अनुशंसित किए गए थे।</p> <p>इस प्रकार विनिवेश आयोग की सभी सिफारिशों पर कार्रवाई की गई थी। जहां तक घाटे में चलने वाले सीपीएसईस का संबंध है, उनकी जांच एक अलग निकाय नामतः बीआरपीएसई और सरकार द्वारा गठित अन्य समितियों द्वारा की जाती है।</p> <p>जहां तक विनिवेश कार्यक्रम में जन-स्वामित्व का संबंध है – विभाग का पूरा प्रयास हमारे सीपीएसईस द्वारा सृजित संपत्ति में जन-स्वामित्व सुनिश्चित करने का रहा है। वर्ष 2009-10 के बाद की गई सीपीएसईस की सभी आरंभिक सार्वजनिक पेशकशों/अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकशों और वर्ष 2012 के बाद की गई बिक्री की पेशकशों में खुदरा निवेशकों ने बड़े जोश के साथ भाग लिया है। लगभग सभी आरंभिक सार्वजनिक पेशकशों/अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकशों में खुदरा हिस्सा ओवर सब्सक्राइब</p>		



क. सं.	पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
			<p>हुआ था। ओएफएस के माध्यम से भी संबंधित सीपीएसई पर निर्भर करते हुए खुदरा निवेशकों ने पेशकश में बड़े जोश के साथ भाग लिया है।</p> <p>ओएफएस का रास्ता सेबी द्वारा प्रवर्तकों को एक फास्ट ट्रैक रास्ते के तौर पर उपलब्ध कराया गया था जिससे या तो सूचीबद्ध कंपनियों या उन सुप्रसिद्ध कंपनियों, जो बाजार पूंजीकरण के अनुसार शीर्षस्थ कंपनियां थी, के लिए सार्वजनिक शेयरधारिता की अपेक्षा को पूरा किया जा सकता है। चूंकि ओएफएस स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से शेयरों की एक दिवसीय नीलामी थी, इसलिए खुदरा निवेशकों के लिए कोई अलग आरक्षण नहीं किया गया था, चूंकि सेबी ने यह सोचा कि नीलामी आधारित बिक्री किसी उस निवेशक के लिए आकर्षित नहीं हो सकती जो पूंजी बाजार तथा स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से बोली लगाने की बारीकियों से परिचित नहीं है। चूंकि अनेक सरकारी विनिवेश ओएफएस के माध्यम से किए जा रहे थे इसलिए यह मांग थी कि यह रास्ता खुदरा निवेशकों के लिए भी आकर्षित बनाया जाना चाहिए, इसलिए विनिवेश विभाग ने ओएफएस में खुदरा आरक्षण का मामला सेबी के साथ उठाया। सेबी ने इस पर विचार किया और अगस्त, 2014 में यह अनिवार्य कर दिया कि ओएफएस में 10 प्रतिशत हिस्सा खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित होना चाहिए। तब से सीपीएसईस के शेयरों की बिक्री की सभी ओएफएस में खुदरा निवेशकों के लिए सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार आरक्षण किया गया है और वास्तव में कुछ निर्गमों में हमने कट-ऑफ मूल्य पर 5 प्रतिशत की छूट के साथ खुदरा श्रेणी के लिए पेशकश के आकार में से 20 प्रतिशत तक भी आरक्षण किया है।</p> <p>इसलिए यह महसूस किया जाता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मौजूदा विनिवेश नीति पर्याप्त है। सेबी के लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार विनिवेश की पद्धति भी पर्याप्त मानी गई है जिसमें खुदरा निवेशकों को आबंटन भी शामिल है, जिससे सीपीएसईस में जनस्वामित्व को बढ़ावा मिलता है। अतः यह महसूस किया जाता है कि विनिवेश आयोग का गठन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।</p>		

**Statement showing Action Taken on the recommendations/observations contained in the 2<sup>nd</sup> Report of the Standing Committee on Finance**

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
1.	1	<p>“The Committee notes that the Action Taken Notes regarding the action taken by the Government on Recommendations contained in the Sixty-seventh Report (Fifteen Lok Sabha) of the Committee were furnished by the Government within the stipulated three months. Also, the Statement of the Minister under Direction 73 A was made within the stipulated six months period. The analysis of the action taken by the Government contained in the Seventy-fifth Report (Fifteenth Lok Sabha) of the Committee reveals that out of 14 Recommendations, 71% of Recommendations have been implemented however action taken in the context of some of them has been commented upon by the Committee; 7% of Recommendations have not been implemented; and 22% of Recommendations are in various stages of implementation. The Committee expects the Government to take conclusive action in the context of all the Recommendations commented upon by the Committee and furnish further action taken notes to the Committee expeditiously.</p>	<p>The recommendations of the Committee have been noted. Status on recommendation No. 23 of 75<sup>th</sup> Report of Standing Committee is given below: -</p>	Accepted	

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
		<p><b>Recommendation No. 23 of 75<sup>th</sup> Report:</b>            “It seen from the reply that though the Government is stated to have created additional headroom for the Public Sector Banks (PSBs) to raise capital from the market, the reply is silent whether the Ministry, as recommended by the Committee, instructed the PSBs to generate funds internally also for their recapitalization. The Committee would thus like to know the details of capital raised by the each PSB as against the capital infused by the Government during the last three years. They also urge the Government to expedite the process of setting up of the Holding Company to meet the long-term needs of capital of PSBs.</p>	<p>The average capital adequacy for Public Sector Banks (PSBs) stands at 11.19% <i>vis-à-vis</i> the Basel III prescription of 9%. As of now, PSBs are adequately capitalized and there is no need for capital in the near term. However, the Government has decided to bring down its holding in these banks to 52% in phased manner based on their future capital requirement and overall performance. The banks will be incentivized for raising their efficiency parameters which will lead to more capital generation and saving, finally resulting in better capital adequacy. The dilution of holding based on efficiency parameters will ensure that capital needs of banks are taken care of.</p> <p>It has been decided to infuse a sum of ₹.6,990 crore in 9 PSBs during 2014-15, through preferential allotment of equity in its favour. The methodology for arriving the amount to be infused in these banks has been based on efficiency parameters. First of all, weighted average of return on assets (ROA) for all PSBs for last three years put together was arrived at and all those who were above the average have been considered. This infusion of additional capital is over and above the internally generated capital by these PSBs out of the net profits earned by them. The details of net profits earned by the PSBs during the years 2011-12, 2012-13 and 2013-14 is at <b>Annex</b>. The net profits are internally generated funds and ploughed back to capital after making payment towards dividend, tax on dividends and appropriations / transfer to various reserves as per regulatory prescriptions.</p>		<p>1. The suggestion of the Committee regarding expediting the process for formation of Holding Company is under consideration.</p> <p>2. Various options including formation of a Holding Company are being examined with a view to arrive at the optimal solution which caters to the need for recapitalization as well as making Banks more efficient.</p>

**Financial condition of Banks**

₹ In Crore.

Bank Name	Net Profit			Capital Infusion by GoI		
	Mar-12	Mar-13	Mar-14	Mar-13	Mar-14	Mar-15
Allahabad Bank	1,819	1,157	1,110	0	400	320
Andhra Bank	1,345	1,289	436	0	200	120
Bank of Baroda	3,838	3,536	3,387	850	550	1260
Bank of India	2,049	2,368	2,061	809	1000	0
Bank of Maharashtra	431	760	386	406	800	0
BharatiyaMahila Bank Ltd.	-	-	12	0	0	0
Canara Bank	3,178	2,737	2,311	0	500	570
Central Bank of India	533	1,015	(1,263)	2406	1800	0
Corporation Bank	1,506	1,435	562	204	450	0
Dena Bank	803	810	552	0	700	140
IDBI Bank Limited	1,960	1,690	594	555	1800	0
Indian Bank	1,682	1,485	1,117	0	0	280
Indian Overseas Bank	806	442	446	1000	1200	0
Oriental Bank of Commerce	1,142	1,328	1,139	0	150	0
Punjab & Sind Bank	451	339	301	140	100	0
Punjab National Bank	4,698	4,545	3,080	1248	500	870
Syndicate Bank	1,243	1,919	1,668	0	200	460
UCO Bank	1,073	569	1,417	681	200	0
Union Bank of India	1,688	2,070	1,599	1114	500	0
United Bank of India	633	392	(1,213)	100	700	0
Vijaya Bank	581	586	416	0	250	0
State Bank of Bikaner & Jaipur	652	730	732	0	0	0
State Bank of Hyderabad	1,298	1,250	1,020	0	0	0
State Bank of India	9,631	11,699	8,605	3004	2000	2970
State Bank of Mysore	369	416	274	0	0	0
State Bank of Patiala	796	667	448	0	0	0
State Bank of Travancore	510	615	316	0	0	
<b>Public Sector Banks</b>	<b>44,713</b>	<b>45,850</b>	<b>31,511</b>	<b>12517</b>	<b>14000</b>	<b>6990</b>

*Figures in Brackets are loss.*

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
2.	2	<p>The committee have been impressing upon the Ministry of Finance for realistic preparation of Budget Estimates (BE) and Revised Estimates (RE) and full utilization of allocated funds. They are, however, constrained to note that there is not even an iota of improvement in this regard under the Demand No.33 related to department of Economic Affairs. In the year 2013-14, the BE of ₹.75274, was radically reduced to ₹.16,977.45 crore and the amount spent actually was ₹.16,106.94 crore. Under the Plan Head, the BE of ₹.5142.45 crore was enhanced to ₹.6732.90 crore and the Department could incur expenditure of only ₹.6504.90 crore. Whereas, under the Non-Plan Head, the BE of ₹.70131.56 crore was drastically cut down to ₹.10,244.64 crore and spent only ₹.9602.04 crore. This clearly indicates that the Department of Economic Affairs have not taken appropriate corrective measures to arrest the imbalance between BE, RE and Actual. Such a recurring trend has obviously reduced the budgeting exercise to a ritual. The reasons advanced by the Department are rather routine and thus not very convincing, particularly considering the recurring nature of the variations. The Committee, therefore, reiterate their earlier Recommendation that the Department of Economic Affairs should</p>	<p>BE 2013-14 was reduced from ₹.75274.01 crore to ₹.16106.94 crore mainly due to Non requirement of Subscription of ₹.56000.00 crore to IMF(In securities and in Cash) and Non finalization of schemes and projects for which a lumpsum provision of ₹.7000.00 crore was made in BE 2014-15.</p> <p><b>Plan Section :</b> BE of ₹.5142.45 crore was enhanced to ₹.6732.90 crore mainly due to introduction of Nirbhaya Fund (₹.1000.00 crore) and National Skill Certification and Monetary Reward Scheme (₹.1000.00 crore) for which no Budget Provision was made during 2013-14. This was part of Finance Minister's announcement in his Budget Speech. Actual expenditure was ₹.6504.90 crore against RE of ₹.6732.90 crore due to receipt of less claims from the sponsoring authorities for various projects of Assistance for Infrastructure Development - Viability Gap Funding (VGF) for PPP.</p> <p><b>Non-Plan Section :</b> BE 2013-14 was reduced from ₹.70131.56 crore to ₹.10244.64 crore mainly due to Non requirement of Subscription of ₹.56000.00 crore to IMF(In securities and in Cash) and Non finalization of schemes and projects for which a lumpsum provision of ₹.7000.00 crore was made in BE 2014-15. Actual expenditure was ₹.9602.04 crore against RE of ₹.10244.64 crore mainly due to requirement of less funds by Reserve Bank of India for providing loans to International Monetary Fund (IMF) under New Arrangements to Borrow(NAB).</p>	Accepted	

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
3.	3	<p>endeavor to be a role model for other line ministries / departments in preparation of realistic estimates and full utilization of funds.</p> <p>The Committee, recommend the Government that the Ministry of Planning should be entrusted with the task of planning and approval of Plan estimates until an alternate mechanism is put in place of the Planning Commission.</p>	<p>Post abolition of Planning Commission, the estimates for Plan expenditure 2015-16 have been finalized by the Ministry of Finance.</p>	Not accepted	
4.	4	<p><b>Modified Budget and Cash Management (B&amp;CM) Scheme</b></p> <p>In the context of budgetary planning and monitoring expenditure, the Committee are concerned to note the persistent shortcomings such as unrealistic budget estimates; skewed expenditure pattern; parking of funds and ineffective monitoring of expenditure pattern. It is observed that despite the modified Budget and Cash Management (B&amp;CM) Scheme being implemented since April, 2006 and extended to all Ministries / Departments in July, 2012, absence of evenness in the budgeted quarterly expenditure is widely prevalent across the Demands of the Departments of Economic Affairs, Expenditure and Financial Services. This reflects that preparation of Monthly</p>	<p>The observation of Standing Committee regarding preparation and appending of MEP in respective DDG of Grants in next fiscal year and reviewing of B&amp;CM Scheme to achieve its objectives, have been noted.</p>	Accepted	

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
		<p>Expenditure Plan (MEP) and Quarterly Expenditure Allocation (QEA) is a futile exercise and questions the efficacy of the modified B&amp;CM Scheme. What is more disturbing is that MEP in respect of Appropriation Nos. 35 and 38 and Demand Nos.36,37,39, 40 and 45 of the Ministry of Finance have not been prepared and appended to the detailed Demands of the Ministry 2014-15. It is surprising as to how the Ministry have overlooked this mandatory stipulation of their own. How they expect other ministries / departments to adhere to these stipulations when they themselves are not following them is a moot point. The Committee while strongly disapproving this failure of the Ministry expects that as promised by the Ministry, MEPs in respect of afore-cited Appropriations / Demands shall be prepared and appended to the respective Grant in the next Fiscal. The Committee also urge upon the Ministry of Finance to review and strengthen the B&amp;CM Scheme so as to achieve its avowed objectives. In this regard, the Committee would like the Ministry to expedite the report of the High Powered Committee / Working Group on “Strengthening Financial Management System” constituted in the wake of recommendation of the second</p>			

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
5.	5	<p>Administrative Reforms Commission (ARC) and apprise the Committee of the action taken on the Recommendations of the Group.</p> <p>Further, the Committee is not in agreement with the reply of the Ministry that the shortcomings associated with larger exercise of budget formulation, introduction/drawing up of new schemes, their implementation, issue of guidelines, etc. are to be addressed by line Ministries/ Departments. While it is understandable that it is the line Ministries/Departments which are responsible for implementation of the measures, the Ministry of Finance cannot completely absolve themselves from this responsibility. The Committee, therefore, expects the Ministry to do the overall supervision and guidance of the line Ministries/Departments in ensuring strict compliance of the rules, guidelines and instructions.</p>	<p>Department of Expenditure has taken initiatives to impart training to the officials dealing in the Budget, IFD in all Ministries &amp; Departments. The training is being conducted through National institute of Finance Management (NIFM) Faridabad. Further all extant OMs and guidelines relevant for Budgetary exercise are being reiterated.</p>	Accepted	
6.	6	<p>The Committee is constrained to note that the Department of Expenditure, the nodal department for preparation of budget, which is supposed to be a role model to the line ministries / departments have not adhered to the General Financial Rules and guidelines. The Department has been in the</p>	<p>The Funds in the Public account are created in exceptional circumstances where allocation are intended to be utilized on schemes/projects across Financial Years. These funds are created in consultation with C&amp;AG.</p> <p>The Nirbhaya Fund has also been constituted in this manner. Efforts are being made to allocate the amount for various Scheme</p>	Accepted	



Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
		<p>habit of parking of funds over the years pending formulation and approval of Schemes matching the allocation. For instance, “Nirbhaya Fund for Safety of Women” was set up in September, 2013 with an initial allocation of ₹ 1000.00 crore but opened an account in Public Account belatedly in January, 2014. Subsequently, an allocation of ₹ 1000.00 crore has been made in 2013-14 and another ₹ 1000.00 crore in BE 2014-15 when there has been no utilization since the fund was set up. After lapse of two years from setting up of the fund, only two Schemes with paltry allocation of funds, one of ₹ 50.00 crore and another one (for which no details of funds allotted were provided to the Committee) have been approved and are under implementation. It is also observed that the title of the Fund is a misnomer as the “Girl Children” are not included. From the foregoing it is apparent that the Government in spite of its best intention have not been able to utilize the precious monies allocated under the Nirbhaya Fund. The Committee, therefore, urge upon the Government to review and restructure the scope and objective of the Nirbhaya Fund after having wider consultations with the stakeholders so that the intention of setting</p>	<p>intended for safety and security of women. The fund was created to finance long-term substantial measures to ensure safety and security of woman in the country. It was opened in the Public Account in consultation with C&amp;AG so that the amount could be utilised to fund various scheme across financial year.</p> <p>A scheme of MHA on backend integration of distress signals from victims with mobile vans and control room, with a project cost of ₹ 1000.00 crore, covering 157 cities, have been approved and ₹ 150.00 crore sanctioned in the Union Budget 2014-15. MHA has informed that the Project Management Consultant has since completed some initial studies including visit to some cities to evaluate the existing response system.</p> <p>Another scheme of Ministry of Road Transport &amp; Highways (MoRTH) for the ‘Woman Safety on Public road Transport’, with the project cost of ₹ 1700.00 crore covering 32 towns with the population of over 1 million, have been approved. The Ministry has informed that they have started consultation with beneficiary States/UTs in phased manner for informing them the details of the scheme and action required on their part for timely interpretation of the scheme.</p>		

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
7.	7	<p>up of this separate fund would fructify without any further loss of time.</p> <p>The committee is perturbed to note that in the case of 'National Social Security Fund for un-organized sector workers' funds have accumulated to the tune of ₹.1820.00 crore till 2013-14 and the actual is "NIL". However, again in BE 2014-15 a sum of ₹ 607.00 crore has been allocated to the Fund but not a single Rupee has been incurred till the first quarter of 2014-15. It is also not clear whether any schemes have been formulated/ approved are under implementation to utilize the Fund in the current Fiscal. It is inexplicable as to how funds under such an important Head have remained unspent. While, exhorting the Department to utilize the entire amount accrued in the Fund during this Fiscal, the Committee would also to have a clarification on the reasons due to which funds under this Head have, hitherto, remain unspent.</p>	The observations made by the Committee are being taken up with Ministry of Labour & Employment for necessary action.	Accepted	Ministry of Labour and Employment has informed that due to absence of any proposal/ scheme, the Fund kept in 'National Social Security Fund' could not be utilized.
8.	8	In yet another fund namely, "National Clean Energy Fund (NCEF)", even when only 50 percent of funds i.e. ₹ 1770.34 crore were spent as against total funds of ₹ 3759.00 crore provided till 2013-14, a huge amount of ₹ 4700.00 crore has been provided in BE	The fund is being utilized. In the Budget 2014-15 and 2015-16, substantial outlay of Ministry of New & Renewable Energy resources were funded from National Clean Energy Fund (NCEF).	Shall be examined	

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
9.	9	<p>2014-15 in view of large number of projects/schemes being implemented. In the absence of specific details of those project/schemes, it is doubtful whether the earmarked funds could be fully utilized. The Committee express their extreme disappointment over the repetitive provision of huge funds without preparatory work/finalization of schemes/analysis of absorption capacity of the line ministries/ departments. The Committee expect the Department of Economic Affairs to at least now review the allocations for the afore-cited Funds without any schemes, targets and mechanism for implementation. The Committee also recommend the Department to transfer the unutilized funds / funds kept idle for more than two years to Consolidated Fund of India so that these funds could be utilized for other prioritized Schemes.</p> <p>The committee understand that the Small Savings are regarded as instruments of social security and, therefore, need to be efficiently managed for achieving its objective. All transactions of small savings are accounted under “National Small Savings Fund (NSSF)” set up on 1<sup>st</sup> April, 1999. The Committee note that the</p>	<p>The Government has constituted Committee under chairmanship of Dy. Governor, RBI for comprehensive review of National Small Savings Fund (NSSF).Based on the recommendations of the Committee, Government took the decisions. Major measures for addressing the deficit of NSSF:</p> <p>(i) Agency commission under PPF scheme and Senior Citizens Savings Scheme was discontinued. In some</p>	Accepted	

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
		<p>Ministry of Finance constituted a committee for comprehensive review of NSSF. The said committee in their report (June, 2011) inter-alia recommended for reduction in the management cost and in the time lag between the receipts of small savings and their investment; setting up a monitoring group to resolve the pending operational issues to improve the viability of NSSF. Accordingly, the Ministry had reduced investment time period; abolished moratorium on repayment; benchmarked interest on savings instruments to Govt. Securities; abolished commission to agents for Public Provident Fund Scheme and Senior Citizens Savings Schemes; reduced commission to agents for small savings schemes. The committee are, however, deeply concerned to observe that these measures have failed to improve the balance sheet of NSSF. The NSSF deficit has been consistently burgeoning from ₹ 13775.93 crore in 2012-13 (Actual) to ₹ 22172.20 crore in 2013-14 and ₹ 21753.26 crore in BE 2014-15 as the interest payment exceeds the income earned; and increase in management cost in every fiscal. Notably, under the management cost, the agency charges to Department of Posts which is supposed to decline with the introduction of new</p>	<p>other schemes, the commission was reduced;</p> <p>(ii) Interest rates on small savings were aligned with the g-sec rates to bring in parity in income and expenditure;</p> <p>(iii) Half yearly payment of interest by Centre and States was introduced;</p> <p>(iv) Period of repayment of NSSF loans by Centre and States reduced to 10 years, with no moratorium;</p> <p>2. Expert Group under chairmanship of Addl. Chief Advisor (Cost) was constituted to resolve the issues relating to remuneration paid to DoP for operating Small Savings Schemes. After examination of recommendations of Expert Group, decisions taken were conveyed to DoP and every year remuneration is decided on the recommendations of the Expert Group.</p> <p>3. So far as reduction of time lag between receipts of small savings and their investments are concerned, it is stated that collection under Department of Posts are directly credited to Government Accounts. For reducing time lag in respect of Banks, Government has taken up the matter with Banks to devise a mechanism of reducing the lag in reporting collection.</p>		

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
		<p>technology and computerization of Post Offices scaled up from ₹ 5031.60 crore in 2012-13 to ₹ 5470.52 crore in 2013-14 and further increased to ₹ 5901.90 crore in BE 2014-15. In this regard, the committee note that they have not informed about action taken by the Ministry on the report of the Expert Group set up on 9<sup>th</sup> April, 2010 to review the rate of agency charges payable to Department of Posts for operation of small savings instruments. Further, the payment of commission to agents was brought down from ₹ 1714.41 crore in 2011-12 to ₹ 1492.56 crore in 2012-13 but increased to ₹ 1479.40 crore (2013-14) at RE stage as against BE of ₹ 1300.00 crore and is again estimated to increase to ₹ 1346.50 crore. No significant reduction in cost of printing is also observed as it has been hovering around ₹ 30.00 crore during the period under review. The committee were also not informed about action taken by the Ministry to reduce the time lag between receipts of small savings and their investment and setting up of a monitoring group to resolve the pending operational issues as per afore-mentioned recommendations. Therefore, from the above findings the committee are skeptical about the assumption of the Ministry that the measures taken by them would yield</p>			

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
10.	10	<p>results there by achieving reduced NSSF deficit. They, therefore, impress upon the Ministry to take appropriate measures to improve the overall management of NSSF including benchmarking of all parameters. The committee may be apprised of the action taken on the recommendations made by the committee on comprehensive review of NSSF (June, 2011) and report of the Expert Group (April, 2010) on review of agency charges to Department of Posts and their outcomes within a month from the date of presentation of the report. The committee also expect the Ministry to be careful and ensure that comprehensive information on all the expects as brought out above is furnished to the Parliamentary Committee in future.</p> <p>The Committee are alarmed to note that at a time when “Paperless” work culture is being promoted, the Ministry of Finance presents as many as 18 budget documents containing around 2000 pages and prints more than one lakh copies. While the Ministry agreed to a suggestion made by the Committee to eliminate duplication in budget document titled, “Statement of Revenue Foregone”, it is silent in respect of other key reforms highlighted by the</p>	<p>In the light of observations of the Standing Committee, the number of Budget Documents printed were reduced substantially in the Budget 2015-16. Besides this, the Expert Group, as recommended by the committee, has also been set up and has begun deliberation. The Committee is exploring use of electronic media for distribution of Budget documents to the extent possible.</p>	Accepted	

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
11.	11	<p>Committee such as use of information technology in presentation of paperless budget; merging reports such as Annual Report of the ministries / departments and their Outcome Budget which have lots in common; and making the budget documents more transparent and user-friendly. The Committee strongly deprecate this continued silence of the Ministry and expect them to be careful while submitting information to the Parliamentary Committee and ensure that in future it submits requisite information addressing all Observations/Recommendations of the Committee without Any omission. The Committee recommend that the Ministry may constitute an expert group to review and rationalize the budget documents and make the whole budget exercise not only cost effective but environment and people friendly.</p> <p>The Committee on Finance (2012-13) in their Sixty-seventh Report (Fifteenth Lok Sabha) had, <i>inter-alia</i>, recommended tokenism in provisioning of funds and premature allocations without approval of the Schemes be avoided. The Department of Economic Affairs, in compliance with the Recommendation of the Committee, issued suitable instructions to all ministries/</p>	<p>The recommendation made by the Committee has been noted. Necessary instructions have already been issued to all Ministries/ Departments that necessary corrective measures may be initiated for obtaining timely approval of the competent authority and for review of the progress of the schemes handled by the Ministry/Department periodically so that the allocated funds are fully utilized in a phased manner. This would facilitate maintaining the budget provision approved by Parliament in the mid-year review. Similarly, Ministries/Departments are also</p>	Accepted	

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
		<p>departments that funds for New Services/ New Instrument of Services including token provisions might not be made without finalizing the specific details about objectives, targets, allocations and mechanism for implementation of the proposed schemes without approval of competent authorities. The Committee are, however, anguished to note that token provisions for New Services/New Instrument of Services viz. ‘ 0.01 crore for the proposed National Institute of Economic Policy; ‘500 crore for the proposed Institute called “3P India”; and ‘ 500 crore for constituting a Price Stabilisation Fund for agriculture sector have been provided in BE 2014-15 pending finalization/ approval of competent authority. The justification advanced by the Department for these token provisions are that as per the prescribed instructions, no expenditure on any New Services/New Instrument of Services can be incurred without the consent of Parliament; and accordingly, token provisions are generally made for introductions of any New Scheme anticipating approval of the competent authority. The Committee, however, observe that the Department have made these token provisions deliberately in violation of provision of General Financial</p>	<p>requested that funds for new schemes including token provisions may not be made without finalizing the specific details about objectives, targets, allocations and mechanism for implementation, etc. Ministries/Departments are expected to follow these instructions scrupulously.</p>		



Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
12.	12	<p>Rules related to “token demand” and also non-compliance with Recommendation made by the Committee and written instructions issued there under by the Department itself. What is more disturbing is that afore-cited New Services/ Schemes have not yet been finalized and approved although we are now halfway through the twelfth Plan. The Committee express their disapproval of the justification put forth by the Department and seek their specific explanation in this regard. The Committee, while reiterating their earlier Recommendation, would like to emphasize that consent of Parliament for token provisions to New Service/New Schemes pending finalization/approval of the competent authority should not be sought as a matter of routine as in the instant case.</p> <p>The Committee note yet another instant in which the Department of Economic Affairs have not adhered to its own instruction contained in the Budget Circular(2014-15) in preparation of BEs. The actual for 2012-13 and BE/RE 2013-14 of the Forward Markets Commission(FMC) as stipulated in Budget Circular (2014-15) has not been shown against the provision of ₹.60.23 crore provided for FMC under Major Head 3475 in BE 2014-15 in Demand No.33 in the</p>	<p>The actual for 2012-13 and BE/RE 2013-14 of the Forward Markets Commission(FMC) has not been shown in the Detailed Demands for Grants (Demand No.33-DEA) for the year 2014-15 due to the fact that</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provision under MH -3475-FMC was made in the Budget Estimates 2014-15 for the 1<sup>st</sup> time in the Department of Economic Affairs.</li> <li>2. Showing Actual for 2012-13 and BE/RE 2013-14 of Forward Markets Commissions would lead to mismatch of figures as the</li> </ol>	Accepted	

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
13.	13	<p>wake of transfer of FMC from the Department of Consumer Affairs to the Department of Economic Affairs. The Committee would like to caution the Department to be careful while preparing the BEs in future and ensure that any lapses as in the instant case is avoided.</p> <p>Further, the Committee are constrained to note that the FMC, the regulator of forward and futures markets, has been functioning without financial autonomy since inception unlike other regulators namely, the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) and is wholly dependent on Central Government for Grants to meet its establishment and other expenses. The Committee also note that an amendment Bill to the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 is under consideration of the Ministry of Finance to enable the Commission to generate its own financial resources so as to meet its expenses. Given the pressing need of letting FMC be a self-sufficient entity, the Committee recommend the Ministry to take immediate steps to get the amendment Bill enacted, preferably in the ongoing Winter Session of Parliament.</p>	<p>FMC was not under the control of DEA during 2012-13 and 2013-14.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Department of Consumer Affairs was the administrative Department for the Forward Markets Commission (FMC) till September, 2013. FMC has been brought under the administrative jurisdiction of the Department of Economic Affairs vide Cabinet Secretariat Notification dated 05.09.2013. After the transfer of the subject matter, this Department initiated measures to strengthen the FMC. Administrative and financial powers have been delegated to the FMC.</li> <li>2. As regards amendment Bill to the FCRA, 1952, it is submitted that notices were moved twice during Winter Session 2013 and Budget Session 2014 requesting the Secretary General, Lok Sabha to move the motions for (i) consideration of the Bill “The Forward Contracts (Regulation) Amendment Bill, 2010”; and (ii) passing the Bill. However, the Bill was not taken up for consideration and lapsed with the dissolution of the 15<sup>th</sup> Lok Sabha.</li> <li>3. In order to further strengthen the regulation of commodity derivatives market it is now proposed to converge the regulation of this market with the securities market and give the regulatory jurisdiction to the Securities Exchange Board of India (SEBI). The Finance Bill, 2015 contains inter-alia the provisions for merger of FMC with SEBI.</li> </ol>	Accepted	

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
14.	14	<p><b>Capital infusion in the Public Sector Banks:</b></p> <p>The Committee understand that infusion of fresh capital is needed to enhance the capacity of the Public Sector Banks (PSBs) to meet the growing credit needs of the people of the country and also to comply with Basel III requirements. The Government have been infusing huge amount towards capitalization of PSBs over the years. In this regard, the Committee have been repeatedly expressing their concern as such infusion from the budget cannot be an endless ritual as it encourages incompetence and inefficiency in the PSBs. The Committee have accordingly recommended that considering the fiscal consolidation and the need for maintaining capital adequacy in PSBs to meet Basel III norms the PSBs should generate funds internally also for their recapitalization instead of depending on budgetary support alone. They have in the past also urged the Ministry of Finance to expedite the process of setting up a holding company to meet the capital requirements of PSBs. The Committee are, however, disappointed to see that the Government in BE 2014-15 have again made a provision of huge amount of ₹.11,200.00 crore for capitalization of PSBs. Further, in the</p>	<p>The Capital infusion by the Government in PSBs is done with the twin objective of adequately meeting the credit requirement of the productive sectors of economy as well as to maintain regulatory capital adequacy ratios in PSBs. The Government of India, as the majority shareholder, is committed to keep all PSBs adequately capitalized. Government's infusion of capital in PSBs is in addition to their internal accrual and capital conversation to enable the banks to maintain a comfortable level of Tier I Capital to Risk Weighted Asset Ratio (CRAR).</p> <p>Cabinet in its meeting dated 10.12.2014 allowed PSBs to raise capital from markets through FPO or QIP by diluting Government of India holding upto 52% in phased manner based on their stock performance, liquidity, market appetite and subject to such other conditions that may be prescribed for efficient use of capital and resources, on case to case basis with specific approval of Finance Minister to each bank.</p> <p>Formation of Holding Company is under consideration.</p>	Accepted	

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
15.	15	<p>absence of specific roadmap / strategy of the Government in the meeting capital requirements of PSBs, it is not clear as to how the PSBs would be able to meet additional capital to the tune of ₹ 4.95 trillion to comply with Basel III norms and also to overcome the serious concern expressed by the Reserve Bank of India in their Financial Stability Reports (December, 2013 and June, 2014) over the lowest Capital Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) of PSBs. Further, there is no light shed by the Ministry on the formation of the holding company. The Committee, therefore, while reiterating their earlier Recommendations, urge upon the Ministry to draw out a roadmap / strategy on complying with Basel III norms by PSBs and for ensuring their healthy balance sheet without any further loss of time.</p> <p>The Committee are gravely concerned about the unsustainable interest payments on Debts that would adversely affect expenditure towards development and welfare activities of the Government. In 2013-14, Interest payments on Debts increased to ₹ 4, 00,500.66 crore in RE from actual 2012-13 of ₹ 3,30,182.68 crore; and increased further to ₹ 4,49,882.66 in BE</p>	<p>The interest payment, being a committed liability of the Government, is a <i>Charged</i> expenditure in terms of 112(3)(c) of the Constitution of India. Budget Estimates, having been projected at the beginning of the year, are prepared on the basis of requirements received from different estimating authorities and trends of expenditure. These payments are largely dependent on numerous factors such as market borrowings, variation in interest rates, foreign exchange rates, etc. The liability on account of interest payment is assessed and revised during the course of</p>	Accepted	

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
16.	16	<p>2014-15. This is mainly towards interest payment on internal debt which has gone to ₹ 3,49,271.45 crore (2013-14) from actual 2012-13 of ₹ 2,81,890.56 crore and further raised to ₹ 3,97,776.11 crore (BE 2014-15). The interest payment on external debt, however, remained stagnant at around ₹ 4,000.00 crore during the last three years. The Committee also note that the interest payments as a percentage of net tax revenue has been consistently over and above the level of 40 percent since 2009-10. In the considered opinion of the Committee if sufficient resources are to be made available for the social sector and infrastructure development, the interest payments on debts needs to be brought down drastically while increasing the revenue. The Committee, therefore, recommend that the Government should initiate concerted measures at the earliest in letter and spirit to rein in interest payments and to raise revenues.</p> <p>The Committee note that Plan Grants on the basis of recommendations of Planning commission/ line ministries and Non-Plan Grants on the basis of recommendations of Finance Commission are released to States and Union Territory Governments through the Demand operated by the Department of Expenditure. The Committee on Finance</p>	<p>year and re-allocation, supplementary appropriation, etc. are effected at RE stage to cover the excess expenditure under various heads.</p> <p>2. Government has, however, been taking all corrective measures to keep the interest expenditure within the appropriation authorized by Parliament. However, the same is contingent upon the level of borrowings approved by the Parliament. The Government is also taking measures to improve and raise the revenues.</p> <p>Since the projects under these schemes are multi-disciplinary in nature and spread over various Ministries / Departments and that Planning Commission does not have any Demand of its own, the same had been accommodated in the Demand No.36 of Ministry of Finance, Department of Expenditure and hence the Budget Provision for the afore-cited Plan Schemes was appropriately made in the Demand of Grant of Ministry of Finance.</p>	Accepted	

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
		<p>(2012-13) had <i>inter-alia</i> recommended in their Fifty-first Report (Fifteenth Lok Sabha) that funds for Central Assistance Plan Schemes may be raised through Demands of the nodal ministries/ departments concerned instead of through Demand of the Department of Expenditure. The Committee are happy to note that in pursuance of their Recommendations, the Grants for five Plan Schemes namely, Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP), Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission (JNNURM), National E-Governance Action Plan (NEGAP), Border Area Development Programme (BADP) and National Social Assistance Programme (NSAP), which were earlier released through Demand of the Department of Expenditure, now stand transferred to the Demands of concerned line ministries with effect from BE 2014-15. It is, however, found from the information provided to the Committee that the funds for certain Plan Schemes namely, Additional Central Assistance for National E-Governance Action Plan (NEGAP); Additional Central Assistance for other Projects (ACAOP); Special Central Assistance for (i) Hill Areas/Western Ghats Development Programme (HADP/WGDP); Special Plan Assistance (SPA); and (ii) Backward</p>	<p>However, now, Government has accepted the recommendations of Fourteenth Finance Commission regarding increase in shares of states from 32% to 42% of Centre's divisible pool of taxes. This recommendation is going to enhance the flow of untied transfer of resources to the States. These schemes are subsumed in increased rate of devolution. Hence there is no allocation for the schemes mentioned by the Committee in BE 2015-16.</p>		

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
17.	17	<p>Region Grant Fund (BRGF) which are supposed to be sought through the Demand of the nodal ministries / departments concerned have been raised in the Demand No. 36 operated by the Department of Expenditure. The Committee, thereof, recommended that the budget provision for the fore-cited remaining Plan Schemes also be raised in the Demand for Grants of the respective nodal ministries/ departments.</p> <p>The Committee have been emphasizing that the plethora of Centrally Sponsored Schemes (CSSs) and Programmes that are in operation should be streamlined and rationalized to manageable proportions. Accordingly, the Government in the recent past restructured the 126 CSSs / Additional Central Assistance (ACA) Schemes into 66 Schemes which include 17 Flagship programmes. The Committee are, however, perturbed to find that a new Plan Scheme namely, “Other Additional Central Assistance (Other ACA)” was introduced in 2013-14 in Demand No. 36 to meet the contingent situation under Central Assistance to State Plan or support of one time nature not covered by the existing budget line of “Additional Central Assistance (ACA) for other Projects”. The Committee strongly deprecate the approach</p>	<p>For General Category States, assistance is provided on 30% (Centre):70% (State) basis under ACA for other Projects unlike Special category States where the assistance is on 90% (Centre):10% (State) basis. ‘Other ACA’ is a new budget line introduced in 2013-14 in Demand No. 36 of Ministry of Finance to meet the contingent situation under Central Assistance to State Plan to support projects of one time nature not covered by the existing budget line of ‘ACA for Other Projects’, considered on a case-to case basis. This budget line is specifically meant to provide grant higher than 30% for addressing contextual developmental concerns widely varying across states due to socio-economic and geographical variations like for organizing National Games and mega events like Kumbh Mela, which are not covered under existing CSS/CS or any other Budget headline.</p> <p>In view of this, the two Budget heads (i.e. ACAOP and Other ACA) have been provided to meet any identified purpose as well as to meet unanticipated requirement for assistance to the General Category States.</p>	Accepted	

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
18.	18	<p>of the Ministry of Finance in crossing the restructured limit of CSSs. The Committee, therefore, recommend that the Ministry of Finance should review and restructure the Schemes namely, "Other ACA" and "ACA for Other Projects" to improve the efficiency of public expenditure.</p> <p>The Committee further note from the information provided by the Department of Expenditure, that a sum of ₹.1180.00 crore has been provided in the BE 2014-15 under the Schemes "Other ACA" which includes funds for Andhra Pradesh to meet the resource gap and for creation of essential facilities for the new capital of the State. However, the quantum of allocation for each aforesaid purpose has not been depicted distinctly in a separate sub-head. As agreed upon to a suggestion made by the Committee elsewhere in this Report, the afore-said provision may also be shown distinctly in a separate sub-head in future.</p>	<p>However, now with the acceptance of the recommendations of Fourteenth Finance Commission regarding increase in shares of states from 32% to 42% Centre's divisible pool of taxes, these schemes are subsumed in increased rate of devolution. Hence there is no allocation for the schemes "Other ACA" and "ACA for Other Projects" in BE 2015-16.</p> <p>Usually any separate sub-head entry for any particular state is not shown distinctly in any of the schemes as the allocation of state wise grants is finalized only after the presentation of the Union Budget in the Parliament and finalization of Annual Plan of the states taking into consideration inter/intra state contextual needs.</p> <p>However, now with the acceptance of the recommendations of Fourteenth Finance Commission regarding increase in shares of states from 32% to 42% Centre's divisible pool of taxes, this scheme is subsumed in increased rate of devolution. Hence there is no allocation for the scheme "Other ACA" in BE 2015-16.</p>	Accepted	
19.	19	<p>The Committee are given to understand that while the Block Grants are released as per prescribed periodicity, Project-linked Grants releases and their utilization, however, depend on various factors including the preparedness of the States to absorb funds under different sectors /</p>	<p>At the beginning of the year, Budget estimates for Charged expenditure are made for these allocations as recommended by respective FCs. Since the States have varying socio-economic and geographical factors and decision making procedures, the estimate of the exact absorptive capacity of the States becomes difficult. Therefore, FC recommended grant wise provision has to be kept till the end of the financial year. However, an estimate</p>	Accepted	



Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
		<p>projects. Also, the Grants (charged) as recommended by the Finance Commissions are released on the basis of fulfillment of prescribed conditionalities by the State Governments. The nodal Central Ministries / Departments monitor the physical progress of the Grant concerned and fulfillment of the conditionalities prescribed by Finance Commissions. In the previous Fiscal 2013-14, the Grants for Non-Plan Schemes were drastically reduced to ₹ 55,289.72 crore at RE stage from BE of ₹ 62,134.40 crore and the releases were only ₹ 53,904.55 crore which resulted into savings of ₹ 8229.85 crore. The Committee are constrained to observe that apart from administrative failure of the recipient States in fulfilling the conditions prescribed, the Department of Expenditure, the nodal department of releasing the Grants, is not in a position to estimate the possibility of utilization of allotted Grants and examine the feasibility of fulfillment of mandatory conditions by the States and their absorption capacity. The Committee cannot but conclude that these facts illustrate that the “Department have been resorting to the imprudent routine budgetary practices in allocating the Grants every Fiscal, which not only block the scarce resources but also fail to encourage States to strictly adhere to financial</p>	<p>of the requirements in each sector is made at the stage of Revised Estimates so that the actual expenditure is close to Revised Estimates. The Line Ministries /State Governments are scattered all over India, and are required to evaluate the quality of work/ projects financed by the grants. Department of Expenditure through Financial Advisers (FAs) in each Ministry oversees the expenditure within limits of fiscal federalism through the certificates given by the States that funds have been utilised for the meant purposes (UCs), are insisted upon before considering further releases. Submission of UCs before further releases ensures that the releases do not result into parking of funds with the State/implementing agency and that funds have been spent for the desired purposes. Further, independent evaluations made from time to time at the line Ministry/Department level form an important input when the scheme is examined for continuance/ review by high powered Expenditure Finance Committee, chaired by Secretary (Expenditure).</p> <p>On the recommendation to review the conditions / guidelines and make them more flexible in order to enable the States to fully utilize the Grants, it is submitted that FFC has taken note of the low grant utilization due to conditionalities attached with the grants and has in para 2.36 of its report stated that they have desisted from recommending such grants.</p>	Accepted	

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
		<p>prudence and discipline. The imprudence on the part of the Ministry also discourages the line Ministries / Departments concerned and the Department of Expenditure in implementation of the Schemes / Programmes. The Committee, therefore, recommends that the Department of Expenditure should review the conditions / guidelines and make them more flexible in order to enable the States to fully utilize the Grants. The Committee also recommends that the Department may also explore the possibility of entering into Memorandum of Understanding (MoU) between the recipient States, respective line ministries/department and Department of Expenditure so as to act in a coordinated manner to overcome the shortcomings and better utilization of the Grants. As far as monitoring of the Schemes is concerned, the Committee would like to reiterate their earlier Recommendation made in the Fifty-first Report (Fifteenth Lok Sabha) that the Department of Expenditure, in addition to the line ministries / departments should also oversee the quality of development expenditure as part of fulfilling its principal activity of overseeing the public expenditure management.</p>			

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
20.	20	The Committee, would recommend the Govt. to restructure the HBA Scheme suitably including the quantum of loans aligned to the market requirements so as to generate demand among their employees as a part of achievement of their ambitious mission i.e. "Housing for all by 2022".	The existing ceiling limit for grant of HBA is being maintained at present, since, the revised scheme of interest bearing advances including HBA is under consideration of 7 <sup>th</sup> CPC.	Under consideration	7th Central Pay Commission has already been set up
21.	21	The Committee have been informed that estimates under Appropriation No. 38- Repayment of Debt which includes provision for discharge of Ways and Means Advances, Cash Management Bills including overdraft from Reserve Bank of India could not be arrived at with precision as the Union Government do not have an accurate estimate of States' cash balance and its consequent impact on 14 day Treasury Bills redemption. In order to manoeuvre the cash management and synchronize it with debt management, the Committee desire the Ministry of Finance to put in a mechanism in coordination with RBI and State Governments for preparation of scientific estimates of funds requirement under the Appropriation No. 38.	The accumulation/draw down of cash balance by the Government arises from the difference between cumulative borrowing requirement vis-à-vis actual borrowings. Cumulative borrowing requirements arise from mismatches between (non- debt) receipts and expenditure. The cumulative mismatch between (non-debt) receipts and expenditure over a year are the fiscal deficit, which in principle could be financed by issue of bonds. Temporary liquidity mismatches, on the other hand, arise from the intra fiscal mismatches between the timing of receipts and expenditure and, by definition, get evened out in the course of the fiscal year. Such temporary mismatches could be financed by drawing down cash balance, resort to WMA or by cash management instruments like Treasury bills. The estimates for Repayment of Debt consisting of Ways and Means Advances (WMA) including overdraft from Reserve Bank of India, Cash Management Bills, Treasury bills, etc are being framed on the basis of inputs furnished by RBI, the Debt Manager of the Government of India. The same cannot be assessed precisely as they depend upon a number of factors which affect the day to day cash balance of Central Government. Hence, the actual repayment in a particular year in respect of these instruments may vary from the estimate proposed by RBI and depending upon the utilization/availment of such facility. While estimating provisions for the ensuing year,	Accepted	

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
22.	22	<p>The Committee find that provision for payment to National Securities Depository Limited (NSDL) for the Central Record Keeping Agency Charges for the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) has not been depicted distinctly but is clubbed under the Major Head "Other Administrative Expenses". Given the fact that the Government have in pursuance of the Recommendations of the Committee already shown some of the expenditure Heads separately in this Demand, the Committee are confident that the afore-said provision will also be shown distinctly in a separate sub-head in Budget 2015-16. Further, the Committee may be apprised of the reasons as to why the PFRDA could not meet the charges itself. In this regard, the Committee would like to emphasize that the Department of Expenditure should review all Demands / Appropriations of the Government and</p>	<p>the previous year's repayments are taken into consideration at large together with estimated cash flows of the financial year based on earlier years trends of repayments. The lack of any discernible trend makes it difficult to estimates WMA at BE stage, however, Ministry of Finance and RBI are committed to take initiatives to ensure better budgetary estimates and monitoring of repayments so that the variation may be kept at the minimum.</p> <p>In the light of observation of C&amp;AG regarding restriction on clubbing of items under 800 - others expenditure, all Ministries/ Departments regularly review and try to observe utmost transparency in classification of line item expenditure.</p>	Accepted	

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
23.	23	<p>ensure that such deficiencies in classification of expenditure are strictly avoided in future and transparency in budgeting is maintained. The findings of the review may be submitted to the Committee within a period of three months from the date of presentation of this Report to the Parliament.</p> <p>The Committee are perturbed to note that the National Institute of Financial Management (NIFM), an autonomous institution which has been in existence for more than two decades still depends on Grants from the Government to meet part of its establishment expenses. The Committee are of the firm view that continuing with such support, without defining time period upto which the expenses will be met from Central Grants, would only discourage attempts by the Institution to be self-reliant. The Committee while strongly conveying their disapproval of continuing with such provision indefinitely, urge upon the Department of Expenditure to invigorate the Institute to generate adequate funds internally instead of depending on budgetary support, by indicating a sunset provision for the Grant.</p>	<p>The discontinuance of Grant in Aid (Non-Plan) to NIFM may lead to non-coverage of audit by Comroller &amp; Auditor General of India. It is felt that audit of C&amp;AG may continue. NIFM is increasing its internal resources so that Institute may not be dependent upon Government Grant for any part of its establishment expenses. NIFM will achieve this target in next five years.</p>	Accepted	

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
24.	24	<p>The Committee note with concern that percentage of allocation provided for Non-Plan expenses under Major Head: “2235- Social Security &amp; Welfare” has been witnessing marginal increase of 0.8 in 2014-15 from 6.48 in 2013-14 and 20.37 in 2012-13 as compared to increased percentages of allocation made under Major Head: “2071- Pension and Other Retirement Benefits” during the corresponding period i.e. 18.8, 16.64 and 8.48. What is more alarming is that underutilization has been a recurring phenomenon under Major Head: “2235- Social Security &amp; Welfare”. In 2012-13 the actual is ₹.42.69 crore as against allocation of ₹.52.59 crore; and in 2013-14 the utilization is ₹.41.15 crore as against provision of ₹.56.00 crore. This trend reflects serious shortcomings in formulation of Budget Estimates and utilization of budgeted funds. The Committee, therefore, recommend the Department of Expenditure to take corrective measures for providing adequate allocation of funds under “Major Head: “2235- Social Security &amp; Welfare”, and ensure its full utilization so that welfare of employees is achieved.</p>	<p>Pension Grant is a composite Grant and Budget in respect of this grant is prepared on the basis of inputs received from various accounting circles, trend of expenditure of previous years and current year. However, it is mentioned that MH 2235 contains two Major Components i.e. Deposit Linked Insurance Scheme - Govt. Provident Funds and Govt. Employees Insurance Scheme. During 2014-15 provision under above schemes was ₹.54.45 crores and ₹.1.50 crores against total provision of ₹.56.45 crores under Major Head 2235. Both the heads pertain to Insurance payments due to death of Govt. Employees and, therefore, expenditure under these head cannot be properly assessed in advance.</p> <p>The expenditure booked under MH 2071 represents expenditure on account of Pension Payments to all Central Civil Pensioners, DCRG, Commuted Value of Pension, Leave Encashment and Govt. Contribution for Defined Contribution Pension Scheme. The payments under these heads include DA which increases from time to time.</p> <p>Further, new Pensioners and new Entrants into Govt. Service are also added every year due to which expenditure under this head is increasing and budget is also increased accordingly.</p> <p>Therefore, Budget Provision/ Expenditure under the Major Heads 2071 and 2235 are not comparable. However the observations of the Standing Committee have been noted, for future guidance.</p>	Accepted	
25.	25	<p>The Committee note that the National Academy of Audit and Accounts, Shimla</p>	<p>1. In order to provide an appropriate perspective on the matter, the following context is offered for consideration of the Standing</p>	Not Accepted	

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
		<p>has been functioning as a departmental unit under Indian Audit &amp; Accounts Department (IA&amp;AD) for more than six decades and all expenses of the Academy are being met from Demand of IA &amp; AD. The committee are perturbed to observe that instead of leveraging the reputation of one of the most professionally accomplished Supreme Audit Institutions in the world and unlock the potential of the Academy to generate its own resources, the Department have chosen to keep the Academy as an exclusive training centre for the Union Audit &amp; Accounts Service Officers. Full budgetary support has been given to the Academy for more than six decades without any effort to reduce the burden from the Union Exchequer which is not well taken by the Committee. They are of the considered opinion that when other Government run training institutes like National Institute of Financial Management (NIFM) can reduce their dependability on the Union Grants to a greater extent and strive further to be fully independent, the justification given by the Department is not at all acceptable to the Committee. The Academy can very well conduct customised training programmes for State Government Officers; officials from other countries and even other public/private sector employees and carry out</p>	<p>Committee:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Under Article 148 of our Constitution, the Comptroller and Auditor General of India is an independent constitutional authority; and an essential instrument for enforcing accountability of the executive to the Parliament.</li> <li>b. The CAG is assisted in discharge of his functions by the Indian Audit &amp; Accounts Department, which has a strength of approximately 47,000 personnel as on 1<sup>st</sup> November, 2014.</li> <li>c. The Indian Audit and Accounts Department is a knowledge and skill based department; and to maintain professionalism and meet ever increasing expectations in a dynamic environment, it is imperative that our personnel upgrade their knowledge and skills on a continuous basis.</li> <li>d. It is with this commitment to promoting good governance and accountability through public audit, that the IA&amp;AD has established a robust training capacity that cuts across Group A, B &amp; C personnel. Training of officers and staff is an integral and essential part of the activities of the Indian Audit and Accounts Department to maintain the highest standards of objectivity and professionalism.</li> <li>e. To this end, the IA&amp;AD has a well designed network of training facilities encompassing: <ul style="list-style-type: none"> <li>• National Academy of Audit and Accounts (NAAA), Shimla,</li> </ul> </li> </ol>		

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
		<p>research works on payment basis. The example of International Centre for Information Systems and Audit (iCISA) and entity under the Comptroller and Auditor General (C&amp;AG) can be worth emulating. Therefore, the Committee, in their considered opinion, of the view that Academy can very well become less dependent on the government exchequer and over a period of time completely free from any financial assistance from the Union.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• International Centre for Information Systems &amp; Audit (iCISA), Noida,</li> <li>• International Centre for Environment Audit and Sustainable Development (iCED), Jaipur,</li> <li>• Nine Regional Training Institutes, and</li> <li>• Three Regional Training Centres, across the country.</li> </ul> <p>f. Each one of these institutes has a well defined role and objective. Together, our training infrastructure fulfills the department's capacity building requirements. No one institute can be viewed in isolation as each training institute complements the other.</p> <p>g. The National Academy of Audit and Accounts (NAAA) is the apex training institute of the IA&amp;AD. IAAS officers receive comprehensive and holistic training at the Academy, with the objective of moulding them into highly professional and competent officers, able to diligently carry out their responsibility.</p> <p>NAAA also conducts Continuing Professional Education Programmes for officers of the IA&amp;AS, other services, PSUs and the armed forces.</p> <p>h. International Centre for Information Systems and Audit (iCISA) is a centre for excellence in Information</p>		



Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
			<p>Systems and audit of information systems for officers from the audit and other national departments and overseas participants belonging to various Supreme Audit Institutions.</p> <p>i. International Centre for Environment Audit and Sustainable Development (iCED) provides training and a forum for experience sharing in this field for IA&amp;AD officers as well as other government departments and also overseas participants belonging to various Supreme Audit Institutions. iCED is also the Global Training Facility for INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions).</p> <p>j. Regional Training Institutes (RTIs) and Centres (RTCs) meet the demand for capacity building in field offices.</p> <p>2. Specifically, the National Academy of Audit and Accounts is the training institute of the C&amp;AG of India to train the newly recruited Indian Audit and Accounts Service (IA&amp;AS) Officers. The residential induction training at the Academy lasting 94 weeks commences mid-December every year.</p> <p>A rigorous system of internal evaluation and two external departmental examinations is followed. In addition to this, short duration courses are conducted for serving IA&amp;AS Officers. About 90% of the work of NAAA is related to training of IA&amp;AS officers. Along with the IA&amp;AS officer trainees, a couple of officer trainees from Bhutan train at the NAAA every year.</p>		

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
			<p>3. NAAA's infrastructure is very limited. After providing for the officer trainees, 25 rooms are available for other participants, including in service and previous batch officer trainees attending Phase II of the Induction training of 6 weeks. During 2014-15, 7 courses were scheduled for in-service participants and 5 for external participants (other services), including a workshop for INTOSAI participants. NIFM participants also attend a 5 day module at NAAA. Seminars and conclaves, both in-service and with stakeholders and members of other Supreme Audit Institutions, are held here. From the above, it is apparent that there is full capacity utilisation of the Academy. Any further enhancement of activities to accommodate external participants will affect the quality of training imparted. Any variation or shortfall in training and capacity building of our officer trainees can impact the discharge of the CAG's constitutional responsibility referred to earlier.</p> <p>4. Training imparted to external participants is either free of cost or at a minimum charge as revenue generation is not the objective. For instance, revenue on account of the induction training for an Officer Trainee from Bhutan is a mere ₹ 5 lakh. About ₹ 2.5 lakh per annum is received from DOP&amp;T for the five days training programme for IAS officers. Payment is also received from NIFM when their participants attend a module at NAAA. Other services who utilize the services of NAAA for training their OTs are not charged as these arrangements are generally on a reciprocal basis. Except for the payment received from Bhutan, the other training costs are all borne by the Union Government Exchequer from one Demand for Grant or another. Even payment received from NIFM is eventually borne by the Exchequer, as these participants are financed by their</p>		

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
			<p>departments and therefore funded from different Demands for Grants voted by the Legislature.</p> <p>5. NAAA assist other SAIs in their capacity building efforts through trainings at our institutes, or by deputing faculty, or by seconding staff on medium to long term basis. It has assisted SAIs at Iran, Oman, Trinidad and Tobago, Maldives, Mauritius, Seychelles and Botswana. International Training Programmes under various schemes of Government of India concerning International Technical and Economic Cooperation are conducted at iCISA. Till December 2014, 122 international training programmes have been conducted at iCISA. iCED, which was inaugurated in May 2013 has conducted 3 international training programmes.</p> <p>6. Our RTIs/ RTCs undertake training for State Governments and other public sector entities on request. For instance, governments of Manipur, Nagaland, Jammu and Kashmir, Gujarat and Maharashtra officials have been trained at RTI Shillong, Jammu and Mumbai in the past few years. In such cases a nominal charge on cost basis is imposed.</p> <p>7. From the above, it is apparent that the training infrastructure of the IA&amp;AD is dedicated to capacity building of its personnel to enable them to discharge their responsibilities with professional competence and integrity. At the same time, recognising our stature in the global public auditing arena, we assist other SAIs and government departments in their capacity building. Our network of training facilities function as a comprehensive whole rather than individual stand alone entities. Each draws on the other for faculty resources when required.</p>		

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
26.	26	All information furnished to the Parliament and its entities is consistent across all the documents.	<p>Revenue generation is not the motivation, as our domestic clients are all drawn from the public sector and thus, funded by one demand for grants of the Government or another.</p> <p>It will be ensured that in future information provided is consistent across all the documents.</p>	Accepted	
27.	27	The Committee observed that acute shortage of human resources has been a problem for the IA&AD with 20,513 vacant posts as on 1 March, 2014. On an average only around 3000 employees have been recruited during the last three years. Given the slow pace of recruitment, the Committee believe that the vacant posts cannot be filled up within the targeted year 2020. The Committee, therefore, urge upon the IA&AD to arrange to conduct a special recruitment drive to fill all the vacant posts within the defined span of time and alternatively, as a stop-gap arrangement even engage retired employees so that the Department could function effectively.	<p>During the year 2010 to 31<sup>st</sup> March 2015, a total of 17311 dossiers of the candidates nominated by the SSC for the post of AAO, Auditor, Accountant, Data Entry Operator, Junior Translator and Stenographers have been forwarded to the field offices of the IA&amp;AD. The requisition of more than 5000 candidates, for the post of Auditor, Accountant, DEO to be filled through CGLE 2013 (2000 dossiers), CGLE-2014 (2000 dossiers) and CHSLE 2014 (1000 dossiers) are pending with the Staff Selection Commission. A statement (Annexure 'A' enclosed) showing the year wise and post wise details of dossiers received from the SSC and forwarded to the field offices from the year 2010 to 31<sup>st</sup> March 2015 is enclosed.</p> <p>In so far as the filling up of posts of AAO's through direct recruitment is concerned, the matter is being pursued with the UPSC. In respect of supervisory cadres of SAO/AO/AAO, the field offices may fill up upto 10% of the vacancies by engaging retired officials on contract basis. Concerted efforts are being made to fill up these vacancies by the year 2020 in a phased manner.</p>	Partially Accepted	So far as the recommendation of the committee to fill up all the vacancies through special recruitment drive by 2020, it is submitted that although efforts are being made to fill up the vacancies by 2020, however, huge recruitment within a short span of time creates problems like stagnation in the promotion of

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
					officials and creation of huge vacancies at a time on their super-annuation. Therefore, instead of filling the vacancies through special drive, the same is being filled on yearly basis in phased manner.
<b>ANNEXURE - A</b>					

Sl. No.	Name of the post	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (Upto 31/03/15)	Total	Remarks
1	Asstt. Audit Officer	1135	0	0	0	0	0	1135	After implementation of the recommendations of 6th CPC, the post of Section Officer & AAO were merged and the merged post being Gr. B Gazetted, the direct recruitment to the post of AAO is to be made by the UPSC.
2	Auditor	1159	902	4251	3532	0	0	9844	
3	Accountant	265	85	461	873	0	0	1684	
4	Data Entry Operator	985	633	985	0	851	945	4399	
5	Junior Translator	0	0	150	0	0	0	150	
6	Stenographer	0	0	0	0	0	99	99	
	<b>Total</b>	<b>3544</b>	<b>1620</b>	<b>5847</b>	<b>4405</b>	<b>851</b>	<b>1044</b>	<b>17311</b>	

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks																																																
28.	28	<p>The Committee note that there are significant and persistent variations between Budget Estimates (BE), Revised Estimates (RE) and Actual in Demand of Department of Disinvestment. In 2011-12 the BE of ₹ 62.63 crore was reduced to ₹ 50.58 crore in RE and actual is 35.26 crore; in 2012-13 the BE of ₹ 63.24 crore was revised downwards significantly to ₹ 25.83 crore at RE stage and expenditure incurred was only 17.77 crore; again in 2013-14 the BE of ₹ 63.24 crore was slashed down to ₹ 30.00 crore and actual is ₹ 24.98 crore. For the current Fiscal 2014-15, ₹ 51.92 crore has been provided in BE, of which ₹ 21.00 crore under Object Head “Advertising and Publicity” and ₹ 19.44 crore under Object Head “Professional and Special Services (PSS)”. The reason for the variation attributed to by the Department is mainly under Object Head “Professional and Special Services (PSS)” due to factors such as market conditions and preparedness of the companies for disinvestment, limitation in estimating the professional fee to be paid to advisers and intermediaries such as merchant bankers, legal adviser, medial agencies, registrars, collection bankers and auditors and selling brokerage as it is based on competitive bidding process. The Committee while strongly</p>	<p>The Professional &amp; Special Services (PSS) Head constitutes about 87% of the total allocated grant (Demand No. 45) of the Department.</p> <p>The total Budget Allocation and that allocated under PSS Head during the last three years is detailed below:</p> <p style="text-align: right;">(₹ in crore)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">Total Budget allocation</th> <th colspan="3">Allocation under PSS Head</th> </tr> <tr> <th>BE</th> <th>RE</th> <th>Actuals</th> <th>BE</th> <th>RE</th> <th>Actuals</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011-12</td> <td>62.63</td> <td>50.58</td> <td>35.26</td> <td>51.14</td> <td>45.27</td> <td>26.04</td> </tr> <tr> <td>2012-13</td> <td>63.24</td> <td>25.83</td> <td>17.77</td> <td>55.09</td> <td>20.04</td> <td>11.98</td> </tr> <tr> <td>2013-14</td> <td>63.24</td> <td>30.00</td> <td>24.98</td> <td>54.97</td> <td>21.51</td> <td>16.01</td> </tr> <tr> <td>2014-15</td> <td>50.00</td> <td>35.00</td> <td>22.35</td> <td>19.45</td> <td>19.45</td> <td>13.32</td> </tr> <tr> <td>2015-16</td> <td>44.00</td> <td></td> <td></td> <td>20.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>The provision under PSS Head in the years 2011-12, 2012-13 and 2013-14 was inclusive of provision for ‘Advertising and Publicity’ as there was no separate Object Head for ‘Advertising and Publicity’. All expenditure relating to ‘Advertising and Publicity’ was booked under ‘Professional and Special Services’ Head. Subsequently, on advice of Audit, a separate Object Head 26 ‘Advertising and Publicity’ was created in January 2014 and funds under PSS Head were bifurcated in RE 2013-14 with allocation of ₹.6 crore for “Advertisement and Publicity” and ₹.15.51 crore for PSS. In BE 2014-15 funds for PSS have been kept at ₹.19.44 crore as a separate provision for ₹.21 crore has been made for “Advertising and Publicity.</p> <p>Funds under PSS are used to meet expenditure relating to disinvestment transactions such as payment of fee to intermediaries (i.e. Book Running Lead Managers, Legal Advisers, Registrars and Auditors); transaction charges to</p>		Total Budget allocation			Allocation under PSS Head			BE	RE	Actuals	BE	RE	Actuals	2011-12	62.63	50.58	35.26	51.14	45.27	26.04	2012-13	63.24	25.83	17.77	55.09	20.04	11.98	2013-14	63.24	30.00	24.98	54.97	21.51	16.01	2014-15	50.00	35.00	22.35	19.45	19.45	13.32	2015-16	44.00			20.00			Not accepted	
	Total Budget allocation				Allocation under PSS Head																																																
	BE	RE	Actuals	BE	RE	Actuals																																															
2011-12	62.63	50.58	35.26	51.14	45.27	26.04																																															
2012-13	63.24	25.83	17.77	55.09	20.04	11.98																																															
2013-14	63.24	30.00	24.98	54.97	21.51	16.01																																															
2014-15	50.00	35.00	22.35	19.45	19.45	13.32																																															
2015-16	44.00			20.00																																																	

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
		<p>disapproving such serious shortcomings in formulation of BEs, are of the view that such consistent variations could have been avoided had the Department taken into the consideration the risk factors identified in the roadmap of disinvestment. The Committee, therefore recommended to the Department of Disinvestment to take corrective measures to arrest unscientific projection of fund requirements and ensure an objective and realistic formulation of BEs.</p>	<p>Stockholding Corporation, and selling brokerage. Disinvestment through Public Offering of shares of Central Public Sector Enterprises in the capital market depend on several factors such as concurrence of the Administrative Ministry, preparedness of the CPSE to approach the capital market as well as compliance and approval of the regulatory authorities like Securities and Exchange Board of India (SEBI), Registrar of Companies etc. Appointment of the required number of independent directors on the Board of the CPSEs concerned is a critical factor without which it is impossible to get SEBI approval for Initial Public Offering/Further Public Offering (IPO/FPO). Volatility in the stock market is another factor influencing the timing and success of the public offering. Most of these factors are not in the control of Department of Disinvestment.</p> <p>The expenditure under PSS is directly related to the number of transactions completed in a year. The expenditure involved in a prospectus based Initial Public Offering/Further Public Offering is more as compared to an Offer for Sale of shares by Promoter through Stock Exchange (OFS) mechanism. Consequently, there are savings, if the planned disinvestments are not completed or deferred at the last moment due to bad market conditions. In bearish market, it is difficult to realize the optimum value of shares and thus, CPSEs do not want to venture into the capital market fearing lower realization and reduced market capitalization. Further, Merchant Bankers give price bids on the basis of their perception of the value of that particular stock. Therefore, bid amounts vary across transactions. In many transactions, the fee quoted by the Merchant Bankers is only Rupee one. This is primarily due to the prestige associated with Government issues which also adds to their profiles and ratings.</p>		

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks															
			<p>The Issue of Rupee one fee has been the subject matter of deliberations in the past and taken up with the Core Group of Secretaries on Disinvestment headed by the Cabinet Secretary and referred to CVC also for advice. However, it was decided that the present selection system may continue since the Department has asked the Merchant Bankers to quote fees for their services.</p> <p>Thus, the Budget variables cannot be pre-determined due to such unforeseen factors despite best efforts by the Department.</p> <p>The Budget Estimates are made keeping in mind the budgetary targets for disinvestment and the planned activities to achieve the target during the year. The Budgetary target for disinvestment and BE for PSS during last three years is given below:</p> <p style="text-align: right;">(₹ in crore)</p> <table border="1" data-bbox="969 927 1581 1227"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Budgetary Target</th> <th>Professional and Special Services (PSS)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011-12</td> <td>40,000</td> <td>55.14</td> </tr> <tr> <td>2012-13</td> <td>30,000</td> <td>55.09</td> </tr> <tr> <td>2013-14</td> <td>40,000</td> <td>54.97 (Inclusive of Rs.6 cr. for Advertising &amp; Publicity.)</td> </tr> <tr> <td>2014-15</td> <td>51,925</td> <td>19.45</td> </tr> </tbody> </table> <p>Looking at the earlier trend, provision under PSS Head was kept at the same level of about ₹.55crore during 2011-12, 2012-13 and 2013-14. It has been kept lower at ₹.19.45 crore in 2014-15 as a separate provision of ₹.21 crore has been made for 'Advertising &amp; Publicity'.</p>	Year	Budgetary Target	Professional and Special Services (PSS)	2011-12	40,000	55.14	2012-13	30,000	55.09	2013-14	40,000	54.97 (Inclusive of Rs.6 cr. for Advertising & Publicity.)	2014-15	51,925	19.45		
Year	Budgetary Target	Professional and Special Services (PSS)																		
2011-12	40,000	55.14																		
2012-13	30,000	55.09																		
2013-14	40,000	54.97 (Inclusive of Rs.6 cr. for Advertising & Publicity.)																		
2014-15	51,925	19.45																		



Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
29.	29	<p>The committee notes that the Department of Disinvestment was constituted with the mandate of dealing with all matters relating to disinvestment of Central Government equity from Central Public Sector Enterprises (CPSEs). The Committee are surprised to note that the disinvestment work is handled at the level of Under Secretary; and the core functions related to disinvestment transactions are outsourced for which the Department have been incurring recurrent huge non-plan expenses. Provision of ₹ 55.14 crore in 2011-12; ₹ 55.09 crore in 2012-13; ₹ 54.97 crore in 2013-14 and ₹ 51.92 crore in 2014-15 have been made in BE under Object Head “Professional &amp; Special Services (PSS)”. The Committee are unable to comprehend as to why the Department have failed to equip themselves instead of depending on outsourced agencies to deal with the very sensitive and confidential disinvestment process. The case for internal/Governmental mechanism arises, as for instance, the Committee find it intriguing that the fee sometimes quoted by</p>	<p>The Budget Estimates are reviewed realistically at the Revised Estimates stage keeping in mind all the above factors. However, efforts will continue to be made to formulate more objective Budget Estimates in future.</p> <p>The Department of Disinvestment which is headed by the Secretary (Disinvestment) has three functional Joint Secretary level officers and Director/ Deputy Secretary level officers to assist them. Each division headed by a Joint Secretary, handles disinvestment work broadly based on the Administrative Ministries assigned to that division.</p> <p>The Department of Disinvestment is given the mandate to disinvest Central Government equity in Central Public Sector Enterprises (CPSEs) and sale of Central Government equity through offer for sale or private placement in the erstwhile CPSEs.</p> <p>The disinvestment process involves the following steps:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) In-principle consent by the Administrative Ministry of the CPSE concerned;</li> <li>(ii) Approval of the proposal to disinvest by CCEA;</li> <li>(iii) Constitution of Inter-Ministerial Group (IMG) with the approval of the Finance Minister to guide and oversee the disinvestment process;</li> <li>(iv) IMG appoints Advisers for the transaction including Merchant Bankers/ Book Running Lead Managers (BRLMs)/ Legal Advisers;</li> </ul>	Not accepted	

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
		<p>the intermediaries is as undeliverable and as irrationally low as Rupee one and sometimes quite high, which are firm pointers towards the possible corrupting elements. The Committee are of the view that if the Department have their own in-house professional manpower which can deal with disinvestment transaction and also act as an advisory body, precious funds being incurred on non-plan expenses could be saved to a large extent. The Committee would, therefore, recommend that a professional agency, in line with Skill Development Agency, may be set up under the Department of Disinvestment in order to enable the Department to discharge its mandate effectively.</p>	<p>(v) Presentation on valuation by BRLMs before High Level Committee (HLC) of Officers;</p> <p>(vi) HLC recommends price band/ floor price to 'Alternative Mechanism' (erstwhile EGoM) taking into consideration the recommendation of the BRLMs;</p> <p>(vii) Approval by 'Alternative Mechanism' of recommended price band/ floor price, method of disinvestment, price discount for retail investors and employees, etc.</p> <p>The Department has developed in-house expertise to handle the substantive and procedural aspects of disinvestment transactions required for consideration of Inter-Ministerial Group (IMG), the High Level Committee (HLC) and the Alternative Mechanism consisting of Finance Minister, Minister of Road Transport &amp; Highways and Shipping and Minister of Administrative Ministry concerned with the CPSE being disinvested. The appointment of Merchant Bankers and other intermediaries appointed by the Department for the disinvestment transactions is mandatory, in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 and the same cannot be termed as outsourcing of work by the Department. The private sector also appoints Merchant Bankers as advisors for their capital issues for the expertise that they bring to the table.</p> <p>For appointment of the Merchant Bankers and other intermediaries for the sale transaction, Department follows transparent Request for Proposal procedures whereby there is</p>		

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
			<p>open bidding system and Merchant Bankers are encouraged to quote a composite fee for the services they will render. It is a two stage process comprising of a technical bid and financial bid. Only technically qualified Merchant Bankers are selected based on the lowest fee quoted. It is a fact, that the fee quoted by the Merchant Bankers for Government transactions is much less than that for the private sector. This is primarily due to the prestige associated with the Government Issues which also adds to their profile and ratings. The Merchant Bankers give price bids on the basis of their perception of the value of that particular stock. Therefore, bid amounts vary across transactions. The Issue of Rupee one fee has been the subject matter of deliberations in the past and taken up with the Core Group of Secretaries on Disinvestment headed by the Cabinet Secretary and referred to CVC also for advice. However, it was decided that the present selection system may continue since the Department has asked the Merchant Bankers to quote fees for their services.</p> <p>The disinvestment process, thus, seeks to appoint mandatory intermediaries, who are Merchant Bankers, to advice on all aspects of the proposed disinvestment transaction.</p> <p>The Merchant Bankers have experience of not only the overall working of capital markets both global and domestic, but also sector specific expertise and knowledge of procedures to be complied with for a disinvestment transaction. The Merchant Bankers assist in tapping investors, both domestic and Foreign Institutional Investors (FII), for the disinvestment process. FII funds have come to the Government, mainly due to the efforts of the Merchant Bankers. They also collect investor feed-back</p>		

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
30.	30	<p><b>Disinvestment Commission</b></p> <p>The Committee note with concern that the Disinvestment Commission which was constituted way back in the year 2001 to review and restructure the modalities of disinvestment has not yet been reconstituted. Similarly, the extant Disinvestment Policy which was approved in the year 2009 has not yet been reviewed to formulate a coherent Disinvestment Policy. As a result, the annual disinvestment programme finalized on the basis of Disinvestment Policy has persistently failed over the years. As against total target of ₹ 1.5 lakh crore for disinvestment receipts, only ₹ 75,813.71 crore could be realized during the last four Fiscals. Further, after passage of 15 years of constitution of the Department of Disinvestment and 5 years of formulation of Disinvestment Policy, only in pursuance of the Recommendation</p>	<p>and advice the Government on the best floor price/bands for the proposed transaction.</p> <p>However, it is pertinent to note that the Merchant Bankers are only advisors and do not have any role in decision making, which rests solely with the official mechanism consisting of IMG, HLC and the Alternative Mechanism. This system ensures confidentiality and speed of decision making in disinvestment issues.</p> <p><b>Present Disinvestment Policy</b></p> <p>The salient features of the current disinvestment policy are: Already listed profitable CPSEs (not meeting mandatory shareholding of 25%) are to be made compliant by ‘Offer for Sale’ by Government or by the CPSEs through issue of fresh shares or a combination of both; Unlisted CPSEs with no accumulated losses and having earned net profit in three preceding consecutive years are to be listed; Further Public Offers (FPO) would be considered taking into consideration the needs for capital investment of CPSE, on a case by case basis, and Government could simultaneously or independently offer a portion of its equity shareholding; All cases of disinvestment are to be decided on a case by case basis; The Department of Disinvestment is to identify CPSEs in consultation with respective administrative Ministries and submit proposal to Government in cases requiring Offer for Sale of Government equity; Strategic sale: Disinvestment includes disinvestment in loss-making units, and some strategic disinvestment. Strategic disinvestment includes sale of government holdings in non-government commercial entities, SUUTI, BALCO, HZL etc.; Policy on loss-making CPSEs: The</p>	Not accepted	

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
		<p>made by the Committee on Finance (2012-13) in their Sixty-seventh Report (Fifteenth Lok Sabha), reservation of minimum 10 percent of the offer size was mandated in August, 2014 in order to achieve the vision of the Department i.e. promotion of people's ownership of Central Public Sector Enterprises. Further, the Government have consistently failed to implement the Recommendations made by the Committee to formulate a coherent Disinvestment Policy and constitute a new Disinvestment Commission. The Committee are totally in disagreement with the latest alibi extended by the Government for not reconstituting the Disinvestment Commission. The Committee thus cannot but conclude that the above findings emphasize the fact that continuation of disinvestment programme without reviewing the Disinvestment Policy including its modalities would doubtlessly end up in failure as experienced in the past. The Committee, therefore, urge upon the Government to constitute a new Disinvestment Commission to review the Disinvestment Policy and restructure the modalities of the disinvestment in the light of current economic scenario without any further delay.</p>	<p>Board for Reconstruction of Public Sector Enterprises (BRPSE) has been mandated to examine loss-making/sick CPSEs for revival/restructuring for their turnaround and advise the Government on disinvestment/closure/sale in full or part, in respect of chronically loss-making/sick CPSEs which cannot be revived. If efforts to revive fail and Government decides for disinvestment, then the Department of Disinvestment will take up such cases for strategic sale. The Department of Disinvestment feels that the above policy provides sufficient scope for disinvestment of CPSEs.</p> <p>The current disinvestment process involves the following steps:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i) In-principle consent by the Administrative Ministry of the CPSE concerned;</li> <li>ii) Approval of the proposal to disinvest by CCEA;</li> <li>iii) Constitution of an Inter-Ministerial Group (IMG) with the approval of the Finance Minister to guide and oversee the disinvestment process;</li> <li>iv) IMG appoints Advisers for the transaction including Merchant Bankers/ Book Running Lead Managers (BRLMs)/ Legal Advisers;</li> <li>v) Presentation by BRLMs before High Level Committee (HLC) on valuation;</li> <li>vi) HLC recommends price band/ floor price to</li> </ol>		

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
			<p>“Alternative Mechanism” taking into consideration the recommendation of the BRLMs. The “Alternative Mechanism” for approval consists of Finance Minister, Minister of Road Transport and Highways, and the Minister of the Administrative Ministry of the concerned CPSE.</p> <p>vii) Approval by “Alternative Mechanism” of recommended price band/ floor price, method of disinvestment, price discount for retail investors and employees, etc.</p> <p>Thus, the disinvestment process of individual CPSEs is based on decision-making through inter-ministerial consultations and involvement of professionals and experts, in view of the technical and complex nature of transactions and the need for transparency and fair play.</p> <p>The average achievement of targets during FY 2000-01 to 2003-04, i.e. the period of Disinvestment Commission, was 50.25% whereas during FY 2011-12 to 2014-15 the average percentage is 54.97%. Thus, the data does not establish any role or influence of Disinvestment Commission vis-à-vis the divestment receipts.</p> <p><b>Comments of the Department on: Targets and Achievements</b></p> <p>As far as lower divestment receipts over the years are concerned, it is stated that the receipts/ achievement of targets are influenced by the market forces. The data of disinvestment targets and achievements since 2000 are given below:</p>		

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks																																																												
			<p style="text-align: right;">(₹ in crore)</p> <table border="1" data-bbox="938 331 1624 778"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Budgeted receipt/Target</th> <th>Total Receipts</th> <th>% of target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2000-01</td><td>10,000.00</td><td>1,871.26</td><td>18.71</td></tr> <tr><td>2001-02</td><td>12,000.00</td><td>5,657.69</td><td>47.15</td></tr> <tr><td>2002-03</td><td>12,000.00</td><td>3,347.98</td><td>27.90</td></tr> <tr><td><b>2003-04</b></td><td><b>14,500.00</b></td><td><b>15,547.41</b></td><td><b>107.22</b></td></tr> <tr><td>2004-05</td><td>4,000.00</td><td>2,764.87</td><td>69.12</td></tr> <tr><td>2005-06</td><td>No target fixed</td><td>1,569.68</td><td>-</td></tr> <tr><td>2006-07</td><td>No target fixed</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2007-08</td><td>No target fixed</td><td>4,181.39</td><td>-</td></tr> <tr><td>2008-09</td><td>No target fixed</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2009-10</td><td>No target fixed</td><td>23552.93</td><td>-</td></tr> <tr><td>2010-11</td><td>40,000.00</td><td>22,144.21</td><td>55.36</td></tr> <tr><td>2011-12</td><td>40,000.00</td><td>13,894.05</td><td>34.74</td></tr> <tr><td>2012-13</td><td>30,000.00</td><td>23,956.81</td><td>79.86</td></tr> <tr><td>2013-14</td><td>40,000.00</td><td>15,819.46</td><td>39.55</td></tr> </tbody> </table> <p>It can be seen from the above table that the Department has achieved the budgetary targets 100%, only once (2003-04) during the last 14 years. The average achievement of targets during FY 2000-01 to 2003-04, i.e. the period of Disinvestment Commission, was 50.25% where as during the FY 2010-11 to 2013-14 the average percentage is 52.38%. Thus, the data does not establish any role or influence of Disinvestment Commission vis-à-vis the divestment receipts.</p> <p>The achievement of targets of the Disinvestment programme is a complex function of concurrence of the concerned Administrative Ministry concerned CPSEs and favorable market conditions in which the sale has to be carried out efficiently and transparently. Many a times sales had to be postponed due to opposition from the Ministry concerned or due to unfavorable market conditions and adverse valuations for the shares of the concerned CPSE.</p>	Year	Budgeted receipt/Target	Total Receipts	% of target	2000-01	10,000.00	1,871.26	18.71	2001-02	12,000.00	5,657.69	47.15	2002-03	12,000.00	3,347.98	27.90	<b>2003-04</b>	<b>14,500.00</b>	<b>15,547.41</b>	<b>107.22</b>	2004-05	4,000.00	2,764.87	69.12	2005-06	No target fixed	1,569.68	-	2006-07	No target fixed	-	-	2007-08	No target fixed	4,181.39	-	2008-09	No target fixed	-	-	2009-10	No target fixed	23552.93	-	2010-11	40,000.00	22,144.21	55.36	2011-12	40,000.00	13,894.05	34.74	2012-13	30,000.00	23,956.81	79.86	2013-14	40,000.00	15,819.46	39.55		
Year	Budgeted receipt/Target	Total Receipts	% of target																																																														
2000-01	10,000.00	1,871.26	18.71																																																														
2001-02	12,000.00	5,657.69	47.15																																																														
2002-03	12,000.00	3,347.98	27.90																																																														
<b>2003-04</b>	<b>14,500.00</b>	<b>15,547.41</b>	<b>107.22</b>																																																														
2004-05	4,000.00	2,764.87	69.12																																																														
2005-06	No target fixed	1,569.68	-																																																														
2006-07	No target fixed	-	-																																																														
2007-08	No target fixed	4,181.39	-																																																														
2008-09	No target fixed	-	-																																																														
2009-10	No target fixed	23552.93	-																																																														
2010-11	40,000.00	22,144.21	55.36																																																														
2011-12	40,000.00	13,894.05	34.74																																																														
2012-13	30,000.00	23,956.81	79.86																																																														
2013-14	40,000.00	15,819.46	39.55																																																														

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
			<p>The Annual disinvestment programme is being finalized with the approval of the Finance Minister and the achievement of the same is also being monitored by the Finance Ministry. Further, the modality of disinvestment is decided by the Department in accordance with the guidelines laid down by the capital markets regulator, SEBI.</p> <p><b>Comments of Department of Disinvestment on Role and Action Taken on Reports of Disinvestment Commission:</b></p> <p><b>The Disinvestment Commission was constituted twice</b> – the first one since August 1996 till November 1999 under the Chairmanship of Shri.G.V Ramakrishna and the second one for the period July 2001 till October 2004, under the chairmanship of Dr.R.H Patil. As per the terms of reference of the Commission (also the reconstituted Commission) its main role was to give recommendations to Govt. about disinvestment of CPSEs, and final decision rested with the Govt. It may be noted that apart from minority sale in CPSEs, the Commission also recommended cases of disinvestment for strategic sales. The terms of reference of the reconstituted Commission included making recommendations taking into consideration the interest of workers, employees and other stake holders. That was apparently for ensuring the interest of employees of such CPSEs in which slump sale was to be resorted to.</p> <p>The Disinvestment Commission was an advisory body, whereas the Disinvestment Policy was being determined by the Government mainly through the Annual Budgets. The Commission examined CPSEs on a case to case basis, within the broad policy parameters laid down by Government.</p>		



Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
			<p>Altogether the Disinvestment Commission had submitted 25 reports covering 95 CPSEs. Break-up of the action taken in these cases is as follow:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) In <b>6 cases</b> the Commission had recommended an <b>offer for sale of minority shares</b>. Out of these an offer for sale of MTNL shares was concluded in December 1997 while in the case of NALCO the disinvestment proposal was not pursued after July 2003.</li> <li>(b) In <b>11 cases</b> the Commission had recommended partial privatization. In all these cases the privatization as recommended, was carried out by Government.</li> <li>(c) In <b>12 cases</b> the Government decided <b>not to pursue Strategic Sale</b> / disinvestment.</li> <li>(d) In <b>20 cases</b> the Commission itself <b>did not recommend Strategic Sale</b>.</li> <li>(e) The remaining <b>46 CPSEs</b> were recommended to be referred to <b>Board for Reconstruction of Public Sector Enterprises (BRPSE)</b> in the case of loss making or sick PSEs for consideration of their revival/ reconstruction.</li> </ul> <p><b>Thus action was taken on all the recommendations of the Disinvestment Commission.</b> As regards loss making CPSEs, they are examined by a separate body namely the BRPSE and other Committees formed by the Government.</p>		

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
			<p><b>As regards Peoples Ownership in the Divestment programme-</b> the entire endeavor of the Department has been to ensure Peoples Ownership in the wealth created by our CPSEs. In all the IPOs/FPOs of CPSEs done since 2009-10 and the Offer for Sales done since 2012, retail investors have participated enthusiastically. In almost all the IPO/FPOs the retail bucket was oversubscribed. In the OFS route also depending on the CPSE concerned retail investors have participated in the range of 7-18 % of the overall size of the Offer.</p> <p>The OFS route was given by SEBI as a fast track route to promoters to either meet the public shareholding requirement for listed Companies or to well known companies which were top companies by market capitalization. Since an OFS was a single day auction of shares through the Stock Exchange Mechanism, no separate reservations were made for retail Investors since SEBI thought that an auction based sale may not be attractive to an investor who is not familiar with the nuances of the capital market and bidding through the SEs. Since many govt divestments were going the OFS route and there was a demand that this route should be made attractive to retail Investors also, DoD took up the matter with SEBI for retail reservation in the OFS route. SEBI have considered the same and in August 2014 have made it mandatory that an OFS should reserve 10% of the offer for Retail Investors. Since then all the OFS of CPSE share sales are with a reservation for retail investors as per the SEBI Guidelines and in fact in some issues we have reserved even 20% of the offer size to the Retail, along with discounts upto 5% on the cut off price.</p>		

Sl. No.	Recommendation No./ Para No.	Recommendation/ Observations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks
			<p>It is therefore felt that the current Disinvestment Policy is suffice as relating to profitable CPSEs, and the modality of divestment according to the applicable SEBI Guidelines which also involves allotments to Retail Investors thereby promotes People's ownership in the CPSEs. Hence it is felt that there is no need to constitute a Disinvestment Commission.</p>		